

vileges Committee unless of course, they tender unconditional apology and get it published for three consecutive days within a fortnight from the date of this letter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am seized of the matter. I have just received the papers and I am considering them. It will be brought to the House tomorrow.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have given notice of.... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Giving notice does not mean that you just get up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The persons connected with the International Society for Krishna Consciousness Ashram are CIA agents. Some of the persons were ordered to leave the country but they are still here. A shooting incident took place in the Ashram in which 24 persons were injured. Since the External Affairs Minister is here, he can say something on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are getting information on this.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Many of the Members have given calling attention notices and short notice questions regarding handing over Bangladesh refugees by the BSF. Please admit it as calling attention.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have discussed this matter several times in this House.

12.30 hrs.

\*DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78—contd.

MINISTRY OF INDUSTRY—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall resume discussion on the Demands

for Grants in respect of Ministry of Industry. Shri George Fernandes.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am glad that my introductory remarks have found approval from all sections of the House. The support extended to the basic thrust of our industrial policy by all the hon. Member who participated in the debate has given me considerable encouragement. Certain points have been raised which do not pertain to my Ministry. I shall refer them to the concerned Ministries, particularly, the Commerce Ministry and the Energy Ministry.

Some hon. Members of the Congress Party have joined issue with me for my saying that there has been a kind of degeneration, of three decades of devastation of our economy. Their case is that the country has progressed in the thirty years during which the Congress Party has ruled. Nobody denies that there has been progress in this country. But it is all a matter of how one looks at it. The British ruled this country for 150 years and during those 150 years, they built almost a thousand kilometres railway lines every year. In the thirty years during which the Congress Party ruled, it was only about a hundred kilometres per year. I wonder whether you would say that the country progressed much sooner under the British rule than under the Congress rule.... (Interruptions).

MR. DEPUTY SPEAKER: Order, please; don't interrupt.

SHRI GEORGE FERNANDES: The British built ports and the docks, the telephone and telegraph installations and they even built this Parliament House. I wonder whether one would like to say that that was the progress because, while they were building these things, making progress in certain spheres, they were

\*Moved with the recommendation of the Vice-President acting as President.

[Shri George Fernandes]

also devastating the country in certain other areas. During the last 30 years, this is precisely what has happened. I do not wish to go into all those statistics today which we have been debating in this House for years on end and, particularly, in the last three months.... (Interruptions). I know it hurts people.

**SHRI VAYALAR RAVI** (Chirayinkil): We have our sympathy for your ignorance.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** When the country got Independence, there were 35 crores of people in this country.... (Interruptions).

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Please don't interrupt. All of you please sit down.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I knew that it would hurt. But I did not know that it will hurt so much. (Interruptions).

I think they should make up their mind whether they would like anyone on this side to be responsible or whether they would like to say that there has been progress. (Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** If Mr. Ravi, Dr. Henry Austin and others stand up and talk like this, then I will ask everything that you say to go out of record. (Interruptions)

**SHRI VAYALAR RAVI** rose—(Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Unless the Minister yields, you cannot interrupt.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** It is a question of standard; it is a question as to how one looks at it. If by increasing unemployed every year by 2.8 millions is progress, then there has been phenomenal growth. That is a question of standard. You admit that you increased employment at the

rate of 2.5 millions. Then you say that every developing country has to go through this. This is your standard. I am sorry, I do not accept that as progress. That is precisely the point that I am trying to make. (Interruptions). In the last ten years, for instance, the consumption of pulses, which is the only thing that provides protein to the poor in this country has gone down *per capita* from about 60 ounces per head to 35 ounces per head. If you believe this is the progress and phenomenal progress, our standard of progress is different.

In the last ten years, the *per capita* consumption of cloth has come down from 50 metres per head to 31 1/2 metres per head. If you believe that is the progress, then that is not our concept of progress. So standards differ, and it is in every sphere of our national life.

The number of people living below the poverty line has been going up. If you believe that this is the progress, good luck to you. The number of illiterates in this country has gone up. If you believe that this is the progress of the country, then that is your standard. So, when I talk of progress, I speak both in an absolute term and in terms of comparing our progress with those of other countries. Mr. Venkataraman took an exception to a point that I made where I cited statistics to say that progress has been 4 per cent in the industrial sphere. I suppose industrial growth which is about half of what the progress of the developing countries has been is much lower than the standard you set for yourself. He said, this is not true and that India's progress has been more than that of any other industrially developing country on earth that has attained independence since 1947. M. Venkataraman is very wise and very able administrator. He was Minister of Industry in Tamil Nadu, I think, for ten years. He was also a Member of the Planning Commission for five years. I do not know what authority he generally relies upon



for his information, for his statistics.

I have here a Report of the World Bank (1976). Between 1965—1975, the industrial production in all the developing countries of the world was about 9 per cent. It is on page 96. It is admitted that it is 4 per cent in this country. If you have any other authority, Mr. Venkataraman, I would certainly like to be enlightened on this.

**SHRI VAYALAR RAVI:** If you look to the World Bank's Report.....

**SHRI R. VENKATARAMAN** (Madras South): What I said was that no country which became independent after 1947, after the Second World War, had built this kind of industrial base, forging, casting, steel-producing capacity as India had done. I was not comparing the rate of development between one country and another, because, these percentages are all very illusory. It has happened in another case also: there was an occasion where it was said that the number of nurses had increased from one to two, and the report said that it had increased by a hundred per cent. Therefore, when you say 9 per cent or 8 per cent, it is from the base. If the base is small, the mere fact that you had a few things, say four or five, may be even 50 per cent or a hundred per cent. Even now I say this on the authority which you can check that there is no country, which has become independent after the Second World War, which has anything like our HEC, anything like our MAMC, anything like our steel plants. Do not compare with Japan and others.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** May I quote this from Mr. Venkataraman's speech? This is what he had said:

"If you compare with any country which has become independent after the Second World War, you will find, no country in the world has achieved a rate of industrial progress and industrial development as India has been."

While the debate did throw up a number of new ideas and Suggestions on how to achieve our goals of industrial development, it also helped me to gain an insight into the minds of the Members of the Opposition. It was quite amusing to see them find out the contradictions that existed in the Janata Party and in the Janata Government. And more amusing was their attempt to draw a distinction between the Minister of Industries on the one hand and the Prime Minister, the Home Minister and the Finance Minister on the other. These are old habits which keep lingering. There was a time when Pandit Jawaharlal Nehru was very good but Mr. Morarji Desai was very bad, Shrimati Indira Gandhi was very good but some one around her was very bad. These are old habits. I was thinking that, with the passage of time or with people moving from one side of the House to the other, some of the habits at least would die, but they do not seem to.

Sir, there are differing views in our Party. Ours is a democratic party. We are running a democratic government. For instance, there are differences among us on how the erstwhile dictator should be dealt with—very sharp differences. There are differences among us whether there should be a communication satellite in the orbit or not—very sharp differences. But this is what makes us really strong. This is the essence of democracy. This is what makes us strong—these differing views, where there is an interaction of opinions and ideas. I hope, they will learn that 'Indira is India', that kind of thinking where one person knows the best, one person knows everything, there is only one leader and the rest are just to be excepted, is what ultimately goes to weaken a political movement and a government.

So, if there are differences among us, those differences do not come in the formulation of a policy. What I have spoken before this House in so far as our industrial policy is con-

[Shri George Fernandes]

cerned, are not my personal views; they are the views of the Government; I spoke here for the Government; I did not speak here as an individual.

Sir, the opposition has cautioned me about the various dangers that are lurking around as we go ahead with our industrial policy. They have particularly warned me about the big business houses and the multi-nationals. I do not want to underestimate the power and the reach of both the big-business houses and the multi-nationals. But I would like to say, without being immodest, that they do not worry me at all. We, on this side of the House are made of much better stuff than that. These big business houses and these multi-nationals will not worry us. I know the big business has a way of operating: they believe that everyone is available for sale. But, Sir, none on this side is available for sale—and I think they know it too. And if there are people who are incorrigible and who still believe that they will be able to manipulate things the way they had manipulated them in the last thirty years, I am afraid they are in for a very bad experience.

As far as the multi-nationals are concerned, I know how powerful they are. In fact, they tried to gain control of the Government right here in Delhi. My friend Mr. Vijay Kumar Malhotra prevented one of them coming in. It was a Coca Cola man. (I think someone that side is particularly concerned about Coca Cola). There were two pictures when I was being driven from the jail to the court. In those days, there were two pictures, both with folded hands. The person whom Mr. Vijay Kumar Malhotra prevented from coming in was there on the streets of Delhi with folded hands, along with another picture, also with folded hands, asking the people to vote the multi-nationals into this House. But the multi-nationals have been defeated, right here in Delhi, in Amethi and

even in Rae Bareilly. Therefore, in so far as their effort to influence this Government is concerned, I think the people themselves resolved this question in March this year. I am however aware and I am getting to know of a number of deals which have been struck with the multi-nationals. I am trying to go into them and, as and when something very interesting shows up, I will come before this House and let the House know what the multi-nationals have been up to in this country during the last several years.

But there is however one class of parasites, and these are the 'con' men or the 'fixers' who operate even to this day. You see these men operate in the corridors of the Parliament House and of the Ministries. These are the men who blackmail the officials; these are the men who try to bully them or try to brow-beat them and get things done. They cater to the human weakness of those in authority: they now know how to get things done. I am aware of the activities of some of them and I am trying to unearth the activities of some more of them. I only want to say at this juncture that we shall take care of them. We do not want to allow them to operate in the corridors of power in this Capital.

Now, my hon. friend Shri Unnikrishnan spoke about p. 56 of the Report. He was very particular about mentioning p. 56 of the Report on the working of this Ministry till March this year. He referred to the enquiry against the Birlas and he said that how I deal with this question will be a touch-stone. Sir, this enquiry commission—the Sarkar Commission—was set up in 1970, and this is the eighth year of its functioning. Each year, Rs. 2 lakhs were budgeted for this enquiry against the Birlas and we have already spent a crore and a half; but the enquiry is still on! why is this so? It is because the terms of reference were so framed

that one can satisfy public opinion on the one hand and Birlas on the other. I am now told that this will be a touch-stone! In other words, what I am supposed to do about this Sarkar Commission has to be within the terms of reference, so wide and so varied that they will go on and on!

You throw back on me now and say that this will be my touch-stone. What do you want me to do? The Commission has done a lot of work; it has gone through 9,000 files out of 11,000 files produced before it, or which they have been able to collect. I hope, it would only be a matter of time. Despite all the problems faced by this Commission, we shall be able to do something worthwhile and be able to expose the misdeeds of big business in this country through the findings of this Commission.

**SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam):** Do you propose to alter the terms of reference?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** It is very difficult to do that and start the whole thing afresh. The Commission has been in existence for 8 years and altering the terms of reference would not be an exercise that would give us any result. But I want to assure the House that we shall do all that is possible and see that no one gets away with crime.

We want the industry to grow; we want it to expand and produce more and we shall give all the encouragement that is necessary to see that industry grows, expands and produces more. But, if there is any transgression of law, the reaction from the Government will also be equally sharp. We do not want industry also to commit crime. Earlier, during the Question Hour, there was a discussion about the economic offences. If a man picks somebody's pocket of a hundred rupees, it is a criminal offence, but if one cheats the share-holders, loots the exchequer and if he denies the workers their jobs, that is a very respectable act which is called an economic offence.

We would like to change the standards, we would like to change these values and it is necessary to change the standards and values. If a poor man picks someone's pocket of Rs. one hundred, it is a criminal offence, but if someone else robs the share-holders of crores of rupees by mismanagement of a company and diverting the funds to the various other companies and loots the exchequer of all the public funds that have been put into the industry, it is necessary to re-examine whether this is to be called an economic offence, or this is also a crime of the same variety, or magnitude as when a pick-pocket or someone else robs someone on the street, or in fact of a much bigger magnitude.

Here, I will give you a very typical case. Shri Madhu Limaye, in his speech referred to Jaipur Udyog. Jaipur Udyog is quite a big cement producing unit, with almost half a million tonnes or a little more. Now, this is a sick unit and the Government is running it. The main reasons for its sickness, as detailed by the State Bank of India and which was quoted by Shri Madhu Limaye are:

(i) "Continued fall in production arising out of neglect of essential, preventive and maintenance repairs of the plant over a number of years.

(ii) Paucity of funds arising out of large scale diversion of funds through their sole selling agents, BOPL.

(iii) Managerial misdemeanours in the areas of sales, purchases and expenditure. The management pursued policies and practices inconsistent with the interests of the company."

This is the State Bank of India's report. Since this report was made and since the government got itself involved with the affairs of Jaipur Udyog, certain other matters pertaining to the transactions of Bharat Overseas Ltd. have also come to light and they are very serious. We will examine this

[Shri George Fernandes]

whole question of Jaipur Udyog and take certain far-reaching decisions..

**SHRI K. A. RAJAN** (Trichur): 6000 workers are in distress.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** Just now the plant is working and it is now working to its full capacity.

But, as I said, a lot of other things have come to light and we shall take certain decisions.

Shri Madhu Limaye also referred to National Rayons. This matter is very serious—the National Rayon's affair... (*Interruptions*) I will examine the various issues that have been raised in regard to this company on the floor of the House and at the level of the government, appropriate decisions will be taken. But that is one more illustration how big business operates and how influential big business are, because the man who is managing this company or rather mismanaging this company is Sachir Kapadia, a Director of Maruti Ltd. I can now understand how serious the Congress Members were when they were warning of the reach of the big business.

So, the Modi's have also been referred to in the course of the debate and some of their own actions earlier in so far as Modi Rubber is concerned and since then their dealings with National Rayons have been referred to. Sir, I am examining this entire case and will inform the House of the findings at the earliest... (*Interruptions*).

Then, about Coca-cola. In fact, even now Congress Members are agitated about Coca-Cola....

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA** (Begusaral): Which drink does the hon. Minister prefer?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** Neither.

**THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE):** *Neemou pani.*

**SHRI GEORGE FERNANDES:** The Coca-cola problem is not just a problem which is a problem of multi-nationals. It is also a much wider problem of priorities and planning, of the concepts of progress and of the standards of progress which the predecessor government had.

Coca-cola has reached almost all the villages of the country. But there are two and a half lakhs villages in this country which still do not have drinking water. That was planning, that was progress.

Just two and a half lakhs villages, Mr. Ravi.

**SHRI VAYALAR RAVI** (Chirayinkil): Many members on this side including Ministers did not approve of Coca-Cola. They opposed Coca-Cola. You can go through the record.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** But they are very powerful.

**SHRI VAYALAR RAVI:** Agreed. They are powerful.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** Ultimately they managed to get a ticket right here in the capital.

Two points have been made with regard to Coca-Cola. One is that a licence has been given and the other is that some money has passed under the table. I can assure the House that no licence has been given and if there is any evidence or any material which can give any clue to the transfer of money. I shall be happy to have it investigated provided I get some clues. At the moment, excepting the statement made here, I do not have any other information in my possession.

13.00 hrs.

Mr. Venkataraman talked about cement production. I had referred to

cement as one of the major constraints while I was discussing the various problems which confronted us when we discussed our industrial policy. He said that cement production will fall short of the targets set by the Planning Commission. I am afraid this is not so. The Planning Commission set a target of 23.50 million tonnes, with actual production of 20.8 million tonnes in 1978-79, i.e., at the end of the Fifth Five Year Plan. This target, will materialise. My grievance is that the target itself was inadequate. During the current year there will be a shortage of 2 million tonnes of cement because of this haphazard planning. In the Draft Fifth Five Year Plan the targeted capacity in 1978-79 was fixed at 29 million tonnes. But when the Plan was finalised I am sure Shri Venkataraman is aware of that, these projections were reduced and they were brought down from 29 million tonnes to 23.50 million tonnes, with actual production of 20.8 million tonnes. The earlier projections were realistic, the subsequent ones were not. It is because of these unrealistic projections and subsequent modifications that were made, the country will have to face shortage of cement. The present Government would seriously consider ways and means how this mistake can be rectified and how we solve the cement problem.

Shri Unnikrishnan was deeply perturbed about Government's attitude to the Public Sector. I have in my introductory remarks set at rest all fears, imaginary or otherwise that people had entertained about our approach and attitude to the public sector I can only reiterate that in our scheme of things the public sector has a very important role to play in the economic and industrial development of this country. There are deficiencies, as I have said, and there are inefficiencies also so far as the public sector is concerned. It shall be our endeavour to see that whatever those deficiencies and inefficiencies are, they are removed and the public sector does

play its rightful role in the economic development of this country. And here I would like to make a special appeal to the workers and to the management of public sector enterprises. While, I shall work out in consultation with them the plan that has to associate workers with the management of these industries, I would also like them to have a total innovative approach to see that production targets are fulfilled. We are having problems in some of the units at the moment and I would like to take this opportunity to appeal to them to see that the targets are fulfilled even while resolving all the disputes and even while we work out new plans and programmes to associate them to the management of these sectors.

We propose to enlarge the Management Development Institute of Heavy Electricals Limited. It was an Institute that was concerned with Training, Management and Workers in this one big public sector enterprise. But now we propose to convert this centre for continued education to cover the entire public sector. This centre would catch not only the executive of the public sector enterprises under the Ministry of Industry but would also provide periodical courses for the workers representatives on their respective rolls.

Shri G. Narsimha Reddy had observed that out of 5 cement projects prepared by the Cement Corporation of India, only three had been cleared. I am happy to announce that the Government have now cleared the remaining two projects. These would be set up at Tandur and Adilabad and orders for certain materials and equipments for these two projects could be placed in September and October of this year.

A point was raised as to why Government should import wrist watches. Somebody suggested that we were now concerned with importing some kind of luxury items. In the current year we have given permission to HMT to import one million watches

[Shri George Fernandes]

in completely knocked down condition. These watches will be imported from the collaborators of the HMT in Japan, the Citizen Watch Company. They will be marketed under the brand name of the HMT watches, HMT Citizen; and they will be assembled in various units of the IIMT particularly in Darjeeling in West Bengal, where we are setting up units for assembly of HMT watches.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:** What is the difference in cost? What is the difference in the price of the two, your own watch here and this one which you bring in a dismantled condition?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** There should not be any difference in the price.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:** Then what is the use.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** There is a deficit of watches for the country's present-day needs.

**SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:** My point is this. If there is no difference in the price of these two, what is the use of importing the watches in a dismantled condition?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I will explain it. We need 5 million to 6 million watches a year. This year's requirement is 5.6 million watches. Production is not adequate to meet our needs. Our production this year, 1976, would be 1.25 million watches both in the private and public sectors.

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) :  
कब तक हम घड़ियों के मामले में आत्म निर्भर हो जाएंगे और हम को विदेशों से घड़ियां मंगानी नहीं पड़ेगी, विदेशों पर घड़ियों के मामले में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ?

**SHRI GEORGE FERNANDES:**  
यह भी बता दंगा ।  
So far our watch requirements were

largely met partly from indigenous production and partly by permitting smuggling. Nothing was done over the years to see that the capacity of the watch industry was expanded. HMT had technical know-how, expertise and manpower. The private sector also had expertise and manpower. But nothing was done over a period of years to see that India is self-sufficient so far as watches are concerned. On the contrary those who were smuggling watches into India were considered very respected men, who even worked as campaign managers of certain persons of a certain political party. We now propose to increase the capacity in our own HMT unit. In the meanwhile this year we are importing one million watches in completely knocked-down condition and assembling them here. We are in fact setting up a number of assembling units.

**SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag):** The point is whether it is worthwhile to import watches in a dismantled condition or to have it imported as a whole. Mr. Venkataraman was speaking about providing more employment and at the same time not increasing the cost of production. If you assemble them here your cost will be more. If you compare the price of the two your watches will not be able to sell. Smuggled watches will have a ready market in the country as the price of smuggled watches seized by Customs and then released for sale would be less.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I shall have that matter examined.

**SHRI D. D. DESAI (Kaira):** For the initial training, it is necessary to pick up tempo of larger production. That is why CKD watches are being imported.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** We are just now importing it in order to meet the immediate requirements. We are setting up eleven watch as-



sembly units in this country. We are setting them up in Sikkim, in Goa, in U.P., M.P., Meghalaya, Maharashtra, Tamilnadu, Punjab, Kerala, Orissa and Andhra Pradesh.

The above units are a part of the expansion programme of H.M.T. to increase their watch-manufacture, from one million handworn watches to three million per annum, in 1980-81.

In the meanwhile, I would like to work out a crash programme so that, within the next three years, India is made self-sufficient in so far as our domestic watch requirements are concerned.

**SHRI R. VENKATARAMAN** (Madras-South): If that is so, why did the Finance Minister put the watches in the negative list?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** We will examine that. I shall find that out. On the other hand, let us first meet our domestic requirements of watches and then let us talk about export. We have been exporting too many things to meet our own requirements. I think, we should stop this practice. A question was raised about the H.M.T. project in Gujarat. A project is being set up by the Gujarat Industrial Development Corporation, a Government of Gujarat undertaking in collaboration with the Hindustan Machine Tools Ltd.

The H.M.T. will have 25 per cent of the equity in the Gujarat State Machine Tools Corporation. The cost of this project will be about Rs. 11 crores. Possession of land for this project has been given to the company by the Government of Gujarat only a few days back. The construction will commence in August 1977 and we expect the production to commence in January 1979. This is a further proof, to those who are concerned about the government not being keen particularly about the public sector, of expanding the public sector to which this Government is committed.

**SHRI VINODBHAI B. SHETH** (Jamnagar): Small scale industry has died due to excise.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** That is a different question.

Another question was asked as to why the WIMCO, a foreign majority company was dominating the field of the small scale industries. WIMCO has been operating in this country for several years. They have five factories with a capacity of 5,000 million boxes per annum. But, Sir, the production of matches has now been reserved for the small-scale sectors since 1970 and, as at the moment, while WIMCO has thirty per cent of production in this country, the remaining seventy per cent of production is taken care of in the small-scale sector.

**SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN** (Coimbatore): The question is not only of reservation of the production in the small-scale sector but the question is: while large companies are able to buy soft-wood at a concessional price of Rs. 5/- per ton, this concession is not extended to small-scale sector. They buy this wood at Rs. 20 per ton. The concession has been allowed only for protecting the big manufacturing industries. Therefore, I want to know whether this aspect will be gone into by him or not.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** We will go into this aspect to find out under which circumstances, the WIMCO was given this special concession. In the meanwhile, in the current budget, the small scale match units have been given further concessions in excise duty of 55 paise per gross of boxes. There is now the problem which the small scale units face. That relates to the paraffin wax which they need. The Ministry of Petroleum and Chemicals is concerned with this. There have been certain problems.



[Shri George Fernandes]

The Health Ministry has raised certain objections against the production of inferior quality paraffin wax on the ground that it would find its way as wrappers used in food industry, etc., which would be injurious to health. To relieve the temporary shortage of good quality paraffin wax the government will consider imports by the small scale sector if such requests should come from them.

A point was made that while in the course of my observations I had laid tremendous emphasis on the growth of village and small scale sector, in fact statistics and figures in the budget documents show something else; certain figures were quoted. So far as allocations to small, rural and cottage industries are concerned, there has been an increase of 40 per cent in the proposed outlay for 1977-78 over the revised estimates for 1976-77; from Rs. 41.2 crores in 1976-77 the outlay has been increased to Rs. 55.9 crores in 1977-78. In addition for handicrafts, handlooms and sericulture looked after by the Ministry of Commerce, the allocations have been increased to Rs. 27 crores in 1977-78 from about Rs. 13 crores in 1976-77. It is more than a 100 per cent increase. On the other hand the total investment in the planned schemes for large, medium industries including heavy industries under the Ministry of Industry during 1976-77 was Rs. 127.99 crores and it was raised to Rs. 180.35 crores for 1977-78 in the interim budget presented to Parliament. This has since been reduced by Rs. 12.45 crores and funds have been allocated to small scale and the rural sector. In addition, in order to improve the infra-structure in the rural areas an allocation of Rs. 20 crores had been made to accelerate the programme of approach roads; a further allocation of Rs. 40 crores had been made to provide drinking water in the rural areas. I do not know how the critics of this policy got the idea that while the thrust was

for rural development, and for small scale industries development, in fact the figures were to the contrary. That does not seem to be so if one were to go through the budget proposals carefully.

In so far as small scale industries are concerned, I had said that we shall examine certain sectors which we shall completely reserve for the small scale industry. There has been some criticism that small scale industries were corrupt and sell in black market some of the raw materials that are given to them. There may be blacksheep in the small scale industry as there are blacksheep in various other sectors also. But our commitment is to see that this sector grows, that this sector is encouraged. We shall take positive steps to see that certain additional areas are reserved for the small scale sector during the current year.

SHRI R. VENKATARAMAN: In the 1976 Finance Bill there was an investment allowance of 25 per cent given to small scale industries but in the present Finance Bill all the small scale industries do not get this investment allowance; only those which are not governed by the negative list will get. Therefore the investment allowance which was given to small scale industries has been reduced. That is why we said that emphasis has not been laid on small scale industries.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, in addition to these, whatever are the constructive suggestions that come from the other side each one of them will be examined and wherever it is appropriate, it will be acted upon.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: May I then make a constructive suggestion? When he is talking about small scale industries there is excise duty that has been levied on the hosiery industry which is mainly a small scale industry and on which thousands of workers are dependent

and which are mainly in the smaller district towns in the country where they do not have any protection. This excise duty is not levied on those who are producing ready-made cloth. Therefore this being a constructive suggestion, will the hon. Minister use his good offices to persuade the Finance Minister to withdraw that excise duty when the Finance Bill comes up for discussion and also the duty on the Beedi Industry to which my colleague and leader Shri M. N. Govindan Nair has referred.

**DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi):** May I draw the attention of the hon. Minister to the matter of a small scale industry? After the Budget was presented, the excise duty on copper scrap was increased from 45 per cent to 120 per cent. This scrap is needed for chemical industry for insecticides and things that are necessary for our agriculture in the country. The result of these duties are that the scrap will be 20 per cent costlier than pure copper and about 30 to 40 small scale industries in Pune and other places will be wiped out as a result of the excessive financial burden. Will the hon. Minister see to it that the excise duty is withdrawn?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I think the hon. Members will use their persuasive powers not only with me but also with the Finance Minister. (*Interruptions*).

All that I am saying is that there is a time to take up every issue. I am not admitting anything else. There are issues which pertain to Commerce Ministry relating to handloom and hosiery sectors and they should be raised during the discussion on the demands of that Ministry.

**SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN:** We did raise.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** My point is that Shrimati Parvathi Krishnan should use her persuasive powers at the appropriate time when the demands of the concerned Minis-

try are taken up. A reference has been made to a number of sick units. Mr. Halder referred to a large number of units in Bengal. There have also been references to the BIC and the TAFCO. Members from all sides have made references to the sick units in Bombay, Bihar, U.P. and Tamil Nadu and in every State. I can only assure the House that shall apply my mind to each of these cases and take immediate steps to resolve the problems faced by the workmen of these units in particular and by the industry in general. Here I may be permitted to do some loud thinking. I am wondering whether the workers employed in these sick units could be persuaded to take over the management of these units. We shall give them all the assistance that they would get otherwise. We shall give them all the financial assistance. Let the workers have a committee of Management. We shall give them any expert advice that they need.

We can have a representative of the government on the committee of management. I think the stage has come when the workers should come forward to take this responsibility. I am not making this suggestion because the units are sick and someone has to run them. Where because of mismanagement a unit becomes sick, I do visualise a situation where the workers by taking over the management may be able to show to the industry and to the country that they are in a position to manage better than so-called industrial houses.

**SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon):** The Cashew Development Corporation of Kerala has on its board of management only representatives of workers and it is working very fine.

**SHRI GEORGE FERNANDES:** Mr. Nair is only substantiating my point. Therefore, I would like the trade unions in these so-called sick units to come forward with any suggestions they may have in so far as

[Shri George Fernandes]

their own running these units is concerned.

**SHRI AMRIT NAHATA (Pali):** The working class of this country has always thrown a challenge that most of the sickness of the mills is due to mismanagement and if an opportunity is given to the workers they would show it by managing them properly. Suppose in a particular sick mill, the workers come forward and take up the management and run it successfully, would the minister think of handing over healthy mills' management also to the workers?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** If this is a suggestion, I have no hesitation in accepting it. In fact, I would like to see the growth of the workers' sector in the country where workers do run the industries and show they can do it far more efficiently than what the big business has been doing over a period of time.

**PROF. R. K. AMIN (Surrendranagar):** Regarding the sick mills, the State Governments have followed different policies for different industries. Is this not the time to evolve a comprehensive policy so that the State Governments and the Central Government may follow the same policy in regard to all industries?

**SHRI GEORGE FERNANDES:** I do not think any uniformity in this matter is possible. As I said, I am only indulging in some loud thinking and I am making a suggestion to the workers. At the moment we have about a hundred sick units queued up wanting to be taken over here and now. It is a question of resources. Where there are such problems both of money and management, I am making a suggestion that if the workers are prepared to run the industries, the government would provide them with all the necessary expertise and inputs to see that they run those industries.

A point was made about import of capital goods. Some members expres-

sed concern that we were going to import capital goods and machinery when indigenous industry is starved of orders. Mention was made particularly of the textile machinery. The Department of Heavy Industry provides most of the capital goods required for various industries. I want to assure the House that imports will be allowed only if our own industry is not in a position to provide the requisite machinery. In no other case we shall allow the import of machinery. But where our industry is unable to provide machinery at the right time and at a cost which is, shall I say, reasonable in such a situation i.e., where we are concerned with the growth of industry, it will be necessary for us to permit such imports. But nothing will be done to hurt our indigenous industry, if the industry is able to meet the requirements of the industry, at the appropriate time. Suppose we need a cement plant—this is by way of illustration; I know it would not be necessary for us to import cement machinery—and we need machinery to do it, and our industry is unable to provide a plant for the next two years. I am sure no one, no matter what his convictions are, would say that one has to wait for two years to be able to put up a cement plant. This is the size of the problem. But we will not, if our cement plant producing unit is in a position to provide the machinery tomorrow, say that this industry will be starved and that we are going to import machines. That will not be the policy of the government.

श्री लखन लाल कपूर (गुणिया) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रवासी भारतीयों के लिए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक नीति बनी थी कि जो प्रवासी भारतीयों के पास फारेन एक्सचेंज है वे कैपिटल गुड्स को यहाँ लाकर, अपने पैसे से मशीनरी खरीद कर यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित

करना चाहते हैं उनको सरकार की ओर से सुविधायें दी जायेंगी परन्तु जो प्रवासी भारतीय यहां पर उद्योग लगाना चाहते थे उनको सुविधायें नहीं दी गई और उनको वापिस जाना पड़ा। तो क्या ऐसे प्रवासी भारतीयों के लिए जो भारत में उद्योग लगाना चाहते हैं सरकार उनके लिए उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डिस : यदि ऐसी कोई स्थिति है कि जो लोग ऐसा करना चाहते थे उनको ऐसा नहीं करने दिया गया तो उसकी जांच कर ली जायेगी और इसके बारे में क्या नीति रही, क्या नीति आगे रहेगी उस पर भी विचार करके निर्णय ले लिया जायेगा।

Many other specific questions have also been raised; but I do not think it will be possible to answer all of them here. Members have referred to under-utilization in the tractor industry and the power-tiller industry as also to the working of the Mining and Allied Machinery Corporation and of the Lagan Jute Machinery Co. I have noted all these points; and where necessary, action will be taken and I shall also inform the Members who have raised these points, of the decision taken in regard to these questions.

Lastly, I will refer to the problem of backward areas and their development. Mr. Purna Singh suggested that we should treat the entire North Eastern region as one backward region for purposes of development.

Other Members who participated in the debate have also spoken of their respective States, regions and even of districts or constituencies. Yesterday I was in Patna and I heard legislators of the Bihar Assembly discussing the question of industrializing their State and their own respective constituencies, and speaking about the problem of backwardness in their respective areas. In terms of investment by the Central Government, it may

come as a surprise to my colleagues from Bihar when I say that the largest investment by the Government of India is in Bihar. As on 31st March 1976, it was Rs. 1882 crores; and yet Bihar is the most backward State in the country. Madhya Pradesh has a Central Government investment of Rs. 1366 crores; and yet it is also one of the most backward States. And Orissa which vies with Bihar for being in the list of States that are backward, has the third largest investment by the Government of India, viz., Rs. 619 crores as on 31st March 1976. I am giving these figures to point out that declaration of an area as backward and pumping in of money into the big industry, is not going to find the answer to the problem of unemployment or of development of these areas.

So, the whole investment pattern has to be changed, and that is the thrust that is contained in my introductory remarks. While heavy industry is required, and heavy industry would be sustained, yet in the coming years our emphasis will have to be in the rural sector, small-scale sector and the village sector.

Any investment of a lakh of rupees in the big sector provides employment to four persons only, and there also there are always complaints that people from other States come to their States and take away these jobs, because some of these jobs are skilled jobs. The larger the investment, the more sophisticated the plant and you need skilled people who may not be locally available. They come from other parts of the country and there is local complaint that the employment generated has been taken away by the skilled people from outside. So, an investment of a lakh of rupees provides employment to four persons in big units and in small units the same investment provides employment to 20 to 25 persons, whereas in the rural and villages sector we are able to provide employment to 60 to 70 persons with the same investment; sometimes more but never less. Therefore, when we discuss back-

[Shri George Frenandes]

wardness and when we refer to the fact that the Centre should have a policy, that we should declare a particular area backward and put in more money, that money, instead of going into large scale and big industry, must go into small-scale, rural and cottage industries.

One of our problems in the industrialisation of the country is that of planning. Industrial planning so far has taken particular care of a small segment of our people. We produce may be for 50 million to 60 million people. Those were the consumers in mind when one discussed the industrial policy, generally speaking, as to what are the needs of this particular segment of our population, which is about 10 per cent or may be even less than 10 per cent of the people. The rest of the people have not existed, so far as planning was concerned, so far as industrial development was concerned. They have no purchasing power, they do not figure in any of the schemes, in any of the programmes or plans that have been outlined for the past several years. So, we would like now to pursue a policy where the purchasing power is no more concentrated in the hands of a few, where the whole economic development and industrial policy does not act in a manner in which every year 10 lakhs or 15 lakhs of people are raised from certain standards of poverty and brought to standards of, may be, affluence or may be a certain standard of living. This is how things have been every year we have attended to 15 lakhs to 20 lakhs of people, and the rest of the people, may be a crore of people each year, are condemned to a life of destitution. They have no purchasing power and you do nothing to increase their purchasing power. In your industrial policy, there is no scope for additional employment, no scope for further expansion of employment for the huge market of 600 million people,

which is expanding at the rate of 12 millions a year. It would be possible only if the purchasing power is taken into account, is diffused, so that it goes into the hands of a larger number of hands, and this would be possible when industries in the rural, village and small-scale sector are encouraged, and this will be our effort in the coming years.

When one discusses backwardness, I do not want to suggest that there are a few States in this country which alone are backward. Take Maharashtra, where Bombay has perhaps half the wealth of India. But, just across the creek, Konkan is just as backward and poor as the poorest backward districts of Bihar. This is a fact.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Do not forget me.

SHRI GEORGE FERNANDES: Orissa is generally categorised as a backward State. When one discusses backwardness, Orissa invariably comes to one's mind, even though, of course, you do not look backward. Therefore, it is not only a question of certain areas or certain States but it is a question of the entire country. So, what I have stated in my introductory speech about this new thrust in the rural areas and in the small scale sector, that will guide us.

\* I am grateful to the hon. Members for the many suggestions that they have made in the course of the debate. I want to assure the House that in the coming days we shall implement a policy which makes it possible for us to remove that backwardness, that poverty which has been the bane of our country. I hope, Members will cooperate with the Government in fulfilling the various tasks that we have set before ourselves in so far as our industrial policy is concerned.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I put all the cut motions together.

*All the cut motions were put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown

*Demands for Grants, 1977-78 in respect of the Ministry of Industry voted by Lok Sabha.*

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
62.	Ministry of Industry	1,05,87,000	..	2,11,74,000	..
63.	Industries	7,98,69,000	80,04,89,000	15,87,37,000	147,74,79,000
64.	Village and Small Industries.	12,81,28,000	10,82,78,000	26,42,56,000	25,85,55,000

#### MINISTRY OF INDUSTRY

#### MINISTRY OF LABOUR

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 68 and 69 relating to the Ministry of Labour for which 6 hours have been allotted.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown

*Demands for Grants, 1977-78 in respect of the Ministry of Labour submitted to the vote of Lok Sabha.*

in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 62 to 64 relating to the Ministry of Industry."

*The motion was adopted.*

in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charge that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 68 and 69 relating to the Ministry of Labour."

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
68.	Ministry of Labour	28,33,000	..	56,67,000	..
69.	Labour and Employment	22,46,00,000	3,15,000	44,76,00,000	6,31,000

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Now, the discussion will go on till about 6.30 and the Minister will reply tomorrow. I think that is the best arrangement that we can have. Shri Sathe.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Let me begin by, first, welcoming to this portfolio a young, dynamic and balanced person as Labour Minister. I believe that this is a vital and important portfolio particularly in view of the fact that one of the major planks of the Janata Government is employment and that is immediately connected with Labour portfolio. Therefore, I am hopeful that the hon. Minister would be able to pursue a clear-cut policy with the infrastructure that he has in his Ministry, with the various reports that are there, with the Bhagwati Committee's Report having been completed.

So, we have in this Ministry today a fair enough picture of the problem of unemployment and also of the ways and means, of tackling it provided the hon. Minister is able to implement the programmes and policies which they themselves have announced.

I would like to take this question of employment and particularly related to various machinery that they have, such as, the employment exchanges and the working of the various institutions. It appears from the Report, Part II Volume, connected with this subject that there is a wide range of training programme and that covers training of crafts, technicians under the network of the institutes, like, about 356 Industrial Training Institutes with the seating capacity of 1.54 lakhs, the Advanced Training Institute, Madras, for train-

ing high-skilled workers with the UNDP assistance, the Foremen Training Institute, the Central Staff Training and Research Institute at Calcutta, the Central Training Institute for Instructors, the Advanced Training Institute for Electronic and Process Instrumentation and Similar other institutes that have been set up.

Now, if we see to the problem of employment that has been tackled, we will find that the employment in the organised sector increased from 196.71 lakhs as on 31st March, 1975 to 202.07 lakhs at the end of March, 1976. The number of people employed in the public sector are 128.68 lakhs and 68.4 lakhs in the private sector. As far as the people who are today on the employment register, the Report says that a total number of work seekers on the live register of employment exchanges showed a rise of 5.2 per cent from 93.26 lakhs in December, 1975 to 98.13 lakhs in December, 1976. The total number of placements effected during 1976 were only 4.91 lakhs. This will show that as far as the educated unemployed are concerned, that is, those who are of matriculation standard and above, their number was 49.34 lakhs at the end of June, 1976 as against 43.42 lakhs in June, 1975. No break-up has been given of placements found for the educated unemployed.

13.50 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

As far as Scheduled Castes are concerned, out of about 13.3 lakh persons, only 38508 have found placement. This shows that we have not touched even the fringe of the problem of finding employment. If we find employment only for the additional job seekers, which has been done, that is, about 5 lakh persons, then you still have on your hand a backlog of over 93 lakh persons. You can understand the magnitude of the problem of unemployment in this country.



If this problem is to be really tackled, then it is obvious that we will have to find employment not in the organised sector, which has reached more or less a saturation point, but in the rural sector. The Minister of Industry himself is a great trade unionist. It is heartening to hear from him that he is planning the increase of employment in the rural sector, in the small scale industries. If this is coordinated with the Ministry of Labour and both the Ministries work together along with other Ministries concerned, particularly the Ministry of Finance, I have no doubt that this is not an impossible task.

The man-power and the labour force that we have in this country is so great, as you know, that the real wealth is always our goods. In basic economic term, wealth is what labour creates by its work on land and the land means all the resources. When I say labour, it includes everything like artisans, artistes, skilled and unskilled. Therefore, if this wealth is to be created, it has to be in terms of creating more goods, and when we talk of goods, let us think in terms of essential consumer goods. If we comproduce in the rural areas basic consumer goods, it is good. We have the resources. It is not that there is any dearth of resources in this country. In the rural areas, you can produce agricultural commodities. Agro-industries can be brought up. Essential things like poultry, food stock, vegetable, handicrafts for necessity of life like furniture, other things, like other goods, can be produced there. There is no dearth of raw-material.

The only question today is, as I said once here, that you always think in terms of economic market. In the urban areas, as far as market is concerned, the purchasing power is hardly restricted to two crores of population; the remaining 60 crores is not the market in economic term, and therefore, they have no purchasing power. and you do not have any

goods to produce for them, even these goods that may be produced in the small scale sector. We find that they depend on the urban market and if they cannot sell their goods in the urban market in competition with the capital intensive advertisement based industries, large scale industries, then their goods would not be sold. That is the real problem. The crux of the matter is the marketing of these goods.

I have something to do with the small scale industries and I can tell the hon. Minister that the main problem of these industries, of the self-employed people in the rural areas or small towns is: (a) raw-material assurance and (b) marketing of the goods.

These are the two major constraints. If you can control the total national market of essential commodities, if you can regulate it and stop this competition with the Lever Brothers, with the multinationals, with even the monopolists in the country, it will be good. The other day some hon. Member was asking: 'Why do you need competition in the area of soap or tooth-powder or tooth-paste or some such small things which can be produced by any matriculate knowing a little bit of chemistry and technology?' Don't you know that, in your public sector, in your government departments, you do not purchase a bucket or a shovel or a pick-axe produced by a small-scale manufacturer? Why? They say that it must have the stamp of Tayyabji or Tatas or some much thing. Your own officers do not encourage the small-scale producers. Government is one of the biggest buyers in the country. You should encourage the small-scale people. Your Ministry, while formulating the entire national plan, will have to think in terms of this basic thing, how you are going to market the produce. There should be no fear of that. If they produce, then they get the purchasing power in the rural area.

[Shri Vasant Sathe]

Immediately there is a market there also.

My friend was talking about khadi. I have my reservation there. Let that not be a fad. When you think of khadi, let us think of handloom, that is, what can be produced on a larger scale; and a good cloth can be produced if your spinning mills can give yarn to the handloom weavers. But you have to protect them from competition with the large scale sector. Here lies the whole total panorama of the employment problem. It is no use merely paying a lip sympathy; Ministries after Ministries, Government after Government, have been doing it, but they have not been able to tackle the problem because they leave it to the people to market their goods which the poor people, in competition with the large houses, cannot do. Therefore, marketing is the essence of providing employment on a large scale and relief to the producers of essential consumer goods.

Then I would also like to submit that, if you really want to give employment, then you must reserve areas relating to consumer goods to the small scale and village industries. Today what is happening in our country? Whereas in the public sector you produce the infra-structure base, the raw materials required like the steel, coal, cement, fertilisers power and all other things, producing the entire profit-making goods, consumer goods, is in the hands of the private sector. That private sector, basically, is the large scale sector. Who, as I said, produce only for that class where there is purchasing power and make all the profits, and those profits are accumulated in the hands of a few in the private sector who get richer. The gap between the rich and the poor is, thereby growing; the number of the people living below the poverty-line has grown; they are about 60 per cent in the country today. How

are we going to fill this gap? Unless you deliberately make a plan . . . .

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may address the Chair.

SHRI VASANT SATHE: I am addressing them through you, Sir. You can always take this for granted. If I do not look at you always, please forgive me, Sir.

14.00 hrs.

I would like to submit that the main thing is to regulate the productive activity in the country, particularly the production of essential commodities.

Who is going to produce these essential commodities? Unless you determine this, you will not be able to solve the problem of unemployment in this country. Imagine what tremendous resources we have—60 crores of population of whom at least 30 crores are work-worthy. If their 60 crore hands can just produce goods, we can flood the world market and not only fulfil the necessities within our own country, especially with the cheap labour that we have. See what Japan does. A country with only 4 crore people, it brings iron-ore and other raw materials from other countries of the world and produces 110 million tons of steel and steel goods and sells them to different countries of the world. While that country can do this, we, with so much iron ore in the country, produce hardly 8 million tons saleable steel—and then we start perspiring and ask what we are going to do with the surplus stocks—surplus stocks of steel surplus stocks of coal, surplus stocks of cement, etc. How can we have a surplus of these things with so many people needing these goods in the country? This is only because, as I have said, to begin with your whole economy is the economy of a mini-India with 2 crore people and not of a 60 crore India. If you want to solve the problem of unemployment, you will

have to think in terms of a 60 crore India, the total India. Then alone will you be able to mobilise and utilise the resources properly.

Talking of employment, you have the National Service Act. I was surprised to see from this Report that National Service is defined to mean only that service which has something to do with defence of the country. I do not understand why there is such a restriction on the definition of National Service. Any developmental activity of a nation building character should be a National Service. We can employ lakhs and lakhs of persons in nation building projects like, for instance, the completion of the Rajasthan Canal or any other big river-valley project. Irrigation is such an important thing and if we can cut across our party barriers we can make a 'worthwhile effort. You, with such tremendous popularity, can mobilise the motivation of the people of this country and we, on our side, will cooperate with you in any such effort—because this is not a Party matter but a national matter. Under the National Service programme, let us enthuse our youth and involve them in such projects of nation-building character as the river-valley projects—the completion of the Rajasthan Canal, which I mentioned earlier, the Chambal Valley scheme or any other such programme. You will be able to employ lakhs and lakhs of young men there by rotation and, when the programmes are completed, you can give employment to these people there.

You have the Apprenticeship schemes; but see the tragedy of these schemes. You have trained so many young men. They come to us and they must be coming to other Hon. Members also with the complaint that they have been trained but there is no employment for them after completion of the training. In the Employment Exchange registers there are

lakhs and lakhs of people. Ninety-three lakh people are on the live registers, but this does not give a true picture of how many people are actually unemployed as this covers only those industries which employ more than ten persons, while self-employed people and agricultural labour etc. are excluded from its purview. The picture is therefore incomplete. And yet, even for these 9 lakh people we cannot provide employment. Why is this so? It is because there is no co-relationship between the availability of Jobs and the persons for whom placements are to be found.

I would beg of you to consider in this context the increasing age of those who are on your live registers. As long as they remain on your live registers, the age limit should be calculated taking into account the years they have been on your live registers. After one has attained 25 years of age, it is said that he is not fit or considered not fit for any job in Government, semi-Government or other offices. This is one suggestion that I would like to make.

While talking of these employees categories, I find from your Report that out of 13 lakh women job seekers, hardly 58,000 women were able to find placement. We know that our capacity to find placement for them and other in this country is very limited, but you will have to open very wide range of self-employment jobs in the rural and also urban areas to accommodate specially women, weaker sections of our society, scheduled castes and scheduled tribes etc.

My second point is regarding the labour laws of our country. This is another subject which concerns this Ministry. I have had to do something with labour legislation as a person who has worked in the trade union field for more than twenty-five years and as one who has been fighting labour cases from labour courts right upto the Supreme Court. I can

[Shri Vasant Sathe]

tell you from my personal experience that it is high time that we have one comprehensive labour code. This has been talked of and thought of, but nothing has been done so far. There is such a plethora of labour laws overlapping each other like Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, so many other laws for the welfare of the workers; every State has its own Industrial Relations Act; the Provident Fund Act, Maternity Act etc. and so many other laws meant for the benefit of the employees. But what happens now? A large section of the employees are out of the purview of the Industrial Act, because the courts have declared that they do not come within the definition of workmen. For example, medical salesmen were not considered as workmen; hospital employees were not considered as workmen. One Supreme Court judgement said that they were workmen, later another decision of the Supreme Court said, they were not workmen. Therefore, I say, that there must be a comprehensive code concerning the labour and the benefits which should be given to them. If you prepare a comprehensive code, you will be able to solve many problems. The employer-employee relationship should also be covered by that code. I find that in the Industries Development Regulations Act, many of these industries are out of the purview. Even if they go sick or are mismanaged there is no method of taking them over and on this point, I would like to ask: why do you think in terms of allowing amalgamation etc? We talk of labour participation in management. Has the time not come to allow the workers to become share-holders and run the industry which has become sick? I know of an instance of Model Mills, which was the first to be taken over at my instance under the Industries Development and Regulation Act at Nagpur. The mill was closed and within six months the employees ate away Rs. sixty lakhs of their provident fund. Why don't you allow them to utilise their pro-

vident fund as share capital and run that unit as an industrial unit of the workers. And, wherever the workers have participated, whether in the public sector like Steel industry, or private sector like Geep Fiasa Light Industries, or other units in Maharashtra, they have created wonders.

Therefore, let us not distrust our workers that they do not have the capacity. Once they feel, 'Now it is our job, it is our stake,' then they will give the results and they will work for their own interests. Therefore, instead of allowing amalgamation, when public funds are involved, the private industries get money from you, from your public financial institutions—80 per cent of their money is from the public financial institutions—why not the workers get it? Why should you not penalise and put a cess on those industries who made these units sick, siphoned off all the money from there and put it in some other profit-making units? Why not you levy some cess and take the funds and make it available to the sick units? If there is a will, there is a way.

Workers of this country to-day must get a feeling of belonging and that feeling of belonging can be given by participation at all levels. Here, I would only like to say, as a trade unionist, that a stage has come when we should end this trade union rivalry. If you make workers in every industry as partners and shareholders, then why should there be any trade union rivalry? Let the workers elect their own representatives from among themselves on the Board of Management. Let that not be a show only. We must have their real participation. At least one-third of the Board of Management must be the elected representatives of the workers. One-third should be from the financing institutions. You give 80 per cent of the money to these private industries. Why should you not tell them that they must take at least one-third on the Board of Management from you, directly from the Government who are the representatives of the people, one-third from the workers and one-third

will be from the private management. Thus, you will be able to regulate and control the productive activity and the mischief that is done to-day in the industries of hiding the real profits. Then, they will not be able to hide the profits and, then, when the workers are partners, you can correlate their interests, their wages, their bonus with productivity. That is the real way of doing it.

As a trade-unionist, I beg to submit that I am not in favour of saying, although it may sound unpopular, that...

MR. CHAIRMAN: The hon. Member's time is over. You have already taken 30 minutes. Please conclude.

SHRI VASANT SATHE: I am concluding.

You may consider this. Bonus unrelated to productivity or production is not a happy phenomenon. It is all right to say that it is considered a deferred wage and, therefore, we must now give 8.33 per cent as bonus, whether it is loss or profit. But some day, you will have to correlate it. But that cannot be done as long as employees are only employees and they have no voice in production or management. But once you give that voice by real participation, then you will be able to correlate the production to wages.

One last sentence. Your Bureau of Employment Statistics, index preparing and all that is in Simla. It has been so long there because they have been saying that they do not find any place either in Delhi or anywhere in the whole country. They are on the sylvan heights of Simla. Is it not high time that you think of bringing them down to earth? If you do not have any place, then come to Nagpur, a centrally situated place or Hyderabad...

SHRI VAYALAR RAVI: Or Akola.

SHRI VASANT SATHE: Yes, for that matter, Akola.

Therefore, I would submit that this thing also should be considered.

Thus, in totality I will end by saying your Labour Ministry is a very important Ministry. There is a study group, a Sub-committee and the infrastructure is there. Let us get down to the task of mass employment in productivity. That must be the slogan, maximum number of people in this country, a work force getting productive work in their houses, in their homes, in their cottages. If this is the slogan and control marketing, don't leave it, the entire marketing activity in this country must come under the regulation, under the umbrella of some National Marketing Corporation or whatever you may call it, and bring even the private traders into the discipline. Without this, we will not be able to solve the problem of unemployment in this country.

Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak.

PROF. SHIBBAN LAL SAKSENA (Maharajanj): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to implement the assurance of the former Minister late Shri Kumaramangalam that the Gorakhpur Labour Depot will continue to provide labour to coal mines and other undertakings (1).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to review the proposal to give away two hospital wards of the Gorakhpur Labour Depot to U.P. Government when the labour depot badly needs them for serious patients (2).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Prof. Shibban Lal Saksena]

[Failure to bear 50 per cent of the expenditure on running the six medical centres for welfare of ex-coal miners and their families in Gorakhpur Depot (3).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to reinstate one thousand dismissed labourers of Mahabir Jute Mills Sahjanwa, District Gorakhpur (5).]

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I beg to move:

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Failure in enforcing labour laws (14).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Failure to prevent the Management of Indian Express in Delhi from closing its concern (15).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Long delays occurring in settling industrial disputes (16).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to implement the minimum wages for agricultural labour in rural areas (17).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to prevent accidents in mines (18).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to modernise the mines-rescue services (19).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to spend more money for labour welfare (20).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to appoint labour officers in industrial institutions as per the provisions of the Act (21).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to implement the Employees Provident Fund Act correctly (22).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to spend Central Coal Mines Rescue Station Funds profitably (23).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to register artisans and skilled workers like masons in Employment Exchanges (24).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to provide houses to all factory labourers (25).]

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to clear all dues of workers of the money deducted from them under the CDS (26).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Delay in setting up the Committee to go into the question of a new industrial relations law for the country (27).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure payment of minimum bonus at 8.33 per cent (28).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to extend the right of bonus to all employees of the public sector undertakings and the railways (29).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to revamp the ESIS and to check the malpractices of the administration and the medical personnel (30).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to associate labour at all stages of the discussion of the Sixth Plan (31).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to end the delays in clearance of provident fund dues (32).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to undertake measures to clear labour disputes by toning up the conciliation and industrial relations machinery at all levels (33).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to evolve a method of recognition of unions by means of secret ballot (34).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1."

[Failure to take steps to reopen the units which have been under closure, look-out or partial closure and ensure protection of employment to the workers (36).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced to Re. 1."

[Failure to take penal action against all employers who have closed down or locked out their concerns thereby affecting employment and production (37).]

"That the demand under the head 'Labour and Employment' be reduced by Rs. 100."

[Need to check widespread malpractices in the Labour Exchanges throughout the country (42).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Delay in evolving a national wage policy and ensuring a national need based minimum wage (94).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to ensure minimum 8.33 per cent bonus in both private and public sectors (95).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."



[Shri K. A. Rajan]

[Failure to honour the agreement signed between management and employees of the LIC (96).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Failure to evolve a scheme to provide employment to the bonded labour who have been released (97).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to speed up implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act (98).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to settle the issues facing the employees of Jaipur Ddyog Limited (99).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to resolve the problems facing the employees of Punjab National Bank regarding the promotion policy settlement of clerks and Special Assistants (100).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to establish and set up fair price shops for essential commodities at lower prices in all industrial enterprises for the welfare of workers (101).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to take more stringent action against employees who default in payment of E.S.I. and E.P.F. dues (102).]

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Need to settle demands of the workers of the Glaxo Limited, Bombay and to order reinstatement of the victimised workers (35).]

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Discrimination against the employees of the public sector in referring industrial disputes for adjudication (92).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced to Re. 1."

[Giving full veto power to the employing Ministries and Departments to refer industrial disputes which the Labour Ministry considers just and fair (93).]

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Discrimination against the employees of the public sector in referring industrial disputes for adjudication (103).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Giving full power to the concerned Ministries of the public sector undertakings to veto any decision to refer the industrial disputes for adjudication as and when the Labour Ministry feel it right (104).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to declare 8 1/3 per cent Bonus to all workers (105).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to declare Bonus as a deferred wage (106).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to make ESI scheme acceptable to workers (107).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to give better medical benefits as compared to ESI scheme (108).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Functioning of ESI Scheme and its failure to provide better medical facilities to workers (109).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to accept the demand of workers of Instrumentation Ltd., Palghat for exemption from ESI Scheme (110).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to check the growing unrest among workers (111).]

"That the demand under the head 'Ministry of Labour' be reduced by Rs. 100."

[Failure to enact comprehensive legislation on labour disputes (112).]

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) :

मान्यवर, मैं माननीय श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तावित श्रम की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस के साथ ही मैं अपने वरिष्ठ साथी माठे साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन से पहले लगभग 19-20 महीनों तक सारे देश में एक विशेष शासन व्यवस्था रही और उस काल में यदि सब से ज्यादा किसी के साथ ज्यादाती हुई तो वह इस देश का मजदूर वर्ग है। वहीं नहीं कि उन को उसी स्थान पर रखा गया, बल्कि यह भी हुआ कि पिछली सरकार के बनाये हुए कानून के मुताबिक जो उन को बोनस 8.33 परसेंट मिलता था, उस को भी घटा कर 4 परसेंट कर दिया गया। इतना ही नहीं यह चार परसेंट भी कारखानदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया, यदि उन को कारखानों में मुनाफा होता है, तब उन्हें वह बोनस मिलेगा, और मुनाफा वहीं होता है तो बोनस नहीं मिलेगा। यही नहीं—हमारी तरफ बहुत सी चीनी मिलें हैं, उन मिलवालों ने न केवल उन का बोनस रोका, बल्कि उन की तनख्वाहें भी प्राइस इण्डक्स के आधार पर 40 रुपये से 45 रुपये महीने तक कम कर दीं। इस एमजेंसी के दौरान यदि किसी को सब से ज्यादा कष्ट हुआ है तो वह कारखानों का मजदूर है।

मैं आज माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ—उन के ऊपर आज एक बड़ा भारी बोझ आ पड़ा है। सारे देश में जो एक बड़ा भारी असंतोष था, जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के बाद लोगों को एक आशा बन्धी है। मैं नहीं जानता कि उन की आशाओं को किस

### [श्री रामधारी शास्त्री]

सीमा तक पूरा करने में आप सफल होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री जी अपनी डाइनमिक पर्सेनलिटी से इस तरह के नियम बनायेंगे, इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिस से मजदूर वर्ग में जो असन्तोष व्याप्त है, वह समाप्त हो। आप की सरकार धीरे धीरे उन की समस्याओं का समाधान करेगी। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अब जनता ज्यादा इन्तज़ार करने वाली नहीं है—इस लिए बहुत तेज़ी से आप को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

जब आपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था—तो अंग्रेजी के चुनाव घोषणा पत्र के पृष्ठ 17 पर जहाँ आप ने दूसरी बातों का उल्लेख किया, वह यह प्रतिज्ञा भी आप ने की थी कि :—

Janata Party's economic programme envisages deletion of property as a Fundamental Right.

2. Affirmation of the right to work and full employment strategy.

यह बड़ी भारी प्रतिज्ञा है, कोई छोटा काम नहीं है कि सरकार जनता के फंडामेंटल राइट्स में यह बात जोड़ दे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है और उन को काम देने की जिम्मेदारी सरकार की है, सब को पूरा-पूरा काम मिलेगा। यह एक गुरुतर भार है जो इस सरकार को अपने ऊपर उठाना है।

साठे साहब ने कुछ फिगर्स कोट कर के यह साबित करने की कोशिश की कि इस देश में बेकारों की बहुत बड़ी तादाद है। रोज़गार दफ़तरों की फिगर्स से यह स्वयं सिद्ध बात है। लेकिन साठे साहब पूरी फिगर्स नहीं दे सकें। आज देहातों और शहरों में जो पढ़े-लिखे लोग हैं,

वे रोज़गार दफ़तरों में अपना नाम लिखाने नहीं जाते—यदि सब को इस में शामिल किया जाये तो यह संख्या बहुत ज्यादा है। मैं इसके बारे में कुछ सुझाव आप के सामने रखना चाहता हूँ। साठे साहब ने ठीक ही कहा है कि काटेज उद्योग फैलाए जाए, छोटे-छोटे उद्योग फ़लाए जाए, ग्रामीण उद्योगों को कायम किया जाय; लेकिन मेरा सबमिशन है कि क्या हम इनके लिये प्रतीक्षा करते रहेंगे? मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ—क्या हम कई साल तक इन बातों की प्रतीक्षा करेंगे—कि अगले दो-तीन सालों में जब काटेज उद्योग कायम हो जायेंगे तब बेकारी की समस्या का समाधान हो जाएगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार पहले की सरकार ने दूसरी, तीसरी, और चौथी योजना में इस समस्या को भूला दिया कहीं ऐसा न हो कि यह समस्या आपने बूते से भी बाहर हो जाए। मैं संकेत करना चाहता हूँ कि यह बेकारी की समस्या किस हिसाब से बढ़ रही है। मेरे पास रोज़गार दफ़तरों के आंकड़े हैं इनसे यह सिद्ध होगा कि यह समस्या कहां तक पहुंच गई है।

सन् 1950 में केवल 3 लाख 33 हजार लोगों ने रोज़गार दफ़तरों में अपने नाम दर्ज कराए थे। 1955 में यह संख्या बढ़ कर 6 लाख 92 हजार, 1960 में 16 लाख, 1965 में 25 लाख, 1969 में 34 लाख से कुछ ज्यादा, 1973 में 82 लाख, 1974 में 84 लाख, 1975 में 93 लाख से कुछ ज्यादा और 1976 में 97.7 लाख हो गई। बेकारी बेरोज़गारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगर हम यह सोचें कि काटेज इंडस्ट्रीज खोल कर इस समस्या का समाधान कर लेंगे और तब तक हम उसके लिए प्रतीक्षा करते रहें तो इससे काम चलने वाला नहीं है जब तक यह सब कुछ होगा तब तक बेकारी की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिस प्रकार से इस समस्या पर पिछली सरकार नियंत्रण

नहीं पा सकी, उसी प्रकार से इस सरकार के लिए भी इस समस्या पर काबू पा सकना असम्भव हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करें।

मान्यवर हमारे देश में जितने कारखाने हैं उनमें जो आदमी काम पर लगे हुए हैं, जिन बारे में माननीय साठे साहब ने भी फिगर्स दी हैं जो कि ठीक ही हैं, उनके बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं— सरकारी क्षेत्र के कारखानों में एक करोड़ 34 लाख 20 हजार और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में 67 लाख 19 हजार लोग काम पर लगे हुए हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जो आरगेनाइज्ड लेबर है वह सब मिलाकर दो करोड़ से कुछ ज्यादा है। पिछले दिनों उद्योग मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हमारे यहां बेकारों की संख्या चार करोड़ से कम नहीं है, चार करोड़ से ज्यादा ही होगी। मान्यवर बेकारों के बढ़ने की जो गति है उसमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या इस्तजार किया जा सकता है।

मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कोरे नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है। ये जो बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, जो बड़े बड़े मुनाफे कमाते हैं, उनके ऊपर भी आपको हाथ लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप छोटे-छोटे उद्योगों को विकसित करें। लेकिन इन सबके करने के बावजूद भी आपको एक काम मजबूती के साथ करना पड़ेगा वह यह है कि कारखानों में काम के घंटों में कमी। इसके सिवाय इस देश की बेकारी की समस्या का और कोई सोल्यूशन नहीं है।

हिन्दुस्तान में आठ घंटे जो वर्किंग डे हैं, उसको घटाकर आपको 6 घंटे का वर्किंग डे करना पड़ेगा। तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकेगा। इस पर बहस हो सकती है, अर्थशास्त्री

इस पर कुछ विवाद उठा सकते हैं कि इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एकाध पैसा कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन बढ़ती हुई बेकारी के लिए यह ज्यादा नहीं होगा। मैं मंत्री जी के ध्यान में इन काम के घंटों का इतिहास लाना चाहता हूँ। सबसे पहले 1908 में जब फैक्ट्री लेबर कमीशन बैठा तो अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई कि उस जमाने में एक श्रमिक 13 से 15 घंटे काम पर लगता है। उस जमाने में कमीशन ने यह सिफारिश की कि 12 घंटे का काटन मिलों में प्रयोग किया जाये। 1911 में यह प्रयोग सफल रहा। काम की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से वह प्रयोग सफल रहा। उसके बाद 1922 में फिर सुधार हुआ। 1922 में साठ घंटे प्रति सप्ताह काम के लिए गए। उससे भी उत्पादन में में वृद्धि हुई कोई घाटा नहीं हुआ। यह भारत के कारखानों का रिकार्ड सौ करता है। 1929 में एक कमीशन बैठा जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 में दी। मोटे तौर पर उसको विहटले कमीशन की संज्ञा दी जा सकती है। अपने अनुभव के आधार पर उसने यह सिफारिश की :—

"But there can be little doubt that following the change on the average, the efficiency of the operation has risen substantially."

उसके बाद उसने और सिफारिश की:—

"The existing weekly and daily limits be reduced to 48 and 8 respectively and that provision be made for adequate rest period etc...."

उसके बाद अपनी राय जाहिर की :

"They believe that, within a reasonable period of time, it would result in increased efficiency and would be a sound economic proposition."

### [श्री रामधारा शास्त्री]

रायल कमीशन ग्रान लेबर की भी रिपोर्ट है। वह 1931 में बैठा था। उसकी राय पर अमल करते हुए सबसे पहले 1934 में हिन्दुस्तान में फ़ैक्ट्री ऐक्ट बना। उसके बाद 1948 में माडिफिकेशन करके फ़ैक्ट्री ऐक्ट बना। 1936 में सबसे पहले हिन्दुस्तान के कारखानों में आठ घंटे काम के निर्धारित हुए। इसके बाद मजदूर यूनियनों के माध्यम से यह चोज़ चलती रही। 1966 में नेशनल कमीशन ग्रान लेबर बैठा। उसने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 1969 को भारत सरकार को सबमिट की। आई एल ओ की सिफारिशों के आधार पर उसने यह राय दी थी काम के घंटे कम किए जाएं। उसकी रिकमेंडेशन में यह सिफारिश की गई :

"In the first stage, the working hours should be brought down to 45 a week and, in the second, 40 a week."

अपनी रिपोर्ट के पेज 104 में उसने अपनी यह राय जाहिर की है। दुनिया के दूसरे देशों को भी लें। आस्ट्रिया में 35.8 घंटे प्रति सप्ताह है इसी तरह डेनमार्क में 33.4 घंटे प्रति सप्ताह है। नार्वे में 35.5 घंटे प्रति सप्ताह है। पुरुषों के लिए और 30.6 घंटे प्रति सप्ताह महिलाओं के लिए है। ये छोटे-छोटे देश हैं। दुनिया के वे देश जो दुनिया को नई दिशा देते हैं वहां भी तीस और पैंतीस घंटे प्रति सप्ताह काम के निश्चिन किए गए हैं। भारत में बेकारी विकराल रूप में विद्यमान है। यहां लोग दाने-दाने के लिए तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहां काम के घंटे कम करना जनता पार्टी की सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने का इसके अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता है। उद्योगपति इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन आपको मजदूरी के साथ इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और दृढ़ता दिखानी चाहिए। आप काम के घंटे ज्यादा नहीं तो आठ से छः

करें। इससे सारे देश में एक करोड़ लोगों को काम तुरन्त मिल जाएगा। ज्यादा को भी मिलेगा। जो आर्गोनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहां मिल जाएगा।

पालियामेंट में एक बहस हुई थी 1957 में। तब एक कमीशन बैठा था जिस का नाम पटेल कमीशन था। उसने सबसे गरीब जो तीन जिले हैं गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया उनके बारे में 1962 में एक रिपोर्ट सबमिट की। उसने सिफारिश की कि वहां की बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए-नए कारखाने, नए-नए छोटे उद्योग घंटे वहां लगाए जाएं। पटेल कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई लेकिन उसको अलमारियों में बन्द करके रख दिया गया। उसको किसी ने शायद पढ़ा तक नहीं, उस पर अमल करने की कोशिश तक नहीं की। अब भी देवरिया जिले में चौदह चीनी मिलें हैं जिन में से तीन मिलों के मजदूर जिन की संख्या तीन हजार से ज्यादा है आज भी बेकार हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कोई कदम उसने इसके बारे में नहीं उठाया छितीनी शूगर फ़ैक्ट्री है जहां के 1100 मजदूरों को पिछले तेरह महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और वह फ़ैक्टरी ले ली। इस तरह का उदाहरण कम मिलेगा कि 13 महीने से जिस चीनी मिल के मजदूरों को तनख्वाह न मिली हो वद्व कैसे रहते होंगे। और यही स्थिति गोरखपुर जिले की सिसवा और घूघली शूगर फ़ैक्टरी की है जिसको सरकार ने अभी लिया है, और मजदूरों की तनख्वाह 6 महीने की बाकी है, और यह फ़ैक्ट्री श्री दीपक प्रदीप की है जो कांग्रेस पार्टी के ट्रेडरार है, लेकिन उन्होंने जान बूझ कर फ़ैक्ट्री का दिवाला निकाल दिया। इसलिए बेकारी की समस्या का अगर समाधान करना है तो मंत्री जी को मजदूरी के साथ आई० एल० ओ० की सिफारिश के अनुसार मजदूरों के हित में काम के घंटे कम करके 6 घंटे प्रति दिन करने चाहियें, तब जाकर समस्या का समाधान होगा अन्यथा नहीं।

बोनस का भी एक झगड़ा है। सरकार ने तो अपने कारखानों पर लगा रखा है कि वहां बोनस नहीं मिलेगा, चाहे वह कारखाना हो या दफतर हो। जो सरकारी कारखाने हैं उनमें आप ऐक्स-प्रेशिया करके चाहें जो दे दें, मगर मजदूर अधिकार के तौर पर उसको नहीं मांग सकता है। सबसे पहली बात यह है कि यह बोनस क्यों मेहरबानी पर है। सरकार ने कानून बनाकर छोड़ दिया कि मर्जी पर है अगर मुनाफ़ा हो तो दें। और मुनाफ़ा सभी को होता है क्योंकि अगर मुनाफ़ा किसी मिल मालिक को न हो तो वह पैसा नहीं देगा, मिल भी बन्द हो जाएगी।

बोनस के सम्बन्ध में यह कहना है कि बोनस का काम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में चालू हुआ जब बढ़े हुए प्रोडक्शन की जरूरत हुई तो उन्होंने वार बोनस करके मजदूरों को दिया ताकि ज्यादा उत्पादन कर सकें; द्वितीय विश्व युद्ध में मान लिया गया कि मुनाफ़े का कुछ हिस्सा मजदूरों को देना चाहिए। और जब अपनी सरकार बनी तो 1961 में बोनस कमीशन रूँठाया और 1964 में उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने स्वीकार किया कि 4 परसेंट बोनस दिया जाय या 40 रु० दिये जायें। मगर उसके बाद जब गरीबी हटाओ सरकार आयी तो उन्होंने 8.38 परसेंट की बात कही, या 80 रु०। लेकिन जब इमरजेंसी आयी और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आयी तो पता नहीं किन वजूहात से उन्होंने इसे रोक दिया। 8.33 परसेंट से घटा कर 4 परसेंट कर दिया और वह भी उनकी मेहरबानी पर छोड़ दिया। इस हिसाब किताब में जब तक निजी व्यापारी हैं तब तक मजदूरों के बस का नहीं कि वह नफ़ा नुकसान जान सकें। इसलिये मैं चाहता हूँ कि बोनस को प्रोडक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिये। हमारे यहां चीनी मिलें बराबर चलती हैं, किसी में बोनस मिलता है और किसी में नहीं मिलता। जिनके यहां रकबरी अच्छी आती है वह बोनस देती है और दूसरी मिलें नहीं देती है। इसलिये बोनस

को भी प्रोडक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिये तब जाकर के मजदूर के साथ अन्याय नहीं होगा, हिसाब किताब का मामला खत्म होगा और प्रोडक्शन के साथ उनको मिलता जायगा।

इसी तरह हमारे यहां फ़िरोज़ाबाद बुड़ी के कारखानों का सबसे बड़ा केन्द्र है। लेकिन वहां का मजदूर बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे भिखमंगे रहते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जहां काम के घंटे का कम करने की जरूरत है वहां यह भी आवश्यक है कि काम की स्थिति ठीक हो, उनके रहने के लिये मकान की व्यवस्था हो, उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल हों, उनके लिये पार्क हों। फ़ैक्ट्री एक्ट में इसका प्रावधान है लेकिन कोई फ़ैक्ट्री मालिक इसे नहीं मानता है, और किसी भी फ़ैक्ट्री मालिक को आज तक जेल जाते नहीं देखा। इसलिये आप इस तरह की व्यवस्था बनायें। साठे साहब से मैं सहमत हूँ कि तमाम सूबों में जो अलग अलग तरह के श्रम कानून हैं उनका कोडिफ़िकेशन होना चाहिये, लेबर लाज को एक जगह इकट्ठा करके एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी और अधिकांश सूबों में यह है कि अगर कोई फ़ैक्ट्री एम्पलाई अपने काम से डिसमिस हो जाये, तो डिपार्टमेंट उसको आदेश देता है कि अपील करो या न करो। उसको राइट आफ अपील नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी मजदूर के लिये नौकरी का खात्मा हो जाना सजाएं मौत के समान है। जिस तरह से सजाएं मौत के खिलाफ किसी भी स्टेट में अपील हो सकती है, मर्सी एप्लीकेशन पड़ सकती है, उसी तरह से श्रम कानून में भी संशोधन होना चाहिये कि किसी भी मजदूर को एज ए राइट यह अधिकार होना चाहिये कि वह डिस्मिसल के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सके जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके।

[ श्री रामधारी शास्त्री ]

मजदूरों के रहने की स्थिति बड़ी खराब है। हमारे यहाँ चीनी मिल हैं। आधे से अधिक मजदूर सड़क पर सोते हैं। कानपुर में आप देख लें। दिल्ली में हमारी सरकार की नाक के नीचे भी यही होता है। मैं आपको 3, 4 नाम बताता हूँ—श्री ब्रजमोहन रोहतासी, श्री अनिल रोहनगी, सुनील रोहतगी, कपिल रोहतगी। ये सब भाई हैं और इनकी कई फर्म हैं—के० पी० आर० सेल्स, पी० ए० आर० सेल्स, पी० ए० आर० इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बी० आर० पिस्टन रिग्स। इस तरह से इन्होंने कई कारखाने बना रखे हैं। 40, 50 मजदूर रखते हैं। कुछ दिन उनसे एक फर्म में काम करा लिया, फिर उस फर्म का साइन-बोर्ड हटाया, दूसरा साइन-बोर्ड लगा लिया और कुछ दिन काम करा लिया और फिर तीसरा साइन-बोर्ड लगा दिया और काम करा लिया। इस तरह से वह मजदूरों का शोषण करते हैं। राजधानी में इस तरह की कम-से-कम 200, 300 फर्म होंगी, जो फर्जी काम करती हैं। जब चाहा, ये मजदूरों को निकाल देते हैं। उनको 5, 6 रुपये रोज देते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली शहर का लेबर डिपार्टमेंट की ओर से एक सर्वे होना चाहिये। यहां के श्रम विभाग के अफसर इन मालिकों से मिलें हुए हैं, इस तरह की ग्राम शिकायत मजदूरों की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

अब मैं समान वेतन, समान काम की बात कहना चाहता हूँ। यह एक बड़ा भारी सिद्धान्त है, सभी को मंजूर है लेकिन यह आज तक हिन्दुस्तान में हुआ नहीं है। जनता पार्टी की सरकार को अबिलम्ब इस ओर ध्यान देना चाहिये।

यही नहीं काटन मिलें हैं, शुगर फैक्टरीज हैं, स्टील फैक्टरीज हैं, सब जगह अलग-अलग मिनिमम वेज है। मेरा कहना यह है कि सारे

इस में एक पैमाने पर सभी फैक्टरीज में मिनिमम वेज एक समान होना चाहिये। इसी तरह से बैंकिंग इण्डस्ट्रीज में हैं। अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग स्तरों से मिनिमम वेज बनाये हुए हैं। यह भी समाप्त होना चाहिये।

इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी नेशनल पे-स्केल होना चाहिये। कोई बजह नहीं है कि मूबों में काम करने वाले कर्मचारियों को, उसी योग्यता, उसी तरह के पद और उसी नेचर के काम करने वालों को कम तनखाह मिले और केन्द्रीय सरकार में ज्यादा तनखाह दी जाये और सुविधाएं भी दी जायें। इस ओर भी मन्त्री जी का ध्यान तुरन्त जाना चाहिये ताकि इसमें सुधार हो।

लेबर मशीनरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मजदूर ने हड़ताल कर दी तो उसके लिये सरकारी मशीनरी है। हमको एक लेबर का केस याद पड़ता है। शुगर मिल पड़गौली में 11 बरस पहले एक डाक्टर को निकाल दिया, लेकिन आज तक उसके केस में कुछ नहीं हुआ है। स्टेट की मशीनरी क्या है यह मैं बताता हूँ—जैसा मार्क्स ने कहा था—

“The State is a machinery in the hands of richer to oppress the poorer.”

ऐसा ही लगता है कि वह बात जैसे की तैसी आज भी सही है। स्टेट की लेबर कॉर्ट की मशीनरी मजदूरों को तबाह करने के लिये है। आपकी किताब कहती है, मैं एक वाक्य पढ़ देता हूँ—

“From 54 per cent in January 1976, the percentage of time-loss relating to lockouts increased to a staggering figure of 90 per cent in May, 1976. During January-December 1976, lockouts accounted for 79 per cent as compared to only 17



per cent and 24 per cent during the calendar years of 1974 and 1975 respectively."

तो इससे आप देखेंगे कि 1975-76 में जब एमरजेंसी पीक पर थी, तो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मिल मालिकों ने तोड़ा है, लौक-आउट किया है। सबसे ज्यादा उनका कसूर है। 90 प्वाइन्ट तक यह पहुंच गया, लेकिन किसी मिल मालिक को सजा नहीं हुई। अगर मजदूर हड़ताल करे तो उसके लिये सरकारी कानून बने हुए हैं, चाहे वह किसी अफसर की ज्यादाती के कारण ही हो।

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिये कि हमारे कानूनों का रख श्रमिकों की तरफ हो, मालिकों की ओर न हो। अब तक जो कांग्रेस की सत्ता थी, वह मिल मालिकों की तरफदारी करते थे, पूंजीपरस्तों की इज्जत ही रही थी। उनको छोड़ कर अब जो यहां श्रमिक नीति हो वह धर्म उन्मुख होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्रम मन्त्री की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री उपसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

कल्ल इसके कि मैं इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों और सरकार द्वारा वितरित रिपोर्ट में दी गई सामग्री के विषय में कुछ कहूँ, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लेबर विभाग की पुस्तिकाओं और रिपोर्टों में पहले की तरह "मक्षिका स्थाने मक्षिका" के अनुसार केवल स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े दे देने से काम नहीं चलने वाला है। मैंने देखा कि जो साहित्य हमें दिया गया है, उसमें बेसिक रीडर के से पाठ लिखे हुए हैं। उदाहरण के लिए, एम्प्लायमेंट के सम्बन्ध में

कुछ आंकड़े तो दिये गये हैं, लेकिन इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कब से खड़ी हुई है, उसके हल के लिए सरकार की ओर से अब तक क्या उपाय किये गये हैं और उसके समाधान के लिए भविष्य में सरकार किस नीति का पालन करेगी। जो साहित्य हमें दिया जाता है, अगर सरकार चाहती है कि उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें, तो मंत्री महोदय को यह कोशिश करनी चाहिए कि अगले बजट के अवसर पर हमारे सामने जो साहित्य रखा जाये, उस में देश के करोड़ों मजदूरों से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं का समुचित रूप से विवेचन किया जाये।

माननीय सदस्य, श्री साठे, श्री शास्त्री ने कहा है कि वर्तमान श्रम कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सी विषमतायें विद्यमान हैं। मुझे लगता है कि जो साहित्य पिछले तीस वर्षों में वितरित किया जाता रहा है, वही विषमतायें उस में भी मौजूद हैं। मंत्री महोदय को इन विषमताओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिये।

मुझे भी कम से कम तीस वर्षों से ज्यादा तक मजदूरों में काम करने का अवसर मिला है। मैं कालेज में पढ़ता था। जेल से छूटने पर मुझे यू० पी० से एक्सटर्न कर दिया गया और मैं 1 अगस्त, 1945 को बम्बई चला गया। मैंने लेनिन की किताबों को पढ़ा था कि सब से ज्यादा क्रान्तिकारी मजदूर टैक्सटाइल का मजदूर होता है। इसीलिए मैं काटन टैक्सटाइल मजदूरों के बीच में काम करने लगा। उस बात को बहुत दिन गुजर गये हैं। मैं पांच दस वर्ष से बम्बई नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की हालत को जानता हूँ। 1945 से 1949 तक वेतन आदि विभिन्न मांगों को लेकर कपड़ा मजदूरों की हड़तालें होती थीं और उनके जलूस निकलते थे। लेकिन तथ्य यह है कि उस समय

## [ श्री उग्रसेन ]

उन लोगों की जो क्रय शक्ति थी, आज वह उससे कम हो गई है। इसका क्या कारण है ?

इसका एक कारण यह है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं थे और सरकार की नीति पूंजीपतियों की पोषक थी, वह पूंजीपतियों की पोषक रही है। टाटा, बिरला, सिंहानिया सूरजमल नागर मल बजाज, खेतान, रूंगटा, चूंगटा की चेरी रही है और मजदूरों को खत्म करती रही है। इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले कोई माननीय सदस्य बता सकते हैं कि कोई ऐसी मिल है जहां से सांचे उखाड़े नहीं जा रहे हैं? चले जाइये यहीं दिल्ली में ठीक नाक के नीचे जहां यह आदरणीय सदन है जिस पर कि दुनिया की निगाह लगी हुई, यहीं पर एक दिल्ली क्लाय मिल है, भरत राम चरत राम जिसके मालिक हैं। मेरे पास वहां के मजदूर आए थे, बता रहे थे कि वहां के सांचे उखाड़े जा रहे हैं। 1939-40 में इस मिल में 12 हजार मजदूर काम करते थे। आज तीन हजार मजदूर काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके मालिकों ने ड्रासना में, मिल लगा ली। वहां पर मिनिमम वेज ढाई सौ, सवा दो सौ, दो सौ रुपय देते हैं जब कि यहां पर साढ़े तीन सौ, चार सौ रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए रोज सांचे उखाड़ उखाड़ कर रात में लेकर भागे चले जा रहे हैं। सरकार की आंख के नीचे यह सब हो रहा है, सरकार देख नहीं रही है। उनका यहां फायदा नहीं रहा इसलिए सांचे उखाड़े जा रहे हैं। मजदूर निकाले जा रहे हैं। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उनको हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब ये इस काम में लायक नहीं रहे हैं इनका स्वास्थ्य काम करने लायक नहीं है। यह सब क्यों हो रहा है? कांग्रेस के तमाम घोषणा-पत्रों में, मंत्रियों के भाषणों में, लेबर कान्फरेंसेज के निर्णयों में, आइ एल ओ

के डेसीशंस में, इंडियन लेबर कान्फरेंसेज के निर्णयों में हमेशा यह कहा जाता रहा है कि हम मजदूरों की नौकरी की गारंटी करेंगे, जो हैं उन्हें गलत तरीके से निकालने नहीं देंगे। उनकी नौकरी की सेप्टी के लिए तमाम कानून भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बनाए। 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बना था। अभी सन् 76 में उसमें थोड़ी सी तरमीमें हुई हैं। हर एक राज्य की सरकार ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसमें तरमीमें की हैं। मगर उन कानूनों से मजदूरों की सुरक्षा नहीं हुई है, कपड़ा मिलों के मालिकों की सुरक्षा हुई है जिसके अन्दर आज भी भरत राम चरत राम अपने सांचे उखाड़ कर ले जा रहे हैं।

कहा जाता है कि ये मिलें सिक हैं। किसने इन्हें सिक बनाया? यह देश सिक है। पिछले 30 वर्षों में सरकार का दिमाग ही रुग्ण शैया पर पड़ा था। हमारे नेता और मंत्री लोग तथा बड़े बड़े हुकूमरा रुग्ण शैया पर पड़े थे। इसलिए उन को बही दिखता था। आज देश में 120 सिक मिलें हैं, कपड़े की, चीनी की, ये मिलें रुग्ण शैया पर पड़ी हैं। हम ने 1952 में कहा था कि जितने बड़े-बड़े उद्योग घन्घे हैं उन का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय और आज में यह कहना चाहता हूं कि जिन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो उन के मालिकों को मुआवजे का एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। हमारे पूर्वोचल में 40 चीनी मिलें हैं। ये मिलें 1925-26 के बाद की बनी हुई है। उस समय इस के जो मालिकान थे। उन्होंने किताबों में देखा कि चीनी मिलों में मुनाफा है तो उन्होंने मिलें लगा ली। 40 लाख, 50 लाख में मिल उन्होंने लगायी, हद् से हद् 1 करोड़ 20 लाख रुपये में लगायी इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा उन्होंने इन मिलों से कमा लिया। आज इन में से प्रत्येक चिल्लाता है कि मेरा पोषता बही है, मेरे

प्रास पैसे नहीं हैं, मुनाफा नहीं है जब कि एक करोड़, दो करोड़, पचास लाख, साठ लाख रुपया प्रति वर्ष मुनाफे का ये कमाते हैं। जो पैसा इन्होंने लगाया था वह कमी का इन्होंने कमा लिया। अथ तो ये केवल मुनाफे में ही चले जा रहे हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम इन्होंने कमाए और यह कौन कमा रहे हैं—थापर कमा रहे हैं, बिरला कमा रहे हैं, सिहानिया कमा रहे हैं, डी आई सी के लोग कमा रहे हैं। इन को मुआवजा क्यों दिया जाये ?

वही नहीं, मेरे एक लायक दोस्त थे बाबू गेंदा सिंह। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की एक कमेटी बनी। वे उस के चेयरमैन बनाए गए और उन्होंने कोशिश की कि लिखें कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाये लेकिन नहीं हो सका। जब माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार हार गई तो उन्होंने कागज भेजा कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, हमें कोई एतराज नहीं है। इस बीच मिल मालिकान ने क्या किया कि इन के नट बोल्ट और बाकी दूसरे पुर्ज उखाड़ उखाड़ कर कलकत्ते और बम्बई के बाजारों में बेच दिया और उस से लाखों रुपये कमाए। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये जितने बड़े बड़े उद्योग धन्धे हैं इन का राष्ट्रीयकरण किया जाये और सरकार इस बात को देख ले, जितना रुपया इन्होंने लगाया था उतना अगर कमा लिया है तो इन को एक पैसा मुआवजे में देने की जरूरत नहीं है।

सरकार की पिछले 30 सालों की नीति श्रम-विरोधी नीति रही है, मजदूरों से दुश्मनी करने वाली नीति रही है, उन के हक हकूक की रक्षा करने की नीति नहीं रही है। मजदूरों को क्या चाहिए ? उन को भत्ता चाहिए, उन को मुनाफे का हिस्सा चाहिए, बोनस चाहिए, रिहायश के लिए मकान चाहिए। क्या मिला तीस साल में ? उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधायें

दी गई ? बंधक मजदूर 1976 में 91,642 थे उन सभी को आजाद कर दिया गया। जब 1976 में हम लोग जेलों में थे तो इस बात को सुनते थे। लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 25 फीसदी बंधुवा मजदूरों को इन्होंने आबाद किया है। उनको आजाद करके इन्होंने सड़क पर छोड़ दिया कि "विश्वनाथ और तिरुपति मंदिर के सामने जाकर भीख मांगो"। इससे अच्छा था कि आप उनको गुलाम ही रहने देते। आपने क्यों उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया ?

श्रीमन्, जनतंत्र कई तरह का होता है लेकिन आज दुनिया में जिस जनतंत्र की चर्चा है वह कम से कम दो तरह का है ही—एक तो सर्वहारा वर्ग का जनतंत्र और दूसरा बुर्जुआ पूंजीपतियों का जनतंत्र। इस बुर्जुआ जनतंत्र में परीक्षण हो जायेंगे, सेमिनार हो जायेंगे और डेलिगेशन का आदान प्रदान हो जायेगा लेकिन मजदूरों के हक के बारे में होगा कुछ भी नहीं। इन्होंने मिनिमम वेजेज ऐक्ट का कानून बना दिया, वह सभी जगह लागू किया गया लेकिन इस देश में जो करोड़ों कृषि मजदूर हैं, कृषि फार्मों के मजदूर हैं उन पर वह लागू नहीं है। उस कानून को भी यह रोज बदलते जाते हैं। बहुत से कारखाने हैं जहां पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत जीविकोपार्जन के लिए जो मजदूरी जरूरी है वह लागू नहीं की गई है। मैं मांग करता हूं कि इसको वहां पर लागू किया जाये।

सभापति महोदय, मैं अब बताना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कितने मैन-डेज नष्ट हुए उसको आप मुलाहजा फर्मियें। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि 1976 में 11.48 मिलियन मैन-डेज नष्ट हुए। केन्द्रीय सरकार के कारखानों में 37 लाख मैन-डेज नष्ट हुए और निजी क्षेत्र में 11 मिलियन मैन-डेज नष्ट हुए। इन्होंने कहा कि हमने बड़ी पैदावार की, बड़ा तीर

[श्री उप्रसेन]

मारा और बड़ी उन्नति की लेकिन स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा तालाबन्दी 1976 में ही हुई। 79 फीसदी तालाबन्दी सरकारी कारखानों में 1976 में हुई जबकि 1974 में यह संख्या केवल 17 फीसदी थी। जब इमर्जेंसी का कानून लागू नहीं था तब तो 17 फीसदी तालाबन्दी हुई थी लेकिन जब इमर्जेंसी लागू कर दी गई तो तालाबन्दी 79 फीसदी हुई ?

इसी तरह से इन्होंने बोनस ऐक्ट पास किया। बोनस किसी तरह की बखशीस नहीं है, वह तो मजदूरों का हक है। 1965 में इन्होंने कानून बनाया और 8.33 परसेंट का मिनिमम बोनस लागू किया लेकिन 1976 में उसको बदल दिया और कह दिया कि बैलेंस-शीट देखकर 100 रुपये दे दिए जायेंगे। हमने अखबारों में पढ़ा है कि सरकार बोनस के सबाल को रिब्यू करने जा रही है। हम चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसको लागू किया जाये कि बोनस दिया जायेगा।

बेरोजगारी की जो समस्या है उसके सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं चाहूंगा काम के घंटों को कम किया जाये। 8 घंटों की जगह पर 6 घंटे रखे जायें। यूरोप के कुछ देशों में इस पर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। हमारे पूर्वांचल में 40 चीनी मिलों में अगर 8 घंटे की जगह पर 6 घंटे कर दिया जायें तो उन 40 मिलों में कम से कम 25-30 हजार मजदूर और लग जायेंगे—यह हिसाब मैंने लगाकर देखा है।

जहां तक मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा की बात है आपने उनके लिए क्या किया है ? आज बेचारे बे फटेहाली में मरे जा रहे हैं नीरज ने उन की भावनाओं को इन लाइनों में व्यक्त किया है —

‘तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है,  
बाग के बाग को बीमार बना देती है।  
सूखी अंतड़ियों को सन्देश - सुनाने वाला,  
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।’

अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का काया-कल्प हो, अगर आप हिन्दुस्तान को गांधी, डा० लोहिया और जयप्रकाश नारायण का देश बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ—आप को इस देश में भुखमरी को समाप्त करना पड़ेगा। आज चार करोड़ लोग बेकार है। 1952 में 38 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे और आज 78 फीसदी लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। कहा जाता रहा कि हमारी तरक्की हो रही है—यह तरक्की तो खरूर हुई है—1947—48 में जब मैं यहां आता था, मैं उस समय बच्चा था, प्रदता था, उस समय यहां दो-मन्जिले मकान होते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है—बहु-मन्जिले मकान बन रहे हैं—यह तरक्की हो रही है।

आज देश के श्रमिकों में असन्तोष बढ़ रहा है—उत्पादन घट रहा है। खान मजदूरों के लिये आप कानून बनाते हैं—एक उदाहरण बता हूँ। दो खदानें हैं—सोन्डा कोलियरी और सुदामाडीह कोलियरी—1976 की दुर्घटना में वहां जो मरे, उन के लिये कहा गया है कि उन को केवल 250 रुपये मुआवजे के रूप में दिये जायेंगे—‘दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है’। जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके एम्प्लॉयमेंट का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। आज ऐसे प्रशिक्षित चिकारों की एक बड़ी फौज बेकार बैठी है। उन को कोई काम नहीं मिल रहा है।

आप की तरफ से रिसर्च की जाती है, बहुत सी रिसर्च लैबोरेट्रीज खाली हुई हैं—जैसे सी० एस० आई० आर०, सी० डी० आर० आई०, सी० एम०, ए० सी० आर० आई०

डिफेंस लेबोरेट्रीज़। लेकिन इन में जो क्या रहा है—10 वैज्ञानिक आत्म हत्या कर लीं मर गयीं। वे रिपोर्ट से यहां आते हैं, यह सोच कर कि हमें यहां काम मिलना, नौकरी मिलनी, लेकिन मिलना कुछ नहीं।

मेरे कुछ सुझाव हैं—प्रथम बहुत कम है—गढ़ देता हूँ—

1. मालिक मजदूरों के सम्बन्ध ठीक होने चाहिए, उन में कटूता समाप्त करें।

2. एक उद्योग में एक यूनियन के सिद्धान्त को मानते हुए उन में एक यूनियन बने।

3. बड़े उद्योगों का तत्काल रा द्रीयकरण करें। उन को मुआवजा न दें।

4. प्रबन्ध में मजदूरों की सक्रिय साझेदारी हो।

5. पुराने कायदे-कानूनों में क्रान्तिकारी संशोधन किये जायें।

6. निम्नतम मजदूरी कानून को सख्ती से लागू किया जाये।

7. इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 तथा संशोधित एक्ट, 1976 में मजदूरों के हित में संशोधन किया जाये।

8. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर श्रम समितियां गठित की जायें।

मैं उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नेन्डीज़ साहब के उस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि 'सिक यूनिट को मजदूरों की यूनियन को या उन की फंडेशन को चलाने के लिये दिया जाये। आज पब्लिक सैक्टर और निजी सैक्टर दोनों में ऐसे मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है, जो 20-20 साल से कैजुअल पड़े हुए हैं। रेलवे, पोस्ट-ग्रॉफिस, रोड-वेज सब जगह यही हालत है। उत्तर प्रदेश सरकार

[परिवहन निगम की यह हालत है कि उस में 16 करोड़ रुपये का घाटा है। वहां के एस० पी० सिंह—मंती खन गन्ने, जेवरमैन खा गये, डिप्टी जनरल सेनेजर खा गये, सब लूट-घाट कर चले गये। 40 हजार मजदूर आज भूखा लड़क कर पड़ा है। जब चक्रवात जाम कर रहा है और मैं उन की मदद करता हूँ तो लोग कहते हैं कि उधरसन बुद्धिमान है। 30 वर्षों से जो यूजीएस्ट नेत्रि जब रही थी, उक्त में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये, जो सर्वहारा के लिये के लिये हो। अख्त हमें इस देश में रोसत जवातन्त बनना है जिस में लोक-भोजन मिले, लोक-भक्षण मिले, लोक भूषा और लोक भाषा हो। हमारी जवान फले-फूले, तमिल, तेजपू, कन्नड फले-फूले, ताकि हमारी जवान में वे हमारे दुख-दर्द को समझ सकें और उन की ज़ुबान में हम उन के दुख-दर्द को समझ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इन भागों का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय हमारे जजबानों पर धीड़ा ध्यान देते हुए कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती श्रीमती श्री० राजनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, शुरू में सबसे पहले मैं अपने लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इधर कुछ अच्छे कदम उठाये हैं। एकता जो आप के मन्त्रालय की एपेक्स बाडी थी, कन्सल्टेटिव कमेटी, उसमें जिन यूनियनों ने एमर्जेंसी में कांग्रेस सरकार का साथ दिया था, उन्हीं यूनियनों के प्रतिनिधि थे, लेकिन आपने अब उस एपेक्स बाडी को बदल दिया है और नई कमेटी में सब यूनियनों को लिया गया है—यह एक बहुत अच्छी बात है।

15.00 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO in the Chair]

[श्रीमती ग्रहिल्या पी० रांगनेकर]

दूसरे—मीसा के अन्दर जो लोग बन्द थे, उनको काम पर लेना चाहिये, ऐसा सरकुलर आपने निकाला है—यह भी एक अच्छा काम है। तीसरे जो आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स के बारे में कमेटी बिठायी, यह एक अच्छी चीज है। इससे इस देश की मजदूर जनता खुश है। लेकिन मैं एक इशारा करना चाहती हूँ कि अगर आपने चंद दिनों में बोनस के बारे में एलान नहीं किया तो हमारे देश के मजदूरों में असंतोष होगा और इसको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। मुझे आशा है कि मन्त्री जी जो अपना भाषण करेंगे उसमें बोनस का एलान जरूर किया जाएगा। आपके चुनाव मेनिफेस्टो में भी यह है और आपने वायदा किया है कि बोनस को आप डेफर्ड बेजिज मानते हैं। बोनस को आप वह बेज मानते हैं जो कि मजदूर को वास्तव में मिलना चाहिए और जो मिलता है, उसमें जो फर्क है, वह फर्क को आप बोनस मानते हैं। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप बोनस के बारे में एलान करेंगे। कल ही बम्बई में एक बड़ा भारी मोर्चा लगा है जिसमें सब ट्रेड यूनियनों के लोग शामिल हैं और वह यह मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बोनस का हक वह हमें मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह हक आप उनको देंगे।

इसी तरह मैं सी० डी० एस० के बारे में कहना चाहती हूँ। इकोनोमिस्ट्स एक झूठी रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं जिसको मान कर आप चलने लगते हैं। अभी पिछले सालों में 15 सौ करोड़ रुपया गरीब जनता का सरकार ने अपने पास रख लिया लेकिन फिर भी कीमतें कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि अगर आप सी० डी० एस० का पैसा देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यह गलत है। अगर आपको इन्फ्लेशन को रोकना है तो जो काले पैसे की परेलेल इकोनोमी चल रही है, वालाबाजार

चल रहा है, उसको रोकना चाहिए। इस रोकने की पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की। आपको यह कोशिश करनी चाहिए। मजदूरों की पगार में कटौती करके कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगी कि सी० डी० एस० का पैसा मजदूरों को दिया जाए।

मुझे मन्त्री महोदय की यह रिपोर्ट पढ़ कर दुःख होता है। ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट पिछली सरकार की है, आपकी नहीं है। साढ़े तीन महीने में भी आपका डिपार्टमेंट इसमें कोई तबदीली नहीं ला सका। इसमें बीस सूत्री कार्यक्रम की स्तूति गाई गयी है जिसे देख कर बहुत दुःख होता है। मैं इसे झूठा नहीं बता सकती क्योंकि झूठ कहना अनपार्लियामेंटरी हो जाएगा। बहुत सी असत्य बातें इसमें लिखी हुई हैं। एमरजेंसी के दौरान अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वह मिल-मालिकों ने उठाया है। इसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे सब मिल-मालिकों के लिए ही दिये गये हैं, मजदूरों ने जो देश के लिए किया, उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। श्री उग्रसेन जी ने भी अभी कहा, मैं भी कहती हूँ कि इस अनुशासन पर्व में मेन डेज का लास अगर किसी ने किया है तो वह मालिकों ने किया है। ये जो बड़े मालिक हैं इन्होंने किया। 1973 में टोटल मेन डेज का लास 54 परसेंट था जो मई, 1976 में 90 परसेंट हो गया। यह किस ने किया? यह मजदूरों ने नहीं किया। मजदूरों को तो आपने तंग कर दिया, जिन्होंने आन्दोलन किया उनको जेल भेज दिया, उनके लीडर्स को मिसा के अन्दर बन्द कर दिया। इन बड़े बड़े मिल-मालिकों ने मेन डेज का लास 90 परसेंट तक कर दिया। पिछले दिसम्बर तक, 11 महीनों में लोक

आऊट से 79 परसेंट मेनडेज का लास हुआ और आज मजदूरों पर प्रोडक्शन कम करने का इल्जाम लगाया जाता है। इस एमरजेंसी का फायदा मालिकों ने, सरमायेदारों ने उठाया। 79 परसेंट मेनडेज लास्ट हुए लाक आउट्स की वजह से। बीस सूत्री कार्यक्रम के बहुत डोल पीटे गए। लेकिन उस दौरान में एक भी मिल मालिक को जेल में नहीं डाला गया। मजदूरों ने जिन्होंने उनके खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज उठाई उनको पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया।

आप भी बीस सूत्री कार्यक्रम से शुरू करते हैं इसको मैं समझ नहीं पाई हूँ। इसमें यह भी नहीं दिया गया है कि जो कुछ भी उस दौरान हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। साढ़े तीन महीने आपको बँटे हो गए हैं। आप एक सप्लीमेंटरी रिपोर्ट इसके साथ दे सकते थे। आपने यह भी नहीं किया है। इसको मैं समझ नहीं पाई हूँ।

मार्च 1976 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में तबदीली की गई थी। यह कहा गया था कि तीन सौ मजदूरों से अधिक जहाँ मजदूर काम करते हैं अगर वे लाक आऊट करना चाहते हैं तो उनको सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह गैर कानूनी होगा। जो बीस सूत्री कार्यक्रम का डोल पीटते हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मालिकों ने एमरजेंसी के दौरान लाक आऊट किए, कानून के खिलाफ किए, क्या उनमें से भी किसी को जेल भेजा गया, उनके खिलाफ भी कोई ऐक्शन लिया गया? मुझे खेद है कि अभी भी वही रास्ता हम अपना रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लाक आऊट को आप लें। क्यों नहीं आपने उस केस में कानूनी कार्रवाई की। जो मालिक कानून

को तोड़ कर लाक आऊट करते हैं, परमिशन नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं और अगर आपने वही रास्ता अपनाए रखा तो हमारे देश के मजदूरों को न्याय नहीं मिल सकेगा। आपको अभी से सचेत रहना चाहिये। अभी भी आपको जांच करनी चाहिये कि कितने लाक आऊट चल रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में यही बताया गया है कि पांच लाक आऊट चल रहे हैं। अगर और भी लाक आऊट चल रहे हैं तो इन सभी को खत्म करवाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं।

इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सुधारने की जो पुरानी मशीनरी थी, पुराना रास्ता था उस पर आप आज भी चल रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहती हूँ पुराने रास्ते के बारे में। राऊरकेला में पांच सात मजदूरों की छंटनी कर दी गई। छः साल हो गये हैं आज तक उनको लेबर कोर्ट में न्याय नहीं मिला है, उनके केसिस का फैसला नहीं हुआ है। उनका केस उस कोर्ट में लगता नहीं है। ऐसा भी होता है कि लेबर कोर्ट में अगर मजदूरों के पक्ष में फैसला हो जाता है तो मालिक लोग उस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक में ले जाते हैं और सालों तक मजदूर बेकार फिरता रहता है। उसकी फैमिली तबाह और बरबाद हो जाती है। उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है। लेबर कोर्ट को आप लेबर कोर्ट क्यों कहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। लेबर कोर्ट और लेबर आफिस को आपको मालिक कोर्ट और मालिक आफिस कहना चाहिये। ये मालिकों की मदद करता है। लेबर आफिसर्स ने कभी भी नहीं देखा गया है कि मजदूरों की कभी भी मदद की हो। यह मशीनरी मजदूरों के खिलाफ काम।



[ श्रीमती ग्रहिल्या पी० रांगनेकर ]

करती है। इसमें अगर सरकार सुधार नहीं करेगी तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसी भी हालत में सुधार नहीं करेगी। मजदूरों में असंतोष व्याप्त रहेगा और इसका फायदा मालिक लोग उठावेंगे। यह आपके ध्यान में रहना चाहिये। इसलिए कानून में तब्दीली करनी चाहिये।

बंधुभा मजदूरों के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कुल 91,642 बंधुभा मजदूर थे। मैं सचबतती हूँ कि इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। उनकी संख्या कहीं अधिक है। आज भी महाराष्ट्र में थाना जिले में, घूलिया में बंधुभा मजदूर हैं। लेकिन यहां बताया गया है कि 91,642 में से 90,704 को मुक्त करा दिया गया है। इस पर कौन विश्वास करेगा? फिर आप देखें कि कितने दिनों में कराया गया है। कितने एफिशेंट हमारे चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर हो गये थे। फरवरी, 1977 में कानून पास हुआ और मार्च में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई। तब तक रिज्यू भी हो गया, मुक्त भी करा दिया गया। एक महीने के अन्दर अगर हमारे चीफ मिनिस्टर इतने एफिशेंट हो सकते थे तो मैं समझती हूँ कि हमारे पूरे देश का भाग्य बदल सकता था। इन सबको एक ही महीने में मुक्त करवा दिया गया। वाराणसी के एक रिसर्च प्रोफेसर हैं डॉक्टर कृपा शंकर। उन्होंने वाराणसी में जाकर के, यू० पी० में जाकरके बंधुभा मजदूरों से बातचीत की और रिसर्च किया, मालूमात की तो उन मजदूरों ने कहा कि हमारी परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। हमारी बही परिस्थितियां हैं हमें उसी तरह बंधकर काम करना पड़ता है, सारे बही बन्धन है, हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। और रिपोर्ट में कहते हैं कि

बंधुभा मजदूर देश में नहीं रहे। इस तरह से ऐग्जिजरेटेड रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट के सामने आयेगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी। इसलिए मंत्री जी को ठीक तरह से जांच करके मालूमात हासिल करनी चाहिये। सबसे ज्यादा बंधुभा मजदूर कर्नाटक में थे 58,918। इन में से 58,571 मुक्त कर दिये गये। चार दिन में इतने मजदूरों को मुक्त करना कितना बड़ा भारी काम है। इन गलत रिपोर्टों के बारे में मंत्री जी को जांच करनी चाहिये।

आपने एग्रीकल्चर वर्कर्स को मिनिमम वेज देने की बात कही है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी—दादरा नगर-हवेली—में से सबसे कम एग्रीकल्चर वर्कर को मिलता है—2.34 पैसा प्रति दिन मिलता है। जब केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में सबसे कम मजदूरी मिलती है तो कौन ऐसे कानून को अमल में लायेगा? अनस्किल्ड वर्कर्स को 4.50 पैसा मिलना चाहिये, मगर इतना कहीं भी नहीं मिलता है। हम जब जेल में थे तो रेडियो पर सुनते थे, हम टी० वी० देख नहीं सकते थे लेकिन बहुतों ने टी० वी० में भी देखा कि एक अनस्किल्ड वर्कर्स को इतनी बेज काम से कम मिलती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जिस मजदूर के लिए कानून बनाया उसके घर में अगर बही बंधेरा है तो उसका कुछ लाभ नहीं है। इमरजेंसी में जितने कानून बने उनमें से किसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिये। एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में अभी तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज बहुत कम है। अनस्किल्ड वर्कर्स को अगर 4.50 पैसा मिलता है और 25 दिन महीने में उसको काम मिला तो वह एक महीने में 100 रु० की कमायेगा।

इस देश की 80 फी. सदी जनता देहात में रहती है। अगर महीने में मजदूर 100 रु० ही कमायेगा तो कैसे उसका परिवार चलेगा? हम कहते हैं कि शिक्षा बढ़नी चाहिये। लेकिन जब तक मजदूर की आमदनी नहीं बढ़ती है, दो वक्त उसको भोजन नहीं मिलता है, तो कैसे शिक्षा में प्रगति होगी? इसलिए ऐग्नीकल्चर बर्कर की वेज बढ़नी चाहिये। खेती में काम करने वाले मजदूर की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी वेज भी बढ़नी चाहिये, और जिनको काम नहीं मिलता है-उसको कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिये।

सोशल सिक्योरिटी के बारे में आपने बहुत कानून बनाये हैं। हमारे जो मिल मालिक हैं, वह मजदूरों से तो प्रोवीडेंट फंड का पैसा काट लेते हैं, लेकिन खुद अपना कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कराते हैं। 15 करोड़ का प्रोवीडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन मिल मालिकों, एम्प्लॉईयस की तरफ जमा कराने के लिए बाकी है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ इस बारे में नहीं किया है। मजदूरों का पैसा तो पगार में से काट लिया जाता है। लेकिन मालिक अपने कंट्रीब्यूशन की परवाह नहीं करते। मजदूरों को इस तरह से पैसा मिलता नहीं है। यह मजदूरों के साथ लूट होती है। मिल मालिक जो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, उनको सजा देनी चाहिये। इस बारे में मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

मैं सेपटी के बारे में भी कहना चाहती हूँ। चासनाला खान की रिपोर्ट अभी आई है उसकी जो दुर्घटना हुई थी, उसमें 4 अफसरों की नैगलीजेंसी से यह हुआ, ऐसा कमीशन ने बताया है। उस कमीशन की मदद करने के लिए हमारे जियालोजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी साथ में थे। मजदूरों के मुआवजे भी थे। उन्होंने 4 अफसरों की गलती इसमें बताई है। लेकिन अभी

तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, बल्कि कोई दूसरी चालबाजी चल रही है। उन अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है। उस दुर्घटना में 350 से ज्यादा आदमी मारे गये हैं, अगर अब उसके बारे में ऐसा किया जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा।

कांट्रैक्ट लेबर के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इसी की वजह से राजहैरा में फायरिंग हुई है। कांट्रैक्टर अभी 9 रुपए पगार लेते हैं और मजदूर को 5 रुपए देते हैं, बाकी वह सब खा जाते हैं। हमारा शासन भी पैसा कांट्रैक्टर को देता है, लेकिन बीच वाले कांट्रैक्टर सब खा जाते हैं। कहा जाता है कि इसको रद्द करने के लिए कानून बनाने वाले हैं, तो यह जन्दी ही बनाना चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि यूनियनों की रिकग्नीशन सीक्रेट बिल्ट से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पार्टी पावर में थी, उन्हीं की यूनियनों को मान्यता मिलती थी। इंटक की यूनियनों है बहुत जगह मान्यता प्राप्त यूनियनों थीं। हमने टेक्सटाइल मिलों को देखा है कि सुपरवाइजर चन्दा इकट्ठा करता था और देता था। उसकी ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। बैरीफिकेशन के नाम से गलत व्यवहार होता है।

डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमन बहुत होता है जो महिलायें मजदूर हैं, उनके खिलाफ हर जगह बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आपके डिपार्टमेंट में 1976 में एक महिला सैल फार्म किया गया है, वह आपकी रिपोर्ट में है। लेकिन उसने अभी तक क्या काम किया है, यह मालूम नहीं है वह सैल कायम हुआ है और अगले काम करेगा ऐसी मुझे उम्मीद है।

आपने बीडी वर्कर्स को इक्वल पे फार इक्वल वर्क देने की बात की है। मध्य प्रदेश में हजार बीडी पर 25 पैसे मजदूरी बढ़ा दी

[श्रीमती अहिल्या पी० ंगनेकर]

गई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक सरकुलर निकालकर कहा कि यह कानून अंतर्राज्यों के लिए लागू नहीं है। हमारी यूनियन ने आपके डिपार्टमेंट के पास उस सरकुलर की कापी भेजी है। साठे साहब यहां है नहीं, मालूम नहीं वह इसके बारे में क्या कहेंगे।

प्लानटेशन के बारे में क्या हो रहा है। जब से यह कानून लागू हुआ है प्लानटेशन के मानिकों ने एक चालबाजी की है। एक ही काम के लिए दो ग्रेड बनाए हैं—ग्रेड-1 और ग्रेड-II। महिलाओं के लिए ग्रेड II लागू किया है। एक ही काम है लेकिन महिलाओं के लिए जानबूझकर ग्रेड-II रखा, जिससे हमारी महिलाओं का तन पुराने जैसा कम है। वह न इसे ज्यादा देना चाहते हैं और न करना। इन्हें इसलिए वूमन वर्कर की संख्या कम हो रही है। चूंकि महिला मजदूरों को मैटनिटी बेनिफिट देना पड़ता है और उनके बच्चों के लिए फ्रीश की व्यवस्था करनी पड़ती है इसलिए कानून से बचने के लिए महिलाओं को नौकरी में नहीं रखा जाता है। इस देश में जब एक स्त्री का शासन था, तब भी ये सब बातें हुईं। अब इस स्थिति को बदल देना चाहिए। एक माता का जो हक है, उसकी रक्षा करनी चाहिए।

अनएम्प्लायमेंट के बढ़ने का एक कारण यह है कि हमारी फ़ैक्टरीज और आफिसिज में आटोमेशन हो रहा है। एल० आई० सी० में आटोमेशन किया गया है। जहां तक टैक्मटाइल मिलों का सम्बन्ध है, जहां पहले 4 से 8 सांचे थे, अब वहां 32 से 32 सांचे काम कर रहे हैं। यू० एन० ओ० की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में सबसे कम मजदूरी मिलती है—एक फ़िटर को अमरीका में 15 रुपए, हालैंड में 11 रुपए और जापान में 4 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसी काम के लिए हिन्दुस्तान में केवल 85 पैसे दिए जाते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कम्पनियां हिन्दुस्तान में अपने उद्योग खोलना चाहती

हैं। इस तरीके से हमारे मजदूरों का इतना बड़ा एक्सप्लायटेशन हो रहा है। जहां मैनपावर प्रचुर मात्रा में है, वहां आटोमेशन को कम करना चाहिए और मैनपावर का इस्तेमाल करना चाहिए।

इमर्जेंसी के दौरान मजदूरों पर जुल्म करने वाले जो सर्कुलर जारी किए गए, उन्हें वापस लेना चाहिए। रिजर्व बैंक में इस प्रकार का एक सर्कुलर वापस ले लिया गया है, लेकिन एल० आई० सी० में ऐसा नहीं किया गया है। एल० आई० सी० में जो बोनस एग्रीमेंट किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। वो वापस अमल में लाना चाहिए।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Chairman, Sir, we know that for any developing country like ours, the most important thing would be the relationship between the labour and the management of an industry. Unfortunately, for some reason or the other, in this country, the relationship between the labour and the management has not always been in a proper way. That is the only reason here why the labourers go on a strike with the result that the production in the country falls.

So, the main aim of any government would be to maintain the best relationship between the labour and the management. Have we achieved that? With the present policy of the Government, I am very much doubtful whether we can achieve it. For example, it is all right in the private industry where the owner of a factory is not prepared to give the due share to the labourers and they go on strikes. But in the public sector where the proprietorship falls in the hands of Government, even there the labourers go on a strike for demanding their due share. It is a miserable thing and it is shameful, because even there we are not in a position to give the due share to the labourers.

Therefore, there is basically something wrong with our labour policy. That is what I feel. And when we go down to the agricultural sector, this is the sector which is not organised. Unfortunately, in our country, any labour union which is well organised, if they go on a strike with a proper notice or any other type of notice, they only get their due share; and the unions who have no power or who have no capacity to organise themselves for demanding their due shares, are not talked about; they are left away. As far as agricultural labour is concerned, who are engaged in agricultural operation, they are not organised properly. It is one of the biggest labour forces. But, unfortunately, God forbids, if that union is organised and if they go on a strike, then what would be the fate of this nation.

I would request the hon. Minister to see that this country does not face such a situation. Once the agricultural labourer says that he will not hold the plough in his hands, say, in this season, then what will be the fate of our country? Unfortunately in this country, as I said earlier, whoever puts up a demand, whoever gives a notice of strike, whoever says that unless he is given such and such a thing, he will not work, it is they who get their share.

In my own constituency there is one paper mill, the Sirpur Paper Mill. There are three or four mills of this type, one in my own State and one in Maharashtra. I shall quote the minimum wages fixed there: in the case of Sirpur Mill in Kakaznagar, an unskilled labourer gets a minimum of Rs. 193 and a maximum of Rs. 238; in the same type of industry, in our own State, at Rajahmundry, the minimum is Rs. 302 and the maximum is Rs. 342; the same unskilled worker working in the same industry, in Ballarpur Paper Mills in Maharashtra, gets a minimum of Rs. 407 and a maximum of Rs. 460. This is just an example that I have quoted. In

the same industry, in the different paper mills, the minimum wages vary so much. What do you expect from these labourers who are getting the lowest wages? I would request the Minister to see that the same wages are fixed, so that the labourers working in the same type of industry do not feel that, because they are not in a position to organize themselves, they are getting lesser wages.

Taking the example of another industry, the bidi industry, this is a very peculiar type of industry; it is an industry which, today, has given work to 20 lakh families in the country. As an hon. Member said, this is an industry where the maximum number of ladies work. This is an industry which does not require any machinery, which does not require any import or collaboration. This is also an industry which is giving you an income of Rs. 150 crores by way of excise duty. And what are you giving them? In your budget you have provided for only Rs. 7 lakhs for an industry which is supposed to be a cottage industry and which is giving a revenue of Rs. 150 crores to this Government. And you have provided just Rs. 7 lakhs for your own administration; that is all. Recently, a labour cess has also been levied. That alone is giving an income of about Rs. 5 crores. So, I would like to submit humbly to the hon. Minister through the Chairman that this is an industry which does not have a factory area. For them, there has been no question of giving housing facilities. These people are today, in all the big cities and in all the villages, sitting on the footpath or in their small huts and are manufacturing bidis. I would request that, with the amount which is going to be collected by way of cess, that is, about Rs. 5 crores, Government should also contribute another Rs. 5 crores and create a revolving fund so that with this revolving fund, like any other housing colonies which are coming up, housing colonies for the bidi manufacturers in their area can be provid-

[Shri G. Narasimha Reddy]

ed: on a hire-purchase system, houses could be given to them. This is the only way by which we can help the bidi manufacturers. Similarly, medical facilities, education and other facilities may also be given to them.

Lastly, I would like to submit this. There are big coalmines, as the Members know. But unfortunately in some of the coalmines the cess which is collected for the welfare of the labourers—I would like to draw the attention of the hon. Minister to this—is used for constructing very big school buildings. But whom are they admitting? It is only the officers' children that are admitted into these schools. I will give you an example from my own district where big colonies are there. Thousands of crores have been collected by way of cess and big school-buildings have been constructed where the ordinary labourers' children are not being admitted. The only reason given is that they will be admitted on the basis of merit, but what is the meaning of this 'merit'? It is only fluency in English. You cannot expect a small labourer's child, well acquainted with the English language, to appear for the interview. I would therefore request that in all such places where civil population does not exist and where only colonies are there, education given through these funds should be given to the labourers' children also and not only to the officers' children.

Lastly, I would like to make another suggestion. If you want industries and other things to be developed in our country without any labour problem, then, in my humble opinion, wherever you fix the minimum wages category-wise, you should also fix the prices of essential commodities. We see that whenever there is drought, the prices of essential commodities go up and, when these prices go up, it is but natural that the labourers should want more wages

and, they go on strike. Therefore, you should fix the prices of essential commodities which are usually required by the labourers and once these are fixed, if by any chance, due to some natural calamity in the country the prices of essential commodities go up, it would be the duty of the Government or the duty of the concerned factory to supply these essential commodities at the rates fixed, so that good-relations between the Management and Labour can be maintained and peace can be maintained and our development programmes can be continued without interruption.

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : जनाब चेंबरमन साहब, हमारे सामने जो लेबर की डिमाण्ड्स है उनके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। जैसे हम मजदूरों का नाम लेते हैं तो कारखाने की शकल आटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती है। जिस देश में 75 फीसदी या उससे भी ज्यादा आदमी हाथ से काम करते हों, चाहे वे खेत में काम करते हों या कोई फिजिकल लेबर करते हों किसी कारखाने में वहाँ हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में दौलत का रह जाना स्वाभाविक है। एक आदमी के पास मान लीजिए दस कमरों का मकान होता है तो दूसरे के पास एक कमरे का मकान होगा या फिर वह भी नहीं होगा। इस तरह से पूजा जितने ही कम लोगों के हाथों में रहेगी गरीबी उतने ही ज्यादा लोगों के हिस्से में जाएगी। आज कोई मजदूर चाहे कारखाने में काम करता है, सड़क पर काम करता है या मकान बनाने का काम करता है करीब करीब उन सभी मजदूरों की हालत एक जैसी ही है। जो मजदूर बेचारे मकानों का काम करते हैं या सड़क पर काम करते हैं उनकी तो मजदूरी भी स्याई नहीं होती और न ही उनकी अपनी कोई ब्यास यूनिट होती है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और ज्यादा हो जाती हैं। इस तरह के जो मजदूर हैं या जो भट्ठों के मजदूर होते हैं वे आज एक जगह पर है तो कल दूसरी

जगह" हो जाते हैं। वे एक खानाबदोश को जिन्दगी बिताते हैं। न तो उनके बच्चों की शिक्षा का कोई सवाल होता है और न उनके खद के स्वास्थ्य का कोई प्रबन्ध होता है। अगर उनमें कोई बीमार ही जाता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर की बात तो मैं नहीं करती लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी मजदूर आपको नहीं मिलेगा। वहां कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा करते हैं जिस से उनके नौकरी से हटाया जा सके। मान लीजिए वह छुट्टी लेकर घर जाता है, उस को कानून मालूम नहीं है, जब छुट्टी से वापस आता है तो उस से कहा जाता है कि तुम को नए सिरे से लेंगे और इस तरह से उस की पिछली नौकरी खत्म कर दी जाती है। आप को ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में 45 साल से ज्यादा उम्र के आदमी काम करते नहीं मिलेंगे। एक बड़ा विश्वास-सर्किल उन के अन्दर बना हुआ है, जो उन को वहां रहने नहीं देता।

दुपरा निवृत्तन मैं यह करना चाहती हूँ— जिस पर मुझे पहले बोलने वाले अनेक वक्ताओं ने भी प्रकाश डाला है—कारखानों में जो लोग मशीनों पर काम करते हैं, अगर उनके हाथ-पांव कट जाते हैं या आंख चली जाती है तो वे बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोग जो रिस्क का काम करते हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरह का हादसा वाका हो जाय तो उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, कोई दूसरा काम उनको नहीं दिया जाता है। कल ही मुझे एक आदमी मिला, जो किसी प्राइवेट फर्म में था। उसकी दायें हाथ की अंगुली कट गई, अब वह कहीं भी काम करने लायक नहीं है और उस कारखाने में उसको काम नहीं दिया जा रहा है—बतलाइये, वह बेचारा क्या करे, कहां जाय। इसके बारे में हमें सोचना चाहिये।

जहां तक लेबर कोर्टस का ताल्लुक है— वहां भी ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो मैनेजमेंट

का फेवर करते हैं। मेशा सुझाव है कि लेबर-कोर्टस में ऐसे लोगों को बैठाया जाना चाहिये जो इम्पार्शल हों। यह बात ठीक है कि लेबर यूनीयन्स होती हैं, लेकिन लेबर यूनियनों में भी हमने देखा है कि उनके लीडर मोटे होते चले जाते हैं और मजदूर-वैसे का वैसे ही रहता है। जब तक हम अपने देश में आमदनी का, तनख्वाहा का अनुपात तय नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। इस समय हमारे देश में 1 और 100 का अनुपात है, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा ही होगा। इसके लिये आपको तय करना होगा कि यह अनुपात 1 और 4 से ज्यादा न हो और न सिर्फ तनख्वाहों में बल्कि रहन-सहन, मकान और दूसरी तमाम चीजों में इस अनुपात को कायम करना होगा, तभी हम अपने समाज को न्याय दे सकेंगे। हम तय कर सकते हैं कि किसी आदमी के पास एक हजार गज से ज्यादा का मकान नहीं होगा, उस पर मल्टी-स्टोरी फ्लैटस बनाये जायेंगे उस को रहने के लिए एक फ्लैट मिलेगा, जिससे सब को रहने के लिये जगह मिल सके। जब तक हम इसके बारे में कोई सोशल कानून नहीं लायेंगे, तब तक चाहे जो कहते रहें, हम उनके साथ म्याय नहीं कर सकने हैं।

मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ—आज हमारे बोलने में भी छोटे और बड़े का फर्क लगा हुआ है। जब तक हमारी भाषा में आप, तुम और तू शब्द लगा हुआ है—तब तक यह फर्क कायम रहेगा। हमारे यहां कहा जाता है—माया तेरे तीन नाम, परसू, परसा, परसराम। जब तक यह फर्क हमारे समाज में कायम है, तब तक हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, यह मुश्किल है। कारखाने में काम करने वाले सब मजदूर हैं—लेकिन मैनेजर तू क कर बोलता है, उस को क्या हक है कि वह तू कह कर बोले। चूंकि हमारे मजदूरों में शिक्षा की कमी है, उनको बचपन से ही इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि उनको सहन करना है, क्योंकि

### [श्रीमती चन्द्रावती]

उनकी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। मेरा बस चले तो जो किस्मत और कर्म लिखने वालों का साहित्य है, उस को खत्म कर दूँ, ऐसा साहित्य लिखा ही नहीं जाना चाहिये, बल्कि उन लोगों पर जुर्माना होना चाहिये जो किस्मत और भाग्य की बात करते हैं। हमें उनके अन्दर इस भावना को निकालना है कि वे सिर्फ मजदूरी के लिये ही पैदा हुए हैं। चेन्नमैन साहब, आपके नोटिस में मैं यही लाना चाहती हूँ कि उनके रहन-सहन के, उनके स्टैंडर्ड को ऊँचा उठाने के, उनकी तरक्की के इन्तजाम ठीक से किये जाएं।

हमारे यहां चीजें बनती हैं—कार हो, माइकिल हो, ट्रांजिस्टर हो, ये सब चीजें और भी अच्छी बन सकती हैं अगर हम मजदूर को अच्छी सुविधाएं दें। आज वह बेचारा गन्दगी में रहता है, गन्दा खाना खाता है, गन्दा पानी पीता है। इसलिए हम अच्छी चीजें अपने देश में अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें मजदूरों की हालत को अच्छा करना होगा। जिस प्रकार मालिक चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े उसी तरह मजदूर भी चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े। यह प्रोडक्शन तभी बढ़ सकता है जब हम मजदूर का भी ख्याल करेंगे। हमें यह देखना होगा कि वह अच्छे वातावरण में पैदा हो, वह इस तरह के वातावरण में पैदा न हो, जिस तरह के वातावरण में वह पैदा हुआ है। जब तक मजदूर का स्टैंडर्ड ऊँचा नहीं होता तब तक प्रोडक्शन भी एफीशियेन्ट और अच्छा नहीं हो सकता। मजदूर का सारा जीवन गन्दगी में बीतता है। उसे अच्छा वातावरण मिलना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं आर्टिजंस की बात भी कहे बिना नहीं रह सकती। इन आर्टिजंस का भी एक्सप्लोइटेशन होता है। सभी आर्टिजंस का शोषण होता है। चाहे बनारस में जरी का काम करने वाला हो, चाहे काश्मीर में शाल

का काम करने वाला हो, चाहे छोटे जूते बनाने वाला हो, सभी का एक्सप्लोइटेशन होता है। यह एक्सप्लोइटेशन इसलिए होता है कि इन्हें मार्किट के लिए कारखाने वालों पर निर्भर करना पड़ता है। आप छोटे छोटे कारखाने खोलने जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप उनकी प्रोड्यूस के लिए उन्हें मार्किट नहीं देंगे तब तक बड़े बड़े कारखाने वाले उनका एक्सप्लोइटेशन करते रहेंगे। लुधियाना और पानीपत में छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं। हेण्डलूम का, रंगाई का वहां काम होता है। छोटे छोटे लोग वहां प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास मार्किट नहीं है और उन्हें अपना माल कारखानेदारों को देना पड़ता है। उनकी प्रोड्यूस का उन्हें जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना उन्हें नहीं मिलता है। यह सारा मुनाफा बड़े कारखानेदारों को चला जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जहां भी आप इन इण्डस्ट्रीज को खोलें वहां उनकी मार्केटिंग का पूरा इन्तजाम करें।

आज उद्योग मन्त्री जी कह रहे थे कि बिहार में सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और वहां सबसे ज्यादा गरीबी है। इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं रहे कि हरियाणा में बड़े उद्योग लगें। जब हम छोटे उद्योग खोलने जा रहे हैं तो हमें मजदूरों की भलाई के लिए भी कदम उठाने होंगे। जो हमारा स्क्वैड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है उसकी तनख्वाह के अनुपात में हमें उसके लिए सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी। मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि यह गलत हो, हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके हिसाब से ज्यादा मजदूरी उसको देते हैं। हमें इसलिए उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, हमें उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिससे वह ज्यादा मजदूरी कर सके और प्रोडक्शन करने में उसकी सहानुभूति हो। कोई कारखाना आजकल ऐसी जगह नहीं है जिस के पास दारू की दुकान खड़ी न करे।



वी गई हो। जहां स्कूल होना चाहिए वहां दारू की दुकान है। गुड़गांव में मैंने एक पोल्ट्री फीड की फैक्ट्री देबी। वहां 15-20 बर्कजें से मैं मिली। उनमें से पांच सात पढ़े लिखे थे, बाकी अनपढ़ थे। उन अनपढ़ों में भी कुछ स्किल्ड थे। उसके पास ही दारू की दुकान थी। मैंने जमेंट की तरफ से अगर वहां स्कूल खोल दिया गया होता जहां वे एक दो घंटे जाकर पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। अब उनका पैसा वहीं का वहीं दारू की दुकान में दारू पीने में खर्च हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आपको वहां स्कूल उनके वास्ते खोलने चाहिये बजाये इसके कि दारू की दुकानें खोलने की आप इजाजत दें। इससे समाज को भी और उनको भी फायदा होगा।

कुछ कारखाने हैं जहां काम करने पर मजदूरों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है जैसे रूई का कारखाना है, सीमेंट का है। वहां पर सावधानी के तौर पर ताकि मजदूरों की सेहत खराब न हो कोई प्रवन्ध नहीं किया गया है। वे बहुत जल्दी टी० बी० के पेशेंट हो जाते हैं। एक बार उन्होंने छुट्टी ली तो हमेशा के लिए उनकी छुट्टी कर दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने तौर पर करें या प्रान्तीय सरकारों के जरिये करें आपको यह पता लगाना चाहिये कि सीमेंट के या रूई के कारखानों में या दूसरे कारखानों में कितने अर्से में लेबर को और कितनी प्रतिशत लेबर को टी० बी० आदि बीमारियां हो जाती हैं वे रोगग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिये कि वहां पर आप इस बात का इन्तजाम कराएं जिससे मजदूर रोगग्रस्त इतनी जल्दी न हो सकें और कारखानेदारों को कहें कि वे मजदूरों को कांफिडेंस में लें, उनका सहयोग ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें ताकि उनका प्रोडक्शन भी बढ़े और सामग्री भी अच्छी पैदा हो।

इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी।

SHRI P. THIAGARAJAN (Sivaganga): So far as this subject of labour is concerned there are so many categories of labourers—agricultural, mill workers, etc.

So far as agricultural workers are concerned, there are two special Acts. But the workers are not properly paid. Even the bond system is still existing in various parts of Tamilnadu. The agricultural labourers are not given protection by the Government. They are not employed throughout the year. They are employed only for three or four months a year. The remaining eight months are wasted and they remain unemployed.

In Tamilnadu there are two Acts—Cultivating Tenants Protection Act and Tanjore Pannyal Protection Act. No doubt these are meant to protect the labourers and farm workers but they do not get proper protection.

The agricultural labourers do not get protection at all. They are paid only Rs. four or five per day. They cannot maintain their family which comprises of six or seven children. They cannot educate their children. They cannot meet their necessities of life.

When we take into account the conditions of labourers, they must be given protection. There must be an office to look into the welfare of the labourers.

As far as the agricultural labourers in our parts of the area are concerned, there are so many persons who have been repatriated from Burma and Ceylon. They are settled in Tamilnadu in various parts of the districts and they are unemployed throughout the year; they are hard-working and capable persons. Unfortunately they are not absorbed in either agricultural operations or in the mills. They are wasting their time. The country is not utilising the labour of these persons who have done so much for Burma and Ceylon and who have now

[Shri P. Thiagarjan]

come to India. Their services are not properly utilised by Government.

The workers employed in spinning mills and weaving mills are not given proper protection; as far as medical facilities are concerned, there are no such medical facilities and employers are not bothered about it. As far as management is concerned they want to squeeze the workers. They are not given residential quarters; they are not given medical facilities; they are not even paid their minimum wages. Even the badli workers are thrown out of employment by the management without any proper notice or proper legal action. Most of the workers in our part are compelled to work more than the prescribed time. They are not even paid the proper amount for the additional work. Absolutely there is no facility for their residential accommodation. They will have to come from far off places to attend to the mill work. So far as these workers employed in the textile mills are concerned, no encouragement is being given either by the Labour Officer or by the Management. If they meet with any difficulties from the management, they will have to seek remedy from the Labour Officers who are supposed to be agents of the management. The Labour Officers themselves consider themselves as agents of the management. The welfare of the workers is not at all considered by the Labour Officer. Industrial disputes which are to be considered and reconciled by the Labour Officers are not settled smoothly and quickly.

Sir, when a worker is thrown out of employment naturally he has to seek remedy from the Labour Officer who is the proper person to look into the matter. The poor worker has to wait for a number of months. He is not given the remedy quickly.

So, he has to incur so much of expenses. He is not getting employment. And ultimately he has to seek the remedy in the court of law. Even in the Labour Tribunals they have got a number of cases of labour disputes

which they are not able to dispose of quickly.

In order to dispose of the labour disputes quickly, I suggest that the Government may appoint special category of judges to deal with only the industrial dispute cases. For this purpose, the district level officers may be appointed. Apart from that, the labour dispute cases may be dealt with by the high court or by some other appellate courts.

As far as various acts which protect the welfare of the labourers are concerned, I say that no act will help the labourers. Take even the Industrial Disputes Act, Workmen's Compensation Act, the Minimum Wages Act and other acts. They are not helpful to the labourers. On the contrary, these acts are helpful to the management. If you take into account various recommendations, like the Wage Board Recommendations, they are not binding upon the management. If we simply say that the Wage Board recommendations should be implemented, the management may refuse to implement those recommendations. In that event, the labourers have no other alternative except to resort to strikes. There is no remedy and they are not bound to abide by the wage board's recommendations. For example, a Committee was formed under the chairmanship of Shri Ramanujam by the previous Lok Sabha which was mainly constituted to go into and evaluate the impact of the scheme of workers, trade unions and the employers and to suggest some modifications. But, these have no effect and these recommendations have not been implemented.

When we take all these factors into account, I feel that the Labour Ministry of the Government of India should give protection. The hon. Labour Minister must be able to enact a law so as to bring all categories of labourers under the Union Act to deal with this.

श्री वाई० पी० शास्त्री (रीवा) : माननीय सभापति महोदय, श्रम मन्त्रालय की मांगों का मैं इस आशा और विश्वास के साथ समर्थन कर रहा हूँ कि मजदूरों के प्रति वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। पिछली सरकार का दृष्टिकोण केवल मजदूरों के प्रति भौखिक सहानुभूति व्यक्त करना था, वास्तव में उनकी नीति तो मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण करने का अवसर प्रदान करने की थी।

पिछले दिनों जो कुछ होता रहा है, उससे बिल्कुल हट कर मजदूरों के प्रति एक नया दृष्टिकोण जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है। मजदूरों ने समूचे देश में सरकार की वर्तमान नीति का समर्थन किया है और उनके हृदय में बहुत बड़ा उत्साह है और सरकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ उनको हैं।

पिछली सरकार ने कहने के लिये कानून तो बहुत बनाये थे, मजदूरों के नाम पर, चाहे वह पेमेंट आफ् मिनिमम वेजेज एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट हो या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो, लेकिन ये सारे कानून केवल कागजों तक ही सीमित रहे। मजदूरों को इनसे न्याय नहीं मिल सका। ऐसे कानून बनाये जिससे कभी भी मजदूर अपनं हितों का संरक्षण नहीं कर सका, उसके साथ न्याय नहीं हो सका।

मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रगतिशील श्रम मन्त्री नवयुवक हैं, वे इन सारे सवालियों को नये परिप्रेक्ष्य में देखें और एक क्रान्तिकारी परिवर्तन उन सब में लायें। इन कानूनों को बदलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं थोड़े से समय में कुछ मोटी-मोटी बातें सदन के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ।

आज मजदूरों की न्यायोचित मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए कोई प्रभावकारी व्यवस्था नहीं है। उन की मांगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारा सरकारी तंत्र बड़ा हास्यास्पद और विचित्र है। अगर मजदूर हड़ताल का नोटिस देते हैं, तो श्रम विभाग के अधिकारी मालिक और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलायेंगे। अगर मालिक न आये, तो वे उसे आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे मजदूरों की न्यायोचित मांगों को मालिक से मनवा सकें। 15, 20 दिन या एक महीने तक कनसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। अक्सर मालिक समय मांग लेंगे कि हम एक महीने के बाद जवाब देंगे, और उसके बाद कह देंगे कि हम इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तब अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिवाए यह रिपोर्ट देने के कि कनसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो गई हैं।

चीफ लेबर कमिश्नर भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। वह मजदूरों की बात को सुने बिना उनकी कुछ मांगों को—सब मांगों को नहीं—एडजुडिकेशन के लिए भेज देंगे। इसके बाद सालों तक चलने वाली बहुत लम्बी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मामला ट्रिब्यूनल में जायेगा और फिर हाई कोर्ट में जायेगा। मालिक के पास बहुत पैसा होता है; वह सुप्रीम कोर्ट तक जायेगा। इस तरह कारखाने या खदान में काम करने वाले मजदूरों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। उनके पास न पैसा है, न समय है, न धीरज है कि वे बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से लड़ सकें। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन कानूनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करें।

सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि कम्पलसरी आरबिट्रेशन की

[ श्री वाई० पी० शास्त्री ]

व्यवस्था की जाये। अगर मालिक मजदूरों की मांग को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करता है, तो अनिवार्य रूप से उसका आरबिड्रेशन होना चाहिये, और उसका निर्णय मालिक और मजदूरों दोनों के लिए बंधनकारी और मान्य हो। तभी मजदूरों को न्याय मिल सकता है। अभी तक जो प्रणाली है, वह मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली प्रणाली नहीं, बल्कि शोषकों, उद्योगपतियों के हितों का संवर्द्धन करने वाली प्रणाली है। इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता पार्टी की सरकार इस बारे में तत्काल निर्णय लेगी और मंत्री महोदय उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि कनसिलिएशन प्रोसीडिम्स की बिलम्ब करने वाली प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी, ताकि मजदूरों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके और उन्हें न्याय मिल सके, और मजदूर समझ सकें कि सचमुच आज उनकी सरकार है—ऐसी सरकार है, जिसे उसके हितों की चिन्ता है।

विद्युत् की सरकार ने मजदूरों के साथ जो बहुत बड़ा अन्याय किया था, उसका निराकरण तत्काल होना चाहिए। आपातकाल की, घोषणा का सबसे अधिक प्रभाव इस देश के श्रमिक वर्ग पर पड़ा था। उनका 8.33 प्रतिशत बोनस, जो उन्होंने बहुत बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त किया था, छीन लिया गया। अचानक कह दिया गया कि अब तो केवल 4 प्रतिशत बोनस रहेगा और केवल वही कारखाने, वही संस्थान दगे जो मुनाफा कमाते हैं। अब मुनाफा कमाने का तो मामला इतना पेचीदा है कि इसकी कोई जांच हो ही नहीं सकती। कोई भी बड़ा उद्योगपति कभी यह नहीं कहता कि हमें मुनाफा हुआ है। वह तो हमेशा घाटा ही बताता है, नहीं तो उसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और वेल्थ टैक्स

देना पड़ेगा। इसलिए वह कभी भी सही मुनाफा बता नहीं सकता और मजदूरों को बोनस मिल नहीं सकता। जो उनकी मांगी कमाई का पैसा है वह उनको नहीं मिल सकता। यह सिद्धांत मान लिया गया था कि यह बोनस उनकी मजदूरी है, डेकडें बेजेज है। यह वह मजदूरी है जो सही माने में मजदूर को दी नहीं गई थी इसलिए 12 महीने काम करने के बाद एक महीने का वेनन 8.33 प्रतिशत के रूप में उन्हें दिया जाय। आपात स्थिति में यह समाप्त कर दिया गया। लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज का मजदूर उसके लिये अब और अधिक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं हमारी जनता सरकार से हैं। इसलिए मंत्री जी आज या कल जब मंत्रालय की मांगों का जवाब दें तो इसकी भी घोषणा वे करें कि यह 8.33 प्रतिशत बोनस अनिवार्यतः सभी मजदूरों को मिलेगा।

इसमें आप इसकी परवाह न करें कि कोई यह कहेगा कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जायेगी। यह बात मैं बहुत सुनता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि इससे कि जो लोग समझते नहीं कि मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है वे लोग इसका नारा लगाते हैं कि मनी सप्लाय बढ़ जायेगी और उससे महंगाई और बढ़ जायेगी। यह एक कहने का तरीका हो गया है। कोई इसकी गहराई में नहीं जाता चाहता कि मुद्रास्फीति बढ़ती कैसे है उसके परिणाम में महंगाई कब बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ने का मामला तो तब होता है जब रुपया इकट्ठा करके संग्रह के रूप में रखा जाय या उसका उपयोग अधिक से अधिक चीजों की खरीद करने में किया जाय। उत्पादन कम हो और उस पैसे का उपयोग अधिक से अधिक चीजों को इकट्ठा करके रखने में किया जाय तब मुद्रास्फीति बढ़ती है और उसके परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ती है। लेकिन

मजदूरों के मामले में तो रुपया संग्रह करके रखने का सबाल ही नहीं पैदा होता। वह तो हैड टू माउथ रहता है। काम कर जाता है, खा जाता है। उसको पैसा देने से मुद्रा-स्फीति का खतरा कहाँ आता है? वह तो उसका पैसा है जो उसको मिलना चाहिये, उसकी मजदूरी है वह। वह उसका संग्रह नहीं कर सकता। वह उससे आवश्यक वस्तुयें खरीद कर उनका संग्रह करके उससे बनाफाखोरी भी नहीं कर सकता। वह पैसे तो केवल उसके खाने के लिए और जो उसकी न्यूनतम आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वह बोनस जो आप देंगे वह उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। तो उससे मुद्रा-स्फीति नहीं होने वाली है।

दूसरी ओर यह बोनस जिसको मिलेगा, उसकी वास्तविक मजदूरी उसको मिलेगी तो उसका उत्साह बढ़ेगा और उससे वह और अधिक उत्पादन करेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो उससे मुद्रा-स्फीति रुकेगी। मुद्रा स्फीति रोकने का इससे कारगर तरीका दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसका यही उपाय है। और यह तो देखा जा चुका है, अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि अगर मजदूर के साथ न्याय किया जाय, उसको सही मजदूरी दी जाय, उसका बोनस उसको दिया जाय, उसके अधिकार दिए जायें, तो उससे उत्पादन बढ़ता है। अभी पिछले दिनों हमारे रेल मंत्री ने इसी सदन में बताया था कि चूँकि हमने रेल मजदूरों के साथ न्याय किया, पिछली हड़ताल के समय जिनको निकाला गया था उन सबको काम पर वापस ले लिया, तो उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले साल जो डेढ़ करोड़ का उत्पादन हुआ था उसकी जगह इस साल छः करोड़ का उत्पादन हुआ है। जो उत्पादन के केन्द्र हैं चाहे वह डीजल इंजन का कारखाना हो, चाहे बैगन बनाने का कारखाना हो, उन सबमें मिला कर 6

करोड़ का उत्पादन हुआ है। इससे साबित हो गया है कि मजदूरों को दबा कर रखने से, उनको भूखा रखने से आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उनके साथ न्याय करके, उनके उचित हकों को उन्हें देकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यही सबसे बड़ा तरीका है। इन्फ्लेशन रोकने का भी यही सबसे कारगर फारमूला है। इसलिए यह बोनस उनको देने की घोषणा तत्काल श्रम मंत्री जी करें।

इसी तरह से जो यह कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम की रकम जुलाई में देय डिपाजिट स्कीम की रकम जुलाई में देय थी और उसे प्राविडेंट फंड में डाल दिया गया, पिछली बार जब यह प्रकरण आया था तब भी मैंने उसके लिए कहा था और आज भी कहना चाहता हूँ कि यह उनके साथ अन्याय है। यह पैसा उनको वापस किया जाना चाहिये। बहुत बड़ी उम्मीद मजदूरों ने की थी कि जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमको अवश्य ही यह पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन यह उनके प्राविडेंट फंड में डाल देने का जो निर्णय लिया गया है यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। एक तो महंगाई भत्ता उन्हें यों ही पूरा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। जितनी महंगाई है उसमें मात्रा में महंगाई भत्ता उसको मिलता नहीं है क्योंकि प्राइस इंडेक्स जिस तरह से आंकलित किया जाता है और जिस तरह से उसके आंकड़े तैयार किये जाते हैं वह बहुत ही गलत है। उन गलत आंकड़ों के आधार पर पूरी की पूरी महंगाई को न्यूट्रलाइज करने के लिए महंगाई भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता। केवल कुछ जगहों में बैरिएबल डीयरनेस इलायेंस उनको मिलता है। जब सब जगह वह नहीं मिलता और जहाँ मिलता भी है वहाँ सूचकांक बढ़ने के अनुपात में पूरी महंगाई

[श्री वाई० पी० शास्त्री]

भत्ता उन्हें नहीं मिलता । जो महंगाई होती है उसको देखते हुये उसको न्यूट्रलाइज करते हुये नहीं मिलता है, उसका आधा ही मिलता है । लेकिन उस महंगाई भत्ते का भी आने उससे छीन लिया । पहले की सरकार ने तो उसके साथ सारे का सारा अन्याय किया ही था । उसको जबर्दस्ती उनके कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम में जमाकर दिया गया जब कि उन्हें इसकी आवश्यकता तत्काल थी, अपना अनाज खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, अपने बच्चों को दवा देने के लिए । उस पैसे को पिछली सरकार ने अनिवार्य जमा योजना में जमा कर दिया था, उसका भुगतान होना चाहिये था और जब वह पैसा उनके हाथ में आने वाला था तो आपने अचानक निर्णय कर दिया कि उसका उनके प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दिया जायेगा । उस दिन माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसका हमें स्वागत करना चाहिये कि प्रोविडेंट फंड में भी ब्याज की दर वही रहेगी जो कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम में थी, उसमें कमी नहीं होगी लेकिन ब्याज पर रुपया जमा कराने की हैसियत उन गरीब मजदूरों की नहीं है । यह बात तो मैंने संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सम्बन्ध में कही ।

अब मैं आपके माध्यम से उस वर्ग के मजदूरों की स्थिति भी सरकार के सामने रखना चाहता हूँ जो कि संगठित है जिनकी ओर कभी किसी ने देखा ही नहीं । इन असंगठित मजदूरों में खेतिहर मजदूर है, बीड़ी बनाने वाले मजदूर है, लोक निर्माण विभाग के मजदूर है, आरा मशीन और दाल मिलों में काम करने वाले मजदूर है तथा छोटे छोटे होटलों में काम करने वाले मजदूर है जिनका अपना कोई संगठन नहीं है । वे अपनी आवाज बुलन्द नहीं

कर सकते है । पिछली सरकार ने तो उनके लिए कुछ किया नहीं लेकिन आज इस सरकार से हम उम्मीद करते है कि उनके लिए कुछ करेगी । उनकी मजदूरी की बात आप सुनेंगे तो हैरान रह जायेंगे । अगर उनकी सही सही मजदूरी बता दी जाये तो दुनियां उसको सुनकर हंसेगी । हमारे मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में एक मजदूर की प्रति दिन की मजदूरी 2 रुपए 40 पैसे है । जो वर्कजार्ज के मजदूर है उनको 1947 में जो 30 रुपया महीना मिलता था वही आज भी मिल रहा है । सरकार ही उनकी मालिक और नियोजक है । कोई पूंजीपति उनका नियोजक नहीं है । या 30 रुपया महीने की मजदूरी दुनियां में किसी ने सुनी होगी ? जो मजदूर सड़क और पुल बनाने का काम करते है उनको 2 रुपया 40 पैसा प्रति दिन मिलता है । पिछली सरकार ने बड़े जोरों से डिडोरा पीटा था कि खेतिहार मजदूर की न्यूनतम मजदूरी तय कर रहे हैं । कहीं तीन रुपया, कहीं साढ़े तीन और कहीं पर चार रुपया मजदूरी तय की गई । इस पर लोगों ने कहा कि आप किसानों से कहते हैं कि खेतिहार मजदूरों को कम से कम इतना दो लेकिन जो स्वयं तुम्हारे मजदूर हैं, जिनसे सरकार स्वयं काम लेती है और जिनके काम के घण्टे भी 8 नहीं बल्कि 12-14 घण्टे होते हैं, जो पी०डब्लू०डी० में काम करते हैं उनको केवल 2 रुपया 40 पैसा प्रति दिन क्यों दिया जाता है ? इस असंगति कोई इस अन्याय को और इस घोषण को सरकार समाप्त करेगी या नहीं ? जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि अपने देश में अधिक से अधिक और कम से कम आमदनी का अन्तर एक और बीस से ज्यादा नहीं रहने दिया जायेगा और धीरे धीरे इसको एक और दस के अन्तर पर लाया जायेगा । आप इस बात को सोचें कि एक तरफ 30 रुपए महीने की मजदूरी है और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों की आमदनी है और

हमारे शासकीय क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय की 10 हजार रुपए महीने की तनख्वाह तो है ही ऐसी हालत में अगर एक और बीस का अन्तर रखना है तो कम से कम जो ग्रामदानी हो वह 500 रु० मासिक से कम नहीं होनी चाहिये। अभी कुछ वर्ष पूर्व देश में बड़ा संघर्ष हुआ, रेल मजदूरों ने, खदान मजदूरों ने और कारखाना मजदूरों ने संघर्ष किया कि नीड बेंसड मिनिमम वेंज होनी चाहिए। श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में थर्ड पे कमीशन ने 1974 में एक हिसाब लगाकर रिपोर्ट में लिखा है। न्यूनतम मजदूरी यदि जरूरत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर आंकी जाये, तो उस समय 1974 में 314 रुपये से कम नहीं होगी। उस के बाद महंगाई काफी बढ़ी है, इस लिये अब तो और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 314 रुपए से कम तो किसी मजदूर को मिलना ही नहीं चाहिए—ऐसा उस समय गजेन्द्र गडकर कमीशन ने लिखा था। लेकिन उस सरकार ने कमीशन की उस सिफारिश को नहीं माना। मैं जानना चाहता हूँ कि अब हमारी सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जनता सरकार सब से पहले उच्च-प्राथमिकता इस सवाल को दे, क्योंकि यह देश का सचमुच में सबसे निचला तबका है।

अन्तोदय की बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तावित कृतज्ञता प्रस्ताव के उत्तर में कही थी। हम को अन्तोदय का आदर्श अपने सामने रखना है, अन्तबाला कौन है, अन्तिम स्थिति में नीचे के स्तर पर कौन लोग हैं? हमारे देश के खेतिहर मजदूर, पी० डब्ल्यू० डी०, मजदूर, सर्वहारा समाज, जिन के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिन के पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है—यह समाज है जिस की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। भादों के महीनों में, जब वर्षा की झड़ी लगी होती है—उस समय अगर कोई खेतिहर मजदूर एक दिन खेत में काम

करने नहीं गया, तो वह बड़ा किसान उस को उसके झोपड़ से निकाल कर बाहर कर देता है। अपने बाल-बच्चों, पत्नी को लेकर उस भादों की अंधेरी रात में पेड़ के नीचे जा कर बैठता है—यह हालत है उस सर्वहारा समाज की। इन्होंने पिछले दिनों बहुत ढिंडोरा पीटा कि बन्धक मजदूरों को मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन को कहीं भी मुक्त नहीं किया गया। मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जानता हूँ, जहाँ तक बन्धक मजदूरों की प्रथा है। जहाँ भू-स्वामी लोग कुछ थोड़ा सा कर्जा दे देते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार-भर के लोगों को बन्धक-मजदूर बना कर रखते हैं। अगर वह काम करने न जाये, कम से कम मजदूरी पर काम करने से इन्कार करे तो उनको उनके घरों से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। आज तक इतनी सुरक्षा भी उन को प्रदान नहीं की गई है कि जिस जमीन पर उन का घर बना हुआ है, उस से उन को नहीं निकाला जाएगा—यह हालत है आज इस देश के करोड़ों लोगों की।

कहा गया है कि 98 लाख लोग बेकार हैं—ये आंकड़े एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दर्ज नामों के आधार पर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये आंकड़े गलत हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में नाम दर्ज कराने वाले बहुत कम लोग हैं। यदि गांव-गांव का सर्वेक्षण किया जाये तो आप को मालूम होगा कि यह संख्या सात करोड़ से कम नहीं है। जो लोग एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराते हैं, जब उन को नौकरी नहीं मिलती, चार-चार, पांच-पांच साल बीत जाते हैं उनको इन्टर्व्यू तक के लिए काल-वैटर नहीं मिलता तो फिर अपने कार्ड को रिन्यू कराने नहीं जाते। यह हालत हमारे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की है। इसको छोड़िए—बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिन को एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे बस्तर का क्षेत्र है—वहाँ जा कर पूछिये, उन को पता ही नहीं



[श्री बाई० पी० शास्त्री]

है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज भी कोई चीज है जहाँ नौकरी के लिए नाम दर्ज कराना होता है।

हमारे देश में बरोजगारी की स्थिति बड़ी बुरावह होती जा रही है। इस का तत्काल निदान न किया गया तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा इस के लिए बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ—हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया गया है कि हम रोज-शार का अधिकार, काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इस देश के नौजवानों को प्रदान करेंगे—उसके पालन करने का समय अब आ गया है। अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि संविधान में यदि काम के अधिकार का फण्डामेंटल राइट्स में जोड़ेंगे तो यह राज्य विधान सभाओं में पास नहीं होगा, क्योंकि फण्डामेंटल राइट्स में यदि कुछ जोड़ना है तो इस तरह का संशोधन केवल लोक सभा में पास करना ही पर्याप्त नहीं होगा, यह आधे से अधिक विधान सभाओं में भी पास होना चाहिये। आज देश की जनता ने यह अवसर प्रदान कर दिया है कि अब हम इस को विधा नसभाओं में भी पारित करा सकते हैं। इस काम में अब विलम्ब नहीं करना चाहिये। इस देश के करोड़ों नवयुवकों को यह आशा की किरण देनी चाहिये। यह ऐतिहासिक लाभ होगा और इस काम के लिये आगे आनेवाली पीढ़ियाँ सदा के लिये जनता सरकार को याद रखेंगी। इसका लाभ केवल आज नहीं होगा, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे और उनके जीवन से निराशा दूर होगी। इस देश का नागरिक यह नहीं समझेगा कि उसकी सन्तान भूखों मरेगी। उनको इतना विश्वास होगा कि जो कोई इस देश में पैदा होगा, उसको 18 वर्ष की उम्र के बाद अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।

अगर काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा तर्क बँ भूखों न मर सके। वह इन सुविधाओं से वंचित न रहे, इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम तुरन्त संविधान में संशोधन करें। हमारे ऊपर जनता ने जिम्मेदारी डाली है। हमें तुरन्त सदन के समक्ष यह संशोधन लाना चाहिए। इस संशोधन को पारित कर हमें अपने वचन को पूरा करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि श्रमिक क्षेत्र में हमें समन्वित रूप से एक नीति लाना चाहिए। पिछले दिनों जो सरकार की नीति रही, चाहे वह श्रमिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे और कोई क्षेत्र हो, उन सभी में यह रही कि अपने पिछलग्गुओं का एक गिरोह तैयार किया जाए जो हमारे विरोध में या कांग्रेस के विरोध में बोलने वाला न हो और जो बोले उसका मुँह दबाने वाला हो। देश के सारे कारखानों में, उत्पादन के केन्द्रों में इस तरह के संगठन खड़े किये गये। जो इस संगठन में लोग थे उनका मजदूरों पर कोई प्रभाव नहीं था। वे मालिकों से मिले रहते थे। जिस मांग के लिए सरकार की तरफ से इशारा होता था कि मांग मान लो, उस मांग को मालिक लोग उनके माध्यम से स्वीकार कर लेते थे। जो मजदूरों के बीच में सही काम करने वाले लोग थे, जो उनके लिए लड़ने वाले थे उनको दबाया जाता था। सरकार का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त था। उन्हीं लोगों के संगठनों, इन्टक को, मान्यता दी जाती थी। इन्टक के लोग चुनाव में हारते थे, मजदूरों का उनको विश्वास प्राप्त नहीं था। लेकिन इन्टक के लोग ही मजदूरों के भाग्य विधाता थे। मजदूरों के लिए समझौता करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ था, चाहे उनका कोई प्रभाव मजदूरों में हो या न हो। विवश होकर मजदूर उनके पास जाते थे। लेकिन अब यह चीज नहीं चलने दी जाएगी, इस तरह की गिरोह-

बाजी को, इस तरह की आतंकवादी हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही मायनों में जो संस्थाएँ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिए। जो लोग सचमुच मजदूरों में प्रभाव रखते हैं, मजदूरों में काम करने हैं, उन्हीं को मान्यता दी जानी चाहिए।

आपात्कालीन स्थिति के दौरान एक नाटक रचा गया कि संयुक्त समितियाँ सब जगह बनाई जाएंगी। शाप प्लौर और प्लांट स्तर पर मजदूरों की भागीदारी के लिए ये समितियाँ बनाई जायेंगी। यह कहा गया कि मजदूरों को प्रबन्ध में भागीदारी देने के लिए ये समितियाँ बनाई जा रही हैं। वे ही लोग इन समितियों में लिये गये जो तानाशाही के पिछलग्गू थे। उनके सामने कारखानों में कोई लेखा-जोखा या हिसाब नहीं रखा जाता था। अब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये। इस तरह की जो समितियाँ हैं उनमें मजदूरों के सही प्रतिनिधि होने चाहिए। अब समय आ गया है कि सही मायनों में जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते ह वे ही इन समितियों में जाएँ। तभी वास्तव में मजदूरों की भागीदारी मानी जाएगी। भागीदारी का अर्थ यह है कि मजदूरों के सही प्रतिनिधि उनमें भागीदार हों। मजदूरों के सही प्रतिनिधियों के लिए आप चुनाव करायें। माननीया अहिल्याबाई जी ने कहा कि मजदूरों के सही प्रतिनिधि बय करने के लिए गुप्त मतदान की प्रणाली से चुनाव हों और आप यह जानें कि कौनसी संस्था सही मायनों में मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व करती है। अगर प्रतिनिधित्व देना है तो सही मायने में प्रतिनिधित्व वाली जो यूनियन है उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। सचमुच में मजदूरों का जो विश्वास पात्र संगठन है, जो संस्था है, जिस पर उनका विश्वास है उसके प्रतिनिधि होने चाहियें। संयुक्त समितियाँ हों, या कोई भी समिति हो उसमें नाटक या आडंबर नहीं रचा जाना चाहिये और मजदूरों का कारखाने में

मुनाफे में भी हिस्सा होना चाहिये, तभी वह सही भागीदारी होगी। जो कुछ भी कारखाने में मुनाफा होता है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिये। कारखाने का सही हिसाब किताब मजदूरों को मालूम होना चाहिये। जो एकाउण्ट्स हैं उन तक उनकी पहुँच होनी चाहिये। फिर जो कुछ भी मुनाफा हो उसमें उनका हिस्सा होना चाहिये, वही सही भागीदारी होगी। इसके बिना भागीदारी का कोई मतलब नहीं है।

आज ही सुबह सिक मिलज की चर्चा हो रही थी। सिक मिलज कैसे बनती है? जान बूझ कर इनको बीमार मिलें बनाया जाता है। सारा मुनाफा खा जाते हैं मालिक लोग, सब कुछ बेच डालते हैं और उसके बाद मुआवजा लेने के लिये सिक मिल उसको बना देते हैं। सिक मिलज को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाती है। चाहे सिक मिलज हों या दूसरी तरह की हों मजदूरों का शोषण ज्यों का त्यों जारी है। बजाये इसके कि सरकारी अफसर जाकर किसी मिल को चलाएँ उस मिल में जो उत्पादन करता है, जिन के ऊपर देश का उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर देश की आवश्यक वस्तुएँ मुहैया करने की जिम्मेदारी उनके हाथों में उस मिल को दे देना चाहिये। जो पसीना बहाते हैं, उनका स्वामित्व उस मिल पर होना चाहिये। वे ही उसको चलायें। यह आवश्यक है और देश की श्रमिक जनता सरकार से इसी बात की उपेक्षा करती है।

इन शब्दों के साथ मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): First of all, I would like to congratulate my old friend and colleague, Mr. Ravindra Varma, who is shouldering the responsibility for one of the vital Ministries of government.

[Shri Vayalar Ravi]

I was patiently hearing Mrs. Rangnekar, the Marxist Member. She was taking objection to some points in the 20-Point Programme. I do not know why she is objecting to these points which deal with bonded labour, minimum wages for agricultural workers and workers' participation in management.

I can understand her agony and anger. Her party had occasion to rule twice in two States, viz., West Bengal and Kerala. Unfortunately during its regime, her party had failed to look into any of the points—neither the bonded labour problem, nor the question of minimum wages for agricultural workers. My State, Kerala, can take credit for introducing minimum wages for agricultural workers for the first time in this country. Naturally, the Marxist Party will be angry, because we introduced these reforms and it was not done by any one of the governments run by her party.

In regard to workers' participation in management, Mr. Jyoti Bosu's government in West Bengal did not give any right of participation to workers in management in their own State government industries. Under the 20-point programme, 99,000 persons i.e., bonded labourers were set free. Unfortunately, the lady Member has objected to this. I am sorry about her remarks I wish she appreciates these points. I can understand the anger of her party-men in regard to the Emergency; But she should not get angry with the economic programme.

16.28 hrs.

[MISS ABHA MAITI in the chair]

Now about the role of the workers in the country to-day. (*Interruptions*). The Janata party is in the government. The Janata party Members should place before the country what the facts are. The question is whether the governments in Kerala and West Bengal when they were run

by Namboodiripad and Jyoti Bosu respectively, made any study, with any sincerity, to ascertain whether there was bonded labour in their States. Have they done anything? They have done nothing. My only request to them is to please rule West Bengal properly as they got another chance.

The workers in this country are the most-blackmailed. They are more responsible than others in this country. The working class in this country behaved in a responsible way during the emergency. They played an important role in the economic life of the country. Yet, unfortunately, they are blackmailed by the monopoly press and the employers. If we look at the whole class—I am not defending everything that has happened even in 1976—the workers have not resorted to strike, in spite of the fact that there are elements in the trade unions who used to say that they would rather see the nations starve to die and not allow the steel mills to function. The workers have played an very important role. But, I am sorry to say that the industrialists and employers behaved in a very irresponsible way and even her previous Government could not control them.

According to this Report the man-days lost is 21.9 million. The man-days lost due to lock-out ranged from 54 per cent to 90 per cent. During the last one year of emergency the employers made it a point to create hardship for the workers. Even though the workers behaved very well and in a responsible way, the employers and the monopolists always blackmailed them through the mass media.

To take one example there is one Mr. Dalmia who has two factories in Kerala. Something happened to the works and they protested to the management. The entire press, including the *Indian Express*, came out with four-column headlines that an industrialist was man-handled. What was the result? He closed down the paper

mill and another factory. He declared lock-out and went away. There is no law in the country either to prosecute him or to make him open the factory. Yet, the entire newspapers supported this industrialist. They are not looking at the plight of the poor workers who are starving today. Even though the schools are opened, the workers could not send their children to schools because they have no money to pay the school fee. When this is the condition of the workers, the newspapers are supporting the industrialists. So, I would say that the Minister should have a fresh look at the Industrial Disputes Act, which needs comprehensive change.

There is a provision in that Act for domestic enquiry, which means the workers lose their job. The employers appoint their own lawyers, have an enquiry and then dismiss the workers. Another lacuna in the Act is that is not mandatory for the employers to go in for conciliation. I would say that conciliation must be made mandatory.

In 1976 we amended the Industrial Disputes Act to the effect that if there are more than 300 workers in a factory, the management cannot resort to lockout or lay off without the permission of the Government. At the same time it was provided that if they give 90 days' notice, it can be done. So, there is no meaning for this provision. Government have to come forward with a law which will prevent the employers from resorting to lock-out or lay off, retrenchment or other hardship to the workers.

Another bad feature is police intervention in strikes. Shri Jyoti Bosu said that he will use the police against the workers.

**THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS AND LABOUR  
(SHRI RAVINDRA VARMA):** Did he say so?

**SHRI VAYALAR RAVI:** Yes, he said it. He said that illegal strike would be prevented and there will be police intervention against it. The police will come into the picture on the pretext of law and order. There is a past history behind every labour agitation. The police cannot simply say that it is a law and order problem and intervene. There should be some report before them to that effect. I am saying this because Shri Charan Singh wants to enforce discipline. Take, for instance, the strike in Modern Bakeries, Ernakulam. I am also President of one of the unions. The police intervened. I asked why. They said they had instructions from Delhi that the public sector must be protected. Instead of being an exemplary employer, the public sector, unfortunately, has become a privileged employer today, and the Labour Minister is helpless because he has no power to refer to adjudication any dispute in a public sector undertaking. He has to wait for the permission of the Under Secretary from the Ministry concerned who can veto it. What I am saying is past history. Definitely I share part of the responsibility, I am not escaping, but I am only appealing to the hon. Minister to reconsider it. This privilege given to the public sector enterprises is a very important point. You have to assert your rights. You should not wait for the Under Secretary of the concerned Ministry to give permission. You should guide the public sector management to be an example to all, including Jyoti Bosu's Government.

The Prime Minister said that they are not going to reduce the strength of Government servants by 10 per cent, but only they are not going to fill up the vacancies up to 10 per cent. It means practically they are reducing the strength by 10 per cent. What is the philosophy behind it? It is the same as that of the Congress Government.

The CDS was introduced by the Congress Government because of eco-

[Shri Vayalar Ravi]

nomic and financial constraints, to cut the money supply in the organised sector. Now, the Finance Minister, Shri H. M. Patel, has said the same thing and the scheme is being extended. Practically it has been made permanent. Why? Because they do not want the money to go to the workers. Under the law the scheme continues only up to June and in July they have to return one-fifth of the deposits with interest, but Government say they are not paying. The reason is the same philosophy of financial constraint, money supply having to be cut. So, what difference does it make between the Congress and the Janata Governments when there is a 10 per cent reduction in the staff, the CDS money is not returned and there is no bonus?

I am not blaming them about bonus. I know he will say that it was our law, but I will remind him that he is sitting there because he has made a promise that the Bonus Act will be amended. He has assured the workers that he will repeal it. Both of us come from the same State. He knows that in Kerala bonus has been customary from the time of Sir, C. P. Ramaswamy Aiyar's regime. I am proud that the Coalition Government of Kerala during the emergency forced every management to pay a minimum bonus of 4 per cent during Onam, but today the Kerala Government seems to be helpless, they cannot compel the industries to give bonus. So, we are going to face serious agitations in industries, including the public sector. So, I appeal to the hon. Minister to introduce a Bill to repeal the Bonus Act and see that bonus of 8 1/3 per cent is given to all workers.

Regarding workers' participation in management, I know he is very eager to introduce it and may expedite it.

The ESI scheme now covers 5.2 million workers, but now it applies

only to factories employing more than 20 employees. Statistics show that the total number of workers is 19.6 million. Out of 19.6 million workers, you are covering only 5 million. A majority of the workers who are in the establishments which employ less than 20 workers, are not covered under this scheme. I know for a fact that the organised workers do not want this scheme at all, because they can get better medical facilities through the agreements with the employers. If the workers do not want it, please do not impose this scheme on them. If they can get better medical facilities through agreements, let them have it. I know, the ITI workers, Palghat represented to the Government that they should be given exemption from this ESI scheme. Moreover, the hospital facilities are not good. I know a hospital where cattle are in Ernakulam. Then ESI gives Rs. 100/- for funeral. ESI is not for funeral or killing people but to keep them medically fit. Many of the Unions which I represent, have requested the Minister to exempt them from this scheme. I request the Minister to extend this scheme to those establishments which employ less than 20 persons because there, the workers do not get any medical facility from the employers and do not impose the scheme on those organised workers who do not want it.

About EPF scheme, I know the employees are very responsible and they are trying to clear the arrears of accounts. During the last two or three years, the EPF arrears have come down from Rs. 20 crores to Rs. 18 crores. Still, it is a huge amount. The Government has also launched prosecutions. But I feel the Government is not providing enough staff to the PF Commissioner and Regional offices. On the floor of this House, on many a occasion, I demanded that the Provident Fund Office should be made an autonomous body. If you

make it an autonomous body, they will get more powers and more authority. Now the EPF officers go up and down for getting a small thing done from the Ministry. So, I would appeal to the Minister to consider converting this into an autonomous body and give them more powers and staff.

There are 11 million unemployed youth in this country, but you have no provision to give them employment. May I request you to start an unemployed insurance scheme for these youth? There is lot of corruption in the employment exchanges and I would request the Minister to take some effective steps to eradicate corruption in the employment exchanges.

There is heavy indebtedness among the industrial workers. The money-lenders are exploiting these persons. There has been some attempt by the previous Government to eradicate rural indebtedness. I would request the Minister to take some steps to eradicate indebtedness among industrial workers.

The Port employees have threatened to go on strike. I appeal to the hon. Minister to see that this strike is averted so that our economy does not suffer in any way.

In conclusion, I have only one request to make to the hon. Minister. He has given great hopes to the workers that their grievances will be looked into and their lot will be improved. But the workers are always exploited by the ruling class. I have no doubt that the exploitation may continue because the ruling class is always on the winning side. They will try to exploit the workers. The entire machinery, the entire mass media, is controlled by the ruling class. That does not mean that you alone are a part of the ruling class. They are omnipotent and omnipresent. They always try to exploit the workers. An hon. Member on the other side was talking about the

INTUC affairs because of his ignorance of the working of the INTUC. I say with great pride that I am a worker of the INTUC in my State and I can say that it stands for the cause of workers. It champions the cause of the workers. But we are being blamed by the Chairman of the Janata Party in Kerala who said in Kerala that the INTUC workers and the leaders are exploiting the workers creating agitations to tarnish the image of the Janata Government. He issued a statement last week. The strike is going on in some factories with unity of all trade Unions including CITU. We are being blamed that the strike is being organised to black-mail the Janata Party. I can assure you that we have no intention to make the labour as a political war weapon to fight with as many members of the Janata Party may think. We will see that the INTUC and the Congress Party will do their best to safeguard the interests of the workers.

With these words, I can assure the hon. Minister that we will support him when he brings forward a legislation for the betterment of the workers. Once again, I congratulate him.

प्रो० शिबबल जाल सेक्सेन (महाराजगंज) :  
सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को उा के साढ़े तीन महीने के कार्यकाल पर बधाई देता हूँ। मुझे मजदूर यूनियनों में काम करते हुए 58 साल हो गए। सन् 1920 में स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नेतृत्व में मैं ने यह काम शुरू किया था। उस समय वहाँ कानपुर में मजदूर सभा कायम हुई थी जिस के वे सेक्रेटरी थे और मैं उस का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। मैं ने सभी मजदूरों में चाहे वे कपड़ा मिलों के मजदूर हों चाहे चीनी के कारखानों के मजदूर हों या बन्दरगाहों के मजदूर हों, सभी में काम किया है और अपने इस लम्बे अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह साढ़े तीन महीने का जो कार्यकाल उन का गुजरा है वह बहुत ही

[प्रो० शिव्वनलाल सबसेना]

शानदार गुजरा है। अभी हाल ही में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का जो डिस्प्यूट सेंटिल किया है उस के लिए मैं उन को बधाई देता हूँ। यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार गोयनका जी का है। पिछली सरकार के लिए गोयनका रेड रैंग टु दि बुल के समान थे। उन को खत्म करने के लिए पिछली सरकार ने क्या नहीं किया। उन के अखबारों पर जुल्म किया, उन की प्राइवेट प्रापर्टी पर जुल्म किया, उन की कलकत्ते की जूट मिल को कान्फिस्केट किया और हर तरह से उन को बरबाद करने की कोशिश की। वे शायद उन को मार ही डालना चाहते थे। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस में जब हड़ताल हुई तो उन के जो पहले के दुश्मन थे वे बड़े खुश हुए कि चलो, अच्छा हुआ हड़ताल हो गई। लेकिन जिस शान के साथ श्रम मंत्री जी ने इस डिस्प्यूट को सेंटिल किया और जिस तरह से गोयनका जी ने उन की बातों को माना उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह काम उन्होंने इतनी खूबी से किया।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान अपने उस तार की ओर दिलाना चाहता हूँ जो मैं ने उन्हें लेबर डपो, गोरखपुर के सम्बन्ध में भेजा था। गोरखपुर में एक लेबर डिपो सन् 1940 की वार में शुरू हुआ था और सन् 1973 तक वह बहुत जोर से चला। पिछले 34 सालों में हर साल इस लेबर डिपो से लगभग 30 हजार मजदूर सबसे कठिन काम करने के लिए कोयला खदानों से और दूसरी जगहों पर जाते रहे। जिस काम को दूसरे मजदूर नहीं कर सकते थे। वह काम ये मजदूर करते थे। वहाँ पर तरीका यह था कि एक साल के लिए मजदूर खदान में काम करने के लिये जाते थे और साल भर के बाद घर लौट आते थे और फिर एक दो साल घर पर रहने के बाद फिर जाते थे। इस तरह से उनकी तंदुरस्ती खराब नहीं होती थी। रिकार्ड्स यह बताते हैं कि जितना कोयला

वे मजदूर निकालते थे वह दूसरे मजदूरों की तुलना में दूना होता था। यह सिस्टम बहुत ही अच्छा था लेकिन 1973 में जब कोल माइन्स नेशनलाइज कर ली गई तो श्री कुमारमंगलम शोक उसके अगुवा थे उनसे मैंने कहा कि इस चीज को आप चलने दीजिए, यह बहुत फायदेमन्द है और एक साल का एग्जीमेन्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें उनकी तंदुरस्ती खराब नहीं होती है लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है कि कोल माइन्स के मजदूरों को परमानेंट किया जाय। लेकिन उन्होंने फिर वादा किया था कि इस लेबर डिपो को कायम रखेंगे और कोल माइन्स को इस डिपो से लेबर जाते रहेंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह डिपो तो कायम है लेकिन कोल माइन्स को वहाँ से लेबर की सप्लाई बन्द है। यह कोल माइन्स के मालिकों और सरकार की लापरवाही है। कोल माइन्स में भरने व रिटायर होने से बैकलीज होती रहती है अगर उन जगहों पर ही इस लेबर डिपो के मजदूरों की भर्ती की जाये तो काफी लेबर इस डिपो से हर साल कोयला खदानों में रखे जा सकते हैं। पिछले तीस सालों में गोरखपुर लेबर डिपो से साढ़े दस लाख मजदूर कोयला खदानों में गए हैं। गोरखपुर, देवरिया और बन्ती का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 10-12 फेमिलीज का एक न एक आदमी खदानों में न गया हो।

लेबर वेलफेयर फंड में मजदूरों का जो अनक्लेमंड पैसा बच जाता था वह जमा होता था। उससे हमने पूर्वी यू० पी० के जिलों में 6 बड़े हेल्थ सेन्टर्स कायम किए हैं। एक दिन में एक सेंटर में एक हजार मजदूर डाक्टर को दिखा कर दवा लेने आते हैं जिनको सात दिन की दवाई बांटी जाती है। जो सीरियस पेथेंट होते हैं उनको गोरखपुर के सिविल अस्पताल में हमारे दो वार्डों में भेज देता है जहां हमारा



डाक्टर उनकी दवा करता है। इधर दो तीन साल से लेबर सप्लाय बन्द हो जाने से काम कुछ हलका हो गया है और हमारे उन दोनों वाडों को यू० पी० सरकार को देने की बात चल रही है। ये दोनों वाड लगभग पांच लाख रुपये में बने थे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और उनको रखना चाहिए ताकि वहां पर डाक्टर संगीन बीमारों की देखभाल कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि इनको कायम रखा जायेगा और यू० पी० सरकार को उन्हें नहीं दिया जायेगा। हमारे पास लेबर वेलफेयर फंड में दस लाख रुपये थे, पांच लाख हम खर्च कर चुके हैं और पांच लाख बाकी है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार की जो कोल माइनस वेलफेयर फंड है उस फंड से हमारे खर्च को आधा खर्चा मीट किया जाये और आधा हम लगाये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस फंड से सरकार आधा खर्चा मीट करे ताकि इस काम को सदैव के लिये कंटीन्यू रखा जा सके और कोल माइन और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाया जा सके।

मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब हमारे गोरखपुर लेबर डीपो पर एक बार पधारें और देखें कि हमने क्या काम किया है और क्या कर रहे हैं, उसको देख कर आपको खुशी होगी।

आपने रेलवे स्ट्राइक में जितने मजदूर निकाले थे, उनको बहाल करके काम पर ले लिया। लेकिन ऐसे ही कुछ दूसरे कारखाने हैं जहां हड़ताल करने पर मास डिस्मिसल हुआ था। जैसे महावीर जूट मिल्स, सहजनवा है, जहां एक हजार मजदूर निकाल दिये गये थे, वहां पर लाक आउट कर दिया गया था। जब मामला एडजूडिकेशन के लिये भेजा गया तो कांग्रेस सरकार ने उसको तथ्यहीन कह

कर डिपोजिट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितने डिस्मिसल्स हुए हैं, उन मजदूरों को फिर से बहाल किया जाय। और आइन्दा से हर लेबर डिस्ट्रिक्ट का एडजूडिकेशन कम्प्लसरी कर दिया जाय। ऐसा ही मामला देवबन्द शूगर मिल का है, वहां 300 मजदूरों को निकाला गया था, वहां मजदूरों को मारा गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उन पर गोली चली। मिल मालिक का चूक सरकार पर दबाव था, उसने मजदूरों को बरबाद करने में कुछ उठा नहीं रखा। उनके नेता ठाकुर मुकुन्द सिंह को, जो मजदूरों के क्रांतिकारी लीडर थे, उनको पकड़ लिया गया। मैं चाहूंगा कि जितने लोग देवबन्द, वाल्टरगंज, नवाबगंज, हरदोई, सहजनवा, मसूरपुर और पिपराइच की शूगर और जूट मिलों से निकाले गये हैं उनको बहाल किया जाय। एडजूडिकेशन में सालों लग जाते हैं, फिर भी कोई न्याय नहीं हो पाता है। आप इस पर और करें और तुरन्त कार्यवाही करें। आपकी कार्यवाही एक शानदार कदम होगी और मजदूरों को सन्तोष होगा कि आपने उनको न्याय दिलाया है।

कुछ शब्द मैं शूगर इण्डस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूँ—1930 में मैंने एक यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन बनाई थी, मैं उसका प्रेजिडेंट तब से लगातार रहा हूँ और उसमें आल इण्डिया की शूगर मिलों की यूनियनें हैं। बाद में उसका नाम आल इण्डिया शूगर वर्कर्स फेडरेशन पड़ा। 15-3-1950 को सारी चीनी मिलों के 32 हजार मजदूरों की मतगणना हुई थी जिसमें हमारी फेडरेशन को 79 परसेंट वोट मिले और आई०एन०टी०यू०सी की राइवल फेडरेशन को 21 परसेंट वोट मिले थे। उस जमाने में एक मजदूर का न्यूनतम वेतन 5 रुपये मासिक था। हमने लड़ लड़ कर उनका न्यूनतम वेतन 300 रुपये कराया लेकिन आज क्या हालत है—आप जरा उसको देखिये—

[श्री० शिवबन लाल सक्सेना]

कोयला खदानों में 430 रुपये मिनिमम वेज है, जोहा, सीमेंट और टेक्सटाइल इत्यादि उद्योगों में भी लगभग इतना ही चार सौ रुपये न्यूनतम वेतन है, लेकिन शूगर फॅक्ट्रीज में अब न्यूनतम वेतन 260 रुपये है, यह कितने शर्म की बात है। शूगर फॅक्ट्रीज साल में पांच महीने चमती हैं। 260 रुपये में पांच महीने काम करके 12 महीने तक एक मजदूर कैसे निबह कर सकता है? शूगर इण्डस्ट्री एक फारन-एक्सचेंज प्रनिंग इण्डस्ट्री है, देश के लिये यह बहुत आवश्यक वस्तु पैदा करती है—मैं चाहता हूँ कि इस इण्डस्ट्री के मजदूरों के साथ भी न्याय किया जाय और उनकी मिनिमम वेज को भी बढ़ा कर चार सौ रुपये मासिक किया जाय।

पिछली रेलवे स्ट्राइक में फर्नान्डीज जी ने एक मांग रखी थी कि तमाम रेलवे कर्मचारियों को बड़ी तनख्वाह मिले जो कोल इण्डस्ट्री या दूसरी इण्डस्ट्री में दी जाती है। एक यत्निकाम वेज सबका होना चाहिये, लेकिन सरकार ने उस मांग को तब नहीं माना। अब मैं चाहूंगा कि इन सम्बन्ध में एक नेशनल वेज पालिसी बनाई जाय, जिसमें सब इण्डस्ट्रीज का वेज एक सा हो और सब इण्डस्ट्रीज का मन्तुलित विकास हो, जो जितना काम करे, जितना स्किल्ड हो, उस के हिसाब से उसको तनख्वाह मिले। यह आवश्यक है, और मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इसको करेंगे।

17.00 hrs.

घनवाद में डायरेक्टर जनरल आफ सेपटी इन माइन्स की पोस्ट तीन साल से खाली पड़ी है, वह अभी तक भरी नहीं गई है। इसको फौरन भरा जाना चाहिए जिससे मजदूरों की सेपटी को जो खतरा रहता है वह दूर हो।

शूगर इण्डस्ट्री में मजदूरों को सात महीने की बन्दी के दिनों में कुछ नहीं मिलता

है, वे खाली रहते हैं। मजदूरों की यह पुरानी डिमाण्ड रही है कि उन्हें ग्राफ सीजन में 50 परसेंट वेज मिलना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि मजदूरों की इस डिमाण्ड को पूरा किया जाएगा और उनकी ग्राफ सीजन में 50 परसेंट वेज दिया जाएगा।

इसी तरह से बोनस की मांग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बोनस जो कम किया गया है। उसे फौरन बढ़ा कर 8% प्रतिशत किया जाय। यह एमर्जेंसी के दौरान कम किया गया है। उसे फौरन बहाल किया जाना चाहिए।

सी०डी०एस० फण्ड्स में मजदूरों का जो जमा है वह भी मजदूरों को वापस मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और मजदूरों को उनका जमा लौटा देंगे।

शूगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन की मांग बहुत दिनों से हो रही है। लेकिन अभी तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में शूगर मिल-मालिकों ने अपनी मिलों से बहुत कुछ कीमती सामान निकाल कर बेच दिया। मिलों की रिपेअर करनी बहुत मामूली कर दी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन शूगर मिलों का नेशनलाइजेशन फौरन किया जाए और बिना मुआवजे के किया जाए। हमें नई चीनी की फैक्ट्रियां लगाने के बजाय वर्तमान चीनी मिलों की हर यूनिटों को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। एक यूनिट जो 800 टन का होता है अगर उसको दो हजार टन का कर दिया जाए तो इसमें ओवर हेड खर्च बहुत कम होगा और फॅक्ट्री का मुनाफा भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ शूगर फॅक्ट्रीज का नेशनलाइजेशन अबिलम्ब किया जाय और उसकी कैपेसिटी कम से कम दो हजार टन की जाय। यह काम फौरन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं लेवर मिनिस्ट्री की डिमाण्ड को टोर्ट करता हूँ।

**श्री अहसान जाफरी (अहमदाबाद) :**  
सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रम मंत्री जी एक नीजवान आदमी हैं और उन्होंने जो भी कुछ किया है उससे देश के मजदूरों को आशा बंधती है कि उनकी पालिसियों की वजह से मजदूरों को काफी फायदा होगा ।

हमेशा इस मुल्क के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए बातें कही जाती हैं । मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी मजदूरों के साथ इंसान नहीं हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बरताव अच्छा नहीं हो रहा है । जो देश के लिए धन दीलत पैदा करते हैं; जो देश का एक अहम हिस्सा हैं, उनकी हालत आज भी हम देखते हैं कि देश में बहुत ही गिरी हुई है । हम चाहते हैं कि मजदूर हमारे उत्पादन को बढ़ाएँ लेकिन जिस तरह की दर्दनाक उनकी हालत है, जिन बाधाओं के अन्दर रह कर उनकी काम करना पड़ता है, देहातों में और शहरों में उन में वे देश के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं । आपने शहरों में उनको भीख मांगते हुए देखा होगा । गांवों में भी मजदूरों को आपने उन लोगों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगते हुए देखा होगा जिन्होंने कभी अपने हाथ से हल नहीं चलाया । मजदूर खेत में दिन रात मजदूरी और मेहनत करता रहा है । जब कभी कहत पड़ जाता है तो उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी उन लोगों के दरवाजे पर भिखारियों की तरह पहुंच जाते हैं जिन्होंने कभी हल नहीं पकड़ा, कभी खेत की सूरत नहीं देखी । वे वहां जा कर अनाज की भीख मांगते हैं ।

यही हाल मयमारों का है । वे खुद तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उन में अपनी जिन्दगी बिताते हैं लेकिन दूसरों के लिए वे महल खड़े कर देते हैं । जो दूसरों के लिए जूते बनाते हैं उनके बच्चे जूतों से महकूम रहते हैं । जो दूसरों के लिए मजदूर कपड़ा

बनाते हैं उन के बच्चों को तथा उनको कपड़ा पहनने को नसीब नहीं होता है । ऐसी हालत में उन से कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे देश को ज्यादा पैदावार कर के दें । यह बात नहीं है । उनकी हालत को आपको सुधारने चाहिये ।

हमने देखा है कि हमारे यहां हमेशा आर्गनाइज्ड सैक्टर की तरफ ही ध्यान दिया गया है । इस सैक्टर के मजदूरों ने हमेशा अपनी मांगें मनवा ली हैं । बाकी जो करोड़ों की तादाद में इंसान हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है । नैशनल मिनिमम वेज के बारे में हमने आज तक कोई अपनी पालिसी अख्तियार नहीं की है । ऐसा हमने किया होता तो मजदूर समझ सकते थे और कह सकते थे कि सरकार भी उनकी भलाई के काम कर रही है और तब वे मेहनत भी ज्यादा कर सकते थे । देश की सरकार पूरी तरह से जागृत है और उनके हितों की हिफाजत कर रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । रेलें आदि जो आर्गनाइज्ड सैक्टर है या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं वहां पर तो मजदूरों को कुछ तनख्वाह मिल भी जाती है लेकिन जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मिनिमम वेज तय नहीं की गई है । ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लायटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषण उनका हो रहा है । उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये । तमाम जितने मेहनतकश लोग हैं चाहे वे कहीं भी काम करते हों उनके लिए एक नैशनल मिनिमम वेज आपको तय कर देनी चाहिये और वह वेज उनको मिले इसकी व्यवस्था आप को कर देनी चाहिये ।

रिपोर्ट में खेत मजदूरों की बात कही गई है । खेत मजदूरों को क्या मजदूरी मिले

### [श्री महसान जाफरी]

यह तो आप ने तय कर दिया है। लेकिन आफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज भी पूरे हिन्दुस्तान में खेत मजदूरों के साथ जुल्म हो रहे हैं। जहां पर मिनिमम वेज उनके लिए तय कर दी गई है उसको मांगने के लिए जब वह जाता है तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर बाहर से आदमी को ले आया जाता है और उस से काम करवा लिया जाता है। इसकी जानकारी श्रम मंत्री को अगर है तो वह इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं यह मैं उन से जानना चाहता हूँ। वे लोग इन मजदूरों की मजदूरी का नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। ऐसे जमींदारों के खिलाफ वह क्या कार्रवाई करेंगे, इसका वह हमें बताएं।

उन करोड़ों मजदूरों के लिए जो खेत मजदूर कहलाते हैं और जिन को हिन्दुस्तान के मिनिमम वेज नहीं मिलती है उसके लिए वह क्या करने जा रहे हैं यह भी वह बताएं।

रिपोर्ट में एक अजीब बात कही गई है जो मेरी समझ में नहीं आई। इस पर मंत्री महोदय रोशनी डालें। पेज 20 पर आपने वांडिड लेबर का जिक्र किया है। आपने कहा है कि हिन्दुस्तान के 19 राज्यों में से दस राज्यों में है। आपने आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मिजोरम का नाम लिया है। उसके बाद आप यह कहते हैं:

“Remaining States and Union Territories have reported non-existence of bonded labour system.”

इस सदन के तमाम मातृनीय सदस्य यह जानते हैं कि भारत के और हिस्सों में भी जहां जमींदार हैं वहां पर वांडिड लेबर पाई जाती है। इसके अन्दर उन राज्यों का नाम नहीं

लिया गया है। किस बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि दस राज्यों के अलावा बाकी राज्यों में हिन्दुस्तान में वांडिड लेबर मौजूद नहीं है।

मैं गुजरात की बात बताता हूँ। वहां मेहषाणा और बनासकांठा में आज भी साथी नाम से जाने जाने वाले बंधुआ मजदूर हैं। आप गुजरात में सूरत, जहां से हमारे प्रधान मंत्री आते हैं, साबरकांठा, बनासकांठा में जाइये वहां की हाली प्रथा आज भी जारी है। आज भी खेत मजदूर गुलाम की हालत में रहते हैं। उन्होंने किसी जमाने में 200, 400 रु० जमींदार से लिये हुए हैं, मेरे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जहां पर उन मजदूरों ने कहा है कि किसी जमाने में हमने शादी विवाह के लिये रुपया लिया, उसको 15, 20 साल गुजर गये हैं लेकिन आज तक उसके एवज में हमें डेढ़, दो रु० रोज की मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बच्चों को गाय भेड़ चरानी पड़ती है और उसकी बीबी को जमींदार के घर में काम करना पड़ता है। यह प्रथा आज सूरत के अन्दर मौजूद है जहां से प्रधान मंत्री जी आते हैं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वांडिड लेबर खत्म हो गया है।

इसी तरह से रिपोर्ट में ई० एस० आई० स्कीम की बात कही गई है कि कितने अच्छे ठंग से यह मजदूरों की सेवा कर रही है। मैं आपका ध्यान गुजरात की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ। गुजरात में ई० एस० आई० में मजदूर जो पैसा देते हैं वह 11 लाख के करीब है, जब कि खर्चा 7 लाख के करीब होता है। इसके बावजूद सुरेन्द्रनगर, भड़ोच अहमदाबाद शहर से लगा हुआ एक इलाका है जहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं लेकिन वहां आज भी ई० एस० आई० स्कीम लागू नहीं की गई है। गुजरात में 14 केन्द्रों में से 9 केन्द्रों पर सिर्फ़ मजदूर और उसके खानदान का इलाज किया जाता है और बाकी के जो

केन्द्र हैं, जैसे भावनगर, बड़ौदा, सूरत, क्लोल और राजकोट में मजदूर का ही इलाज होता है, उसकी फ़ेमिली का इलाज नहीं होता है। गुजरात में 4 लाख 90 हजार मजदूर हैं। एस० आई० स्कीम से फायदा उठाते हैं। कुल गुजरात में 11 एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं। ई० एस० आई० के पास। बड़ौदा, भावनगर, सूरत, अहमदाबाद को 11 एम्बुलेंस दे दी गई हैं; बाकी के इलाकों में कोई एम्बुलेंस न होमे से मजदूरों को काफ़ी तकलीफ़ होती है।

इसी तरह से जो लेबर कोर्ट्स हैं उनमें जो काम होता है वह भी काबिले तारीफ़ नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने दिनों में किस तरह से लेबर डिसप्यूट के फ़ैसले आते हैं। रिपोर्ट के पेज 31 पर आपने धनबाद में बताया है कि एक फ़ैसले के आने में कम से कम 3, 4 साल लगते हैं। मजदूर के एक झगड़े का फ़ैसला 4 साल में होता है। जब मजदूर को कारखाने से निकाल दिया जाता है और उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं ऐसी हालत में अगर 3, 4 साल के अन्दर मजदूर के झगड़े का फ़ैसला होता हो तो उसकी क्या हालत होती होगी इसका अंदाज़ आसानी से लगाया जा सकता है। इस हालत को बदलने के लिये हमें लेबर पोलिसी के अन्दर और जिस ढंग से लेबर कोर्ट्स चलते हैं उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मजदूर की हालत खराब होगी और एक नये रास्ते पर वह चल पड़ेगा जिससे औद्योगिक शांति खत्म हो जायेगी। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मिल मालिक जब चाहता है, मजदूर को काम से निकाल देता है। इसके बाद मजदूर बेआसरा हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसके कुटुम्ब के सहारे के लिये उसके पास कोई चीज़ नहीं रहती है।

ऐसे निकाले हुए मजदूरों में कम से कम 50 फीसदी ऐसे होते हैं जो कोर्ट का सहारा नहीं लेते, चुपचाप किसी और धन्धे को ढूँढ लेते हैं। बाकी के 25 प्रतिशत मजदूर ही ऐसे होते हैं जो अपने मामले को लड़ते रहते हैं और शेष 25 प्रतिशत इस बात को छोड़ देते हैं और अपने किसी ऐसे काम में लग जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से विनती करूँगा कि लेबर लाज में इस बात की आवश्यकता है कि ऐसा प्रावधान उसमें होना चाहिये कि कोई भी मिल मालिक, चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, अगर किसी मजदूर को निकालता है तो जब तक कोर्ट से उसका फ़ैसला न हो जाये उसे मिल से बराबर वेतन मिलता रहे और वेतन लेने के साथ साथ वह कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह जंगल के कानून के अलावा और कुछ नहीं। अब मिल मालिक मजदूरों को निकाल देता है और 3, 4 बरस तक वह केस लड़ता रहता है। अगर वह हार जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती और अगर जीत भी जाता है तो उसके 3, 4 मुनहरे बरस बेकार चले जाते हैं। उसका पुराने, हाल कोई नहीं होगा। इस गवर्नमेंट के जमाने में अब ऐसी बात नहीं, होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

हम मजदूरों से हमेशा कहते आये हैं कि वह ज्यादा एफ़ीशियेंसी से काम करें, लेकिन उसको क्या-क्या सुविधायें चाहिये, यह कभी नहीं देखा। हिन्दुस्तान के शहरों में जहाँ बड़े-बड़े कारखाने बने हुए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, वह इमारतें जितनी ऊंची होती गई हैं, उतनी ही गन्दी बस्तियाँ बसती चली गई हैं। वह ऐसे स्थान हैं जहाँ इनसान क्या जानवर भी नहीं रह सकते हैं। हमारे अहमदाबाद में ऐसी बस्तियाँ मिलेंगी, जो जहन्नुम से भी बदतर हैं। अगर भगवान भी ज़मीन पर आकर देखे तो वह भी शर्मिन्दा

### [श्री अहसान जाफरी]

हो कि मैंने जो नक़ बनाया है वह भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर आदमी के मर जाने के बाद उन गंदी बस्तियों में मजदूरों को विचार करना पड़ता है कि किसी लाश को झोपड़ी से बाहर कैसे ले जाया जाये। अहमदाबाद में 18 लाख की आबादी में से 5 लाख इनसान आज गंदी बस्ती में बसते हैं। न उनके लिये पाखाने की व्यवस्था है, न नल की न गटर की। यहाँ बरसात में पानी भर जाता है। रात भर मजदूर बैठे रहते हैं। सबेरे 7 बजे मिल की सीटी बजती है और उसे फिर काम पर जाना पड़ता है। ऐसी हालत में आप उससे आशा करते कि वह ज्यादा काम करेगा, ज्यादा पैदावार करेगा ?

मैं मंत्री महोदय से कहना चाँगा कि वह इन जहन्नुमों को दूर करने के लिये कोई योजना रखें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक जगह पर कोई योजना बताई है और उसमें कहने की कोशिश की है कि हमने इतने मकान बनाये हैं। हिन्दुस्तान में जहाँ 4 करोड़ बेकार रहते हैं, गलियों में फिरते हैं, वहाँ आपकी योजना में 1-1-76 से 31-12-76 तक आपने 66 हजार मकान बनाये और 13 हजार और बनाने वाले हैं। यदि इसी रफ्तार से चलते रहे तो क्या हम हिन्दुस्तान के इन शहरों में गंदी बस्तियों में रहने वालों को, जो जहन्नुम में सड़ते हुए मजदूर हैं, उनको कोई काम दे सकते हैं, उनको रोजगारी दे सकते हैं उन्हें रहने के लिये मकान दे सकते हैं।

हमने देहात के खेती मजदूरों के लिये योजना बनाई। सूरत में आज भी वहाँ के खेती मजदूर कलैक्टर के आफिस के सामने बैठे हुए हैं कि मई महीने में वहाँ की पंचायत ने जो मकान दिये थे वे तोड़ दिये गये हैं। ये मकान पंचायत के अफसरान के सामने बनाये गये थे। वे मकान मई में तोड़ डाले गये हैं।

अगर इन झोपड़ियों में रहने वालों को अच्छे मकान नहीं दे सकते हैं, अगर वे अपने मकान में रहते हैं तो भी वह तोड़ दिये जाते हैं तो ये लोग गन्दे मकान में रह कर कैसे हिन्दुस्तान की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। मजदूर को इस तरह से झोपड़ी में रहना भी नसीब नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कोई ऐसा इन्तजाम करेगी कि हिन्दुस्तान में मजदूरों के साथ आइन्दा इस तरह की हरकतें न हो सकें।

मैं मन्त्री महोदय ने विनती करना चाहता हूँ कि मजदूरों को राइट टु वर्क, काम करने का हक, दिया जाये। आज हिन्दुस्तान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग लेबर कानून बने हुए हैं। उनकी जगह पर सारे मुल्क के लिए एक कोडिफाइड लेबर कानून बनाना जाये। हिन्दुस्तान के बेकारों को भत्ता दिया जाये। देश की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार जो भी कदम उठायेगी, उसमें हिन्दुस्तान के मजदूर यकीनन उसका साथ देंगे, और बहुत हिम्मत के साथ हिन्दुस्तान की दीलत को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे।

मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय मजदूरों की गिरी हुई हालत को सुधारने के लिए नई योजनायें बनायेंगे और एक नेशनल मिनिमम वेज पालिसी तैयार करेंगे। मैं तबक्कु रखता हूँ कि हिन्दुस्तान के मजदूरों ने मन्त्री महोदय के साथ जो उम्मीदें वास्बास्ता की हैं, वे पूरी होंगी।

**श्री मनोहर लाल (कानपुर) :** सभापति महोदय, मैं श्रम मन्त्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

ऐसा लगता है कि देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस बात से कोई सबक नहीं सीखा है कि अनेक अंकुशों और प्रतिबन्धों के बावजूद हिन्दुस्तान की जनता से अपराजय लगने वाली इन्दिरा सरकार और संजय-

गिरोह को मलबे के नीचे दफन कर दिया, कांग्रेस सरकार का सफ़ाया कर दिया और जनता पार्टी को सरकार बनाने का भवसर दिया। मैं श्रम मन्त्री से कहना चाहता हूँ कि वह श्रम विभाग के उन अधिकारियों की तरफ़ कुछ ध्यान दें, जिन के बारे में हिन्दुस्तान के श्रमिकों की यह आम धारणा है कि वे कभी भी मजदूरों के पक्षपाती नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा मालिकों के पक्षपाती रहे हैं, और रहेंगे। वे अधिकारी यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान के जिन श्रमिकों ने अपनी बौद्धिक प्रौढ़ता और साहस का परिचय देते हुए इन्दिरा गांधी की कांग्रेस का सफ़ाया कर दिया और जनता पार्टी को सरकार बनाई, वे निस्सहाय, नाबालिग और नासमझ हैं। उन अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान की जनता, और हिन्दुस्तान के श्रमिक, असहाय, नासमझ और नाबालिग नहीं हैं। वे समझ गये हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है। अगर संविधान में दिये गये उन के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई, तो वे उन अधिकारों को छीन कर ले लेंगे। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय केन्द्र और प्रदेशों के श्रम विभागों के उन अधिकारियों की तरफ़ ध्यान देंगे।

किसी ने कहा है कि इंडिया इज पेइंग वि प्राइस फ़ार इट्स रिटर्न टू डेमोक्रेसी इन वि फ़ार्म ऑफ़ लेबर अनरेस्ट। यह बिल्कुल सही है कि उन्नीस महीनों की इमरजेंसी के दौरान श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात किया गया और उनके अधिकारों का हनन किया गया। उदाहरण के लिए, उनके सामने बोनस के अधिकार को छीन लिया गया, कम्पलसरी डिपॉजिट स्कीम लागू की गई, 1974 में एल० आई० सी० और वहां की यूनियन के बीच हुए एग्रीमेंट को तोड़ा गया, आदि। यही कारण है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मई महीने के मध्य तक दो लाख मजदूरों ने हड़ताल की। यह कारण

है लेबर अनरेस्ट का जिसके कारण हमारे 2 लाख मजदूर जनता पार्टी की सरकार बनते ही हड़ताल पर चले गए। इसके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा।

साठे साहब इस समय हैं नहीं, अभी वह उनके लिए घड़ियाल के घासू बहा रहे थे। वह हिन्दुस्तान के 60 करोड़ इंसानों की बात कर रहे थे। यहां के 60 करोड़ मजदूरों की तरफ से वह वकालत कर रहे थे और उनकी तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कह रहे थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाले 60 करोड़ इंसानों की तरफ और मजदूरों की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। वे कह रहे थे कि आजकल की जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है वह केवल 2 करोड़ मजदूरों को रोजगार देने की है। केवल उन दो करोड़ को रोजगार देने की बात को ध्यान में रख कर वे पालिसी बना रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारी जनता पार्टी की सरकार है या हमारे वर्तमान श्रम मन्त्री हैं या इससे पहले की सरकार और उसके मन्त्री तथा वे अधिकारी हैं जिन्होंने 30 लाख तक उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया। उसके लिए जिम्मेदार तानाशाही की तरफ जाने वाली पिछली सरकार है। जनता पार्टी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वे बोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देश में बेरोजगारी बढ़ाई है।

जहां तक बेरोजगारी का सवाल है उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कहा है। मैं उस में इस समय अधिक न जाकर केवल 1976 का उदाहरण सामने रखना चाहता हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि ये आंकड़े सब गलत हैं लेकिन फिर भी उन्हीं को ले कर मैं कहता हूँ, जनवरी से दिसम्बर 1976 तक 56 लाख 15 हजार लोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने अपने नाम लिखाए और



[श्री मनोहर लाल]

नौकरी कितने लोगों को मिली? नौकरी सिर्फ 4 लाख 90 हजार लोगों को मिली। यानी साढ़े आठ परसेंट लोगों को नौकरी मिली। यह हालत सन् 1976 की है जब कि एमर्जेंसी लागू हो चुकी थी और सब लोग समझते में थे कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बेरोजगारी का तो आलम यह है कि हर साल 7 करोड़ लोग हिन्दुस्तान के अन्दर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं जो रोजगार पाने के इच्छुक होते हैं। मैं इस समय उस के अन्दर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ हालांकि उस का सम्बन्ध श्रम मन्त्रालय से भी है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे नौजवान दोस्तों को नजरबन्द किया है पिछली सरकार ने उसी तरह से जनता पार्टी की सरकार भी करेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनता इस को भी माफ करने वाली नहीं है। जिस तरह से जनता ने अपनी चेतन्यता का परिचय दिया है और पिछले चुनावों में कांग्रेस की सरकार को निकाल बाहर किया है उसी तरह से अगर जनता पार्टी की सरकार ने भी उन की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी तक जो स्थिति चली आ रही थी उस में सुधार नहीं किया तो जनता पार्टी को भी जनता माफ नहीं करेगी।

जहां तक लेबर अनरेस्ट की बात है उस की तरफ मैं बाद में ध्यान आकृष्ट करूंगा। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्रम पूंजी और उत्पादन तीनों चीज देश की तरक्की के लिए जरूरी होती है। इन तीनों के जरिए ही देश की तरक्की हो सकती है। अगर श्रमिकों के सम्बन्ध अच्छे हैं, श्रम की मात्रा अच्छी है और उत्पादन अच्छा होता है और उस के साथ साथ पूंजी अगर समानान्तर नहीं है, पूंजी का बटवारा ठीक ढंग से होता है तो देश तरक्की कर सकता है। हिन्दुस्तान के अन्दर सीभाग्य या दुर्भाग्य से जनशक्ति की कमी नहीं है। यहां हमेशा से जनशक्ति

काफी रही है और आज भी काफी है। उस जनशक्ति का सदुपयोग कर के हम चाहें तो देश की तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि पिछले तीस सालों के अन्दर उस जन-शक्ति की तरफ, उस जनशक्ति की कार्य-क्षमता की तरफ, जो उन के अन्दर काम करने के गट्स हैं उन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उस के कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर सका। दुनिया के और देशों से हम बहुत पीछे रह गए। आज अमेरिका और जापान हम से बहुत आगे है। हमारे हिन्दुस्तान में जब से यह औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुई तब से यहां के मजदूरों ने यह नारा लगाना शुरू किया कि नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मन्त्री महोदय ने भी लेबर की मीटिंगों में इस नारे को दोहराया होगा और आज हब यह कहने में संकोच नहीं है कि आज नया जमाना आ चुका है। कांग्रेस की सरकार को बदलने के बाद और उस की जगह जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वह नया जमाना आ गया है। कम से कम अब जो देश में लूटने वाले हैं उनको जाना चाहिए और जो कमाने वाले हैं उनको खाने के लिए मिलना चाहिए। इस देश में जो कमाने वाले हैं उनको रोजी रोटी और मकान मिलेगा—ऐसी उम्मीद इस देश की जनता करती है। अगर कमाने वाले भाइयों को रोजी रोटी और मकान नहीं मिलता है तो फिर हम समझते हैं यह जो नारा है—नया जमाना आयेगा, कमाने वाला खायेगा और लूटने वाला जायेगा—वह थोथा नारा है और उसमें कोई तत्व नहीं है। फिर इस नारे को बदल देना चाहिए। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि यह नारा कभी झूठा नहीं होगा अगर इसपर उचित रूप से ध्यान दिया जाये। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी इस नारे की तरफ ध्यान देते हुए उन गिनती के पूंजीपतियों पर, जिन्होंने इस देश की पूंजी अपने पास इकट्ठा कर रखी है अंकुश लगावेंगे

श्रौर मजदूरों को वचन देंगे कि मजदूरों के काम के छठे कम किये जायेंगे और समान काम के लिए समान वेतन दिया जायेगा ताकि मजदूर भली प्रकार से अपना जीविको-पार्जन कर सकें।

मजदूरों में कोई धर्म नहीं होता है, मजदूर न हिन्दू होता है न मुसलमान होता है, न सिख होता है और न ईसाई होता है। उसका एक ही धर्म है—मेहनत करना। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि जब मजदूरों का एक धर्म है तो फिर उनको समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं मिलता है। आज इस देश में मजदूरों के वेतन में जो असमानता है उसी के कारण लेबर अनरेस्ट है। इस लेबर अनरेस्ट के चार पांच मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है लांग स्टैंडिंग वेज डिस्प्यूट्स। दूसरा कारण है राइजिंग प्राइसेज। तीसरा कारण है बोर्डिंग इश्यू। चौथा कारण है विक्टिमाइजेशन आफ वर्कर्स। पांचवां कारण है ओल्ड लेबर लाज। इन पांच कारणों की वजह से आज देश में औद्योगिक अशान्ति है। यदि सरकार इन बातों में सुधार कर देगी तो मुझे उम्मीद है कि आज जो देश में लेबर अनरेस्ट फैली हुई है वह समाप्त हो जायेगी। श्रमिक अशान्ति समाप्त होने पर देश में उत्पादन भी बढ़ेगा और उसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति भी कम होगी। मेरा निवेदन है कि सरकार इन पांच बातों की ओर विशेष ध्यान दे। इन बातों में सबसे मुख्य चीज लांग स्टैंडिंग वेज डिस्प्यूट्स है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।

जहां तक राइजिंग प्राइसेज की बात है, कहा जाता है कि कम्पलसरी डिप्राइजिड स्कीम की तहत जो पैसा मजदूरों को मिलता है अगर वह दे दिया जायेगा तो देश में मुद्रास्फीति

बढ़ेगी। कीमतों में और मुद्रास्फीति में यह किस तरह की दौड़ है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए जरूरी है कि उत्पादन को बढ़ाया जाये। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हों। अगर मजदूर और मालिकों के औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तो कभी भी उत्पादन ठीक नहीं होगा। इसीलिए मांग की गई कि जो आज एपेक्स कमेटीज है, वर्कर्स कमेटीज हैं, जो यूनियन्स है वे मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं हो पाती है इसलिए मजदूरों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाये, उनको भी भागीदार बनाया जाये ताकि वे समझें कि फैक्ट्री में उनका भी हिस्सा है। इसी प्रकार से देश में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

तीसरा बोनस वाला इश्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली 8.33 परसेंट बोनस रखा गया था जो फिर 4 परसेंट कर दिया गया और इमर्जेंसी में वह भी छीन लिया गया। मैं चाहता हूँ कि बोनस के इश्यू को मन्त्री जी जल्दी से जल्दी तय कर दें।

अभी पिछले दिनों हमारे मन्त्री महोदय ने कुछ बयान दिये थे—सब से पहला बयान उन्होंने 20 अप्रैल को दिया था जो अखबारों में छाया हुआ था। उस में उन्होंने कहा था—

“सरकार श्रमिकों के हक वापस कर देगी, पर हिंसा बरदास्त नहीं करेगी।”

दूसरा बयान उन्होंने 24 अप्रैल को मद्रास में दिया था—जिस में उन्होंने कहा था—

“केन्द्रीय श्रम नीति में तुरन्त मूल परिवर्तन किये जायेंगे।” तीसरा बयान उन्होंने 6 मई को दिया था।—उस में उन्होंने कहा था—“एमर्जेंसी के दौरान जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था, उन सब को तत्काल वापस लेने के

[श्री मनहोर लाल]

लिये राज्य सरकारों को आदेश दे दिये गये हैं।”

सभापति महोदया, इस आदेश के बावजूद अभी भी राज्य सरकारों ने उन मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया है जिन को एमर्जेंसी में निकाला गया था। मिसाल के तौर पर कानपुर में जिन श्रमिकों को डी०आई०आर० और मीसा में बन्द किया गया था उन को वापस नहीं लिया गया है।

आप की जो लेबर कोर्ट्स बनी हुई है, उन में फैसले नहीं हो रहे हैं। 1975 में 63 हजार मामले लेबर कोर्ट के पास भेजे गये थे, लेकिन 16 हजार केसेज के फैसले हुए। कहने का मतलब यह है कि इन लेबर कोर्ट्स को इसलिये बनाया गया है कि लेबर को न्याय मिले, लेकिन फैसले ही नहीं होते तो न्याय कहां से मिलेगा। मिल-मालिकों के पास पैसा है, वे मुकदमे को दस साल तक लड़ सकते हैं, लेकिन मजदूर के पास तो रोटी का भी इन्तजाम नहीं है, वह कहां तक मुकदमा लड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाये और ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि मुकदमों के तत्काल फैसले हों।

मैं अपने मन्त्री महोदय से, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, कहना चाहता हूँ—यदि हिन्दुस्तान की तरक्की करनी है तो श्रमिकों की समस्याओं पर सब से पहले ध्यान देना होगा, उन की रोजी-रोटी की तरफ ध्यान देना होगा। उन की मकानों की समस्याओं, उन की दूसरी दिक्कतों की दृष्टि में रखते हुए जिस आशा और विश्वास के साथ श्रमिकों ने जनता पार्टी की सरकार की स्थापना की है, उस आशा और विश्वास को मन्त्री महोदय को पूरा करना होगा।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Respected Madam, I shall be precise to the point and short because the time at my disposal is very short. We are dealing with a concerning the subject Labour Ministry which is very sensitive in its area, which is very strategic and is very vital to the economy. Before going into the performance and the working of your Ministry, I would like to bring to the notice of the hon. Minister one relevant point. This Ministry cannot think in terms of dealing any labour policy without looking into the state of the economy of the country, and the share of the workers in the value of wealth. It is a relevant point which has got a bearing on the overall policy. Even if you think in terms of a national industrial policy or even if you think in terms of an integrated income and wage price policy or in terms of national minimum wage policy, it has got a bearing on the overall economic activity and the workers' share in the overall economy. The hon. Minister has shown his mettle in the past few months in understanding the various problems. So, here would like to draw the attention of the hon. Minister to the Reserve Bank of India Bulletin of September 1975. In that Bulletin, Sir, you will find that the rate of growth per annum of 1650 companies in the Corporate private sector. A survey was made by the Reserve Bank of India in 1975. According to the survey, the value of production in 1972-73 was 9.00; for the period 1973-74, it was 11.00. The Gross profit in 1972-73 was 5.4; in 1973-74, it was 19.9. Operating profits in 1972-73 was 5.3; in 1973-74, it was 27.0. Profit before tax in 1972-73 was 6.3; in 1973-74, it was 25.2. Profit after tax in 1972-73 was 5.1; in 1973-74, it was 25.0. The hon. Minister may kindly see how the corporate sector has taken advantage of inflation while the growth rate of net sales has slowed down, the profits have surged forward. Here I need not narrate the whole statistics because sometimes statistics become inconvenient.

Within the limited time at my disposal, I shall give you another amazing picture depicting the fate of the workers who contributed their sweated blood and labour, and what share they got. This is what the report says:

It is a table which is very valuable to understand the mechanics of the economic activities of capitalism in relation to production, the value added by labour and how much share the workers get out of the surplus created by their activity in the form of wages, Salaries and bonus. If we look at the share of workers in the form of wages, D.A and Bonus in the value added by their labour, the share of salaries, wages and bonus in value added (per cent) at the time of the first Plan (1952) stood at 63.6. In 1970-71 it came down to 38.0 per cent. Then it went up to 59.3 per cent in 1971-72. And again came down to 38.1 per cent in 1972-73 and 38.2 per cent in 1973-74. So the workers share in the wealth created by them has been going down. The sudden spurt to 59.3 per cent in 1971-72 the political crisis year not due to any big increase in wages or D.A. It was due to the manipulation by the big capitalists acting in collusion with the landlords and big traders to raise the prices and value of raw materials consumed. This value is suddenly shown to have risen from Rs. 4361.60 crores in 1970-71 to 5920.91 crores. And then it fell to 5280.67 crores in 1972-73 and again rose to Rs. 5820.55 crores in 1973-74. But for the manipulated rise in prices of raw materials, the workers share in value added remained more or less the same. And in spite of this share of the workers not showing any rise but rather a fall, the workers were blamed for the rise in prices and crisis of production. And when their real wages began to suffer due to the rise in prices, they had to go into action to protect the falling real value of their earnings. I want to impress upon the Minister the direction to which the economy has taken and the share that the workers got in the wealth that they produce. If you are thinking of evolving a policy, on an integrated wage income price policy, or a policy on

national minimum wage, you have to take into consideration the share of the workers which they contribute by their sweated labour for production, whether it is public sector or private sector. I am glad that the hon. Minister has resurrected the Indian Labour Conference and he is thinking of constituting a committee to go into the anomalies of price index. I also appreciate the magnanimous job you have done in bringing down Goenka from Express Towers and reaching an agreement on working journalists. You are dealing with a very sensitive area of the economy, the wages question, the bonus question, the question of prices while doing so, the performance of the workers, the share of the workers contribution should be taken into consideration in evolving the policy.

Regarding the wage policy mechanism on an All India basis, I may say that there had been so many wage boards, commissions, committees and other tripartite machineries. No more of wage boards or tripartite machineries or arbitration or commissions for wage negotiations. It should be settled industrywise, through bipartite negotiations, around a table between the management and the employees and they should settle the matter taking into consideration the nature of the industry, and the capacity of the particular industry. On the question of wages your party is committed. You have stated that you would aim at a fair wage. I do not know what is meant by that. Fair wage is the aspiration of the worker in this country. But we cannot achieve even the national minimum wage according to the 1957 Indian labour conference norms. I request at least the national minimum wage need based minimum wage according 1957 ILC norms in the organised sector, be implemented. In the unorganised sector we can be satisfied with Rs. 300 as minimum wage for the time being.

Then coming to the problem of workers participation in management, you had the twenty point economic programme which stated:

[Shri K. A. Rajan]

workers participation in industry. Workers' participation in industry and participation in management has been found to be different in practice. There participation was to increased production and productivity. For real participation in management the whole structure has to be changed; the machinery has to be restructured; workers should not participate only to increase production. They should also participate in management right from floor level to the board of directors level. For instance, in six companies in Kerala, government owned companies workers representatives are elected by secret ballot and they have shown that they can do the job; they have shown by convincing arguments the right policy to be adopted, whether it is at the shop level or the director level. Workers should have an access to the inventories, price policy, sales policy, purchase policy and should have the right to look into the deals of contract. They should not be mere onlookers and watchers. They should have a voice in running the whole show.

I come to the other point regarding the Industrial Relations Policy which you are going to evolve. So much is said in the papers that you are going to bring up a comprehensive Industrial Relations policy. We welcome it. But the only point I should like to mention to the hon. Minister is that a sound Industrial relations machinery could stand only on three edifices, viz., right for organisation, right for collective bargaining and the right for strike. Unfortunately these rights were denied to the workers when the nagtive aspects of the Emergency emerged. The working class was the first victim of the Emergency. The first shot was fired against the working class by the caucus-oriented and the caucus-driven then Government. At that time itself we gave the warning that it is going to be the doom. So Industrial Relation Machinery should be built up on these edifices because these are vital. The right to strike is a right which the workers fought for and got. We can see

that this right to strike exists even in the capitalistic countries. And then on the multiplicity of unions and so much of inter-union rivalry. It affects the workers class as well as the industry. But in that aspect I just urge upon you that while giving recognition, you should take a stand, without any vascilation, that it will be by secret ballot system and that the recognised union should come up as the sole bargaining agency of that industry.

You know Sir, that there is now unrest among he working class. If you travel all over the country in every State capital, you see demonstrations, satygrahas, strikes, lock-outs, closures and victimisation. In our State the Modern Bakery workers are on strike, HMT workers are on strike. Punalur Papers or Dalmias have closed down. There are so many things going on like this. Bilateral agreements are violated. An agreement on promotion is being violated by Punjab National Bank. It was also reported in the Press that Pfizer is going to be closed down. This unrest, suppressed feeling, suppressed discontentment and the suppressed protest on the workers should be tackled. You should not attribute any political motive behind it. The dynamic Labour Minister has shown his mettle already by settling disputes of all-India nature. He is a good and capable conciliator at the same time a hard bargainer. I hope he will not allow these things to continue and will not allow the workers to be exploited by these monopolists, big industrialists, and the greedy few who take institutional finances as and when they like, who plunder the people's money and who make fraud of the contributions to the Provident Fund. Our economy should not go to shambles at the will and pleasure of the capitalists and the big monopolists.

So, I humbly request you, Sir, to evolve a sound Industrial Relations Policy and evolve need based National Minimum Wage Policy on the lines of the I. L. C. norms of 1957 and restructure the workers participating machinery, and also see that the workers are

given their due share. It is the working class, Sir, that has stood behind the nation at the time of national crisis. At the time of test, this class has never faltered. This class has never betrayed. But the other class, the capitalist class which seeks protection even from this Government, are those who have never proved their matter at the time of any national crisis. So, I request you, Sir, to think in terms of a broad policy in evolving a sound Industrial Relations Policy, National Wage Policy and Bonus Policy which you have already agreed to in principle, and of deferred wage protecting the provisions for bilateral negotiations for coming to a settlement by opting out of the Act and also to have the right to go into the Audits.

**SHRI CHITTA BASU (Barasat):**  
Madam, I rise to support the demands for Grants under the control of the Ministry of Labour. While I extend my support to the demands for grants, I would request the hon. Minister to kindly take note of the serious developments in the labour scene of our country today.

You would agree that the labour, particularly organised labour of our country bore the rigours of the emergency during the last 20 months. During the emergency, the entire industrial relations were designed in such a way that the objective of the emergency could be fulfilled. The objective of the emergency in industrial relations was to maximise production and productivity. There is no reason to say that the working class does not want increased production and productivity, but the question is whether they will be entitled to their rightful share of the fruits of increased production and productivity. Here I accuse those who are now sitting on the opposition that they had denied the just and rightful share of the working class, although the working class contributed the most for increased reproduction and productivity. I want to urge on the hon. Minister

that even today that sense of denial is pervading among the working class. They are still smarting under the sense of denial of their rightful share of the increased production and productivity. So, when the Labour Minister announces his new labour relations policy, I would request him to remember this quintessence of the labour situation, because this sense of denial today occupies the focus of the labour situation.

The previous government had no labour policy as such. If they had any labour policy, it was merely the policy of wage freeze. This concept of wage freeze has been borrowed from the western developed capitalist countries. The predecessor of the hon. Minister in the previous government pursued a policy of wages which was for all practical purposes a policy of wage freeze. You would agree that in those developed western capitalist countries, while they pursue a policy of wage freeze, they also follow a policy of price freeze. But here when there is wage freeze, prices are not frozen. That has been the continuous policy of the erstwhile government. This wage freeze policy was built up on an erroneous theory, viz., in order to fight inflation, it is the wage which is to be frozen. That was the most preposterous and sinister policy that was foisted upon the working class of this country. I have no time to explain the wage freeze policy in detail, but I would quote one or two expert opinions about this.

A study of the Research Bureau of the *Economic Times* of July 8, 1974 states:

"Looking at the trends in the industrial raw materials and manufactures, one finds that it is mainly the prices of raw materials and costs of capital equipment, and machinery which have gone up. Thus it is a 'material push' or 'capital push' inflation, but not 'wage-push' as is commonly understood."

[Shri Chitta Basu]

The entire concept of wage freeze was based on the so-called erroneous theory of wage-goods-inflation. That has been completely repudiated and that has been completely rebutted. On the basis of that false theory, the entire working class of our country have been victims of the preposterous position taking by the predecessor Government.

Again, I may mention that the share of the wages has steadily declined. I only want to mention the latest figure given by the Reserve Bank of India Bulletin. And I quote:

"The share of the remuneration to employees declined marginally from 15.5 per cent in 1973-74 to 14.8 per cent in the current year, i.e. 1975-76."

That is the latest figure available. Madam, you will agree with me that the inflation that we have got today is based on the wage-goods-inflation theory. It is the Government which has to fight this inflation from another angle. But it is the workers who have been made victims of this erroneous theory of wage-goods-inflation.

Madam, during all these years the workers have suffered a lot. The real wage has fallen down. I have got some figures to show that in 1972 the real income index or the index of money earnings was 199. It has come down to 103. Therefore, there has been a fall in real wages, there has been wage freeze and the result is very much alarming. Who was responsible for this wage freeze policy? It was the employer, it was the capitalist, it was the monopolist and it was the multinational who had made huge profits. Madam, you will see that the share of operating profits in the total value of production moved up from 5.7 per cent in 1973-74 to 6.2 per cent in 1974-75. Again, I quote from 'Finances of Medium and Large Public

Limited Companies': Study Report of 1650 Companies—RBI bulletin, July 1976:

"Profits before tax crossed Rs. 1,000 crores mark in 1974-75 recording a phenomena' 36.8 per cent increase over the previous year which was also a year of good performances with a 23.7 per cent growth in profits before tax."

Therefore, it is quite clear that the working class of the country has suffered and is deprived of their legitimate rights. While I want to draw the attention of the hon. Minister to this, I want to humbly ask him: Is he in a position to reverse the entire process of wage freeze policy? I hope that the Government will start the process of reversing. If they are interested in the process of reversing, then the question of scrapping the CDS comes, the enactment of a new Bonus Act comes and also the question of neutralising cent per cent increase in dearness allowance comes and only by that method the wrong, preposterous anti-working class policy pursued by the erstwhile Government can be corrected. And I hope the hon. Minister will initiate the process of a new labour policy which will include among other things, the following: (1) Immediate scrapping of the CDS and return of all accumulated money to the workers in a single instalment; (2) Repeal of the amended Bonus Act and the passing of a bill to ensure the payment of the statutory bonus of 8.33 per cent—to workers including those in the public sector undertakings and (3) Progressive introduction of need-based minimum wages, in a phased manner. If the government is really interested in initiating a new labour policy, this is the 3-point programme which it should take up immediately and initiate a new process.

18.00 hrs.

The hon. Minister was eloquent about re-structuring of industrial re-



lations. I have got no time to discuss all the points involved in it. I would merely tell him that he should really take proper care to see that the Government of India takes a full and final decision on these basic problems facing the country and the working classes today, viz., (a) Fair compensation for labour for increased production and productivity; (b) right to collective bargaining; (c) limitations on the regulatory role of the State and (d) determination and recognition of the bargaining agents, on the side of the workers. These are the 4 major and fundamental problems, on the basis of which you can really re-structure industrial relationship.

I have listened to him and I have read his speeches also. Here he harbours an idea of industrial truce. We on the side of the working classes are for truce; we are for cooperation; and we are ready to extend cooperation. But unless the major issues I have mentioned are solved, unless a new labour policy is there and, unless you reverse the dark process, there is no question of truce. Let me be very frank and fair. If you want this truce in the prevailing circumstances, it is merely a surrender on the part of the working classes; it means capitulation to the monopolists. Therefore, if you really mean an industrial truce, if you really mean industrial stability, if you really mean to have a new working class with new ideas which will continue to do its mite for the growth of the country, you will have to revise your decision, you will have to revise and re-orient your entire outlook; and then only can you ensure cooperation and industrial truce.

Look at the state of things in the industrial sphere. Workers know how to get their demands realized. They will be on the roads and will seize the opportunity to wrest their just rights and demands from the employers and the unwilling government which supports the multi-nationals and big houses.

MR. CHAIRMAN: We will sit up to 6.40 P.M.

SHRI RAVINDRA VARMA: On Saturday, it was agreed by the House—when the time for the debate on the Ministry of Industry was extended—that if necessary, we will sit for a few more minutes or hours after 6 O'clock on Monday, to dispose of the debate on Labour; and that the Labour Minister will reply the next day, i.e., tomorrow. It is only a question of 40 minutes. I would request the Members on the opposite side to cooperate.

श्री राम अबधेश सिंह (विक्रमगंज) : सभापति महोदय, मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रम मंत्री महोदय के ऊपर जो जिम्मेदारी आई है वह पिछली सरकार की जिम्मेदारियों से भिन्न है। पहले की हुकूमत के श्रम मंत्री केवल वादे करते थे और अब की सरकार के मंत्री को केवल वादे नहीं करने हैं बल्कि वादे को निभाना है।

यह श्रम मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसको पूँजीपतियों के पैसे, नौकरशाहों के पेट, सामन्तों के डंडे और श्रमिकों के पसीने के बीच में सामंजस्य और संतुलन कायम करना पड़ता है। यह श्रम मंत्रालय तीस वर्षों तक पूँजीपतियों के प्रभाव के नीचे दबा रहा और नौकरशाहों के बृद्धि-ब्यूह के अन्दर भी फँसा रहा। आपको आश्चर्य होगा जान कर कानूनों के पहाड़ लगा दिये गये। 1947 के बाद से श्रम मंत्रालय के जरिए या यों कहें कि भारत सरकार के द्वारा कई दर्जन श्रमिक कानून बनाए गए। 1947 से 1957 के बीच कम से कम दो दर्जन कानून बने लेकिन उन कानूनों की वजह से मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली बल्कि आप उनकी धाराओं को पढ़ें तो लगता है कि सचमुच में यह कानून श्रमिकों के लिए नहीं है। मैं श्रमिकों को दो खण्डों में बाँट कर आगे बढ़ूँगा। एक वह

### [श्री राम अवधेश सिंह]

श्रमिक जो कारखानों में और खदानों में काम करते हैं और दूसरे वे जो खेतों में काम करते हैं। उनकी असम अलग समस्यायें हैं।

जहा पूजीपतियों के पैसे का प्रभाव चलता है वहाँ अनेक कानून-वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, ट्रेड यूनियन ऐक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, प्राविडेंट फण्ड ऐक्ट, इन्श्योरेन्स ऐक्ट, वेलफेयर ऐक्ट करीब करीब इस तरह के दो दर्जन कानून बना दिए गए लेकिन सब का नतीजा क्या है। ये कानून लागू नहीं होते। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 31 पढ़ें उसमें लिखा है कि अगर पूजीपति कानून को नहीं मानेगा तो उसको एक हजार रुपये जुर्माना या 6 महीने की सजा होगी। इसी तरह से फेक्ट्रीज ऐक्ट की धाराओं को नहीं मानेगा, मनमानी ढंग से तोड़ देगा तो उसके लिए अलग सजा लिखी हुई है। प्रोविडेंट फण्ड ऐक्ट के अन्दर जो प्रोविजन है उनको नहीं मानेगा, मजदूरों के खिलाफ काम करेगा तो उस के लिए फाइन और सजा लिखी हुई है। लेकिन उसमें जो एक शब्द "अगर" है—सिक्स मंथ्स इम्प्रिजनमेंट अगर बन थाउजैड फाइन, इसमें अगर शब्द के बदले अगर एण्ड शब्द हो जाये कि छः महीने की या तीन महीने की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा तब ये प्रोविजन लागू हो सकते हैं। नहीं तो सेक्शन 33 जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट का है उसके अन्दर वे यह कर सकते हैं कंसीलिएशन प्रोसीडिग्स चल रही है लेबर ट्रिब्युनल के अन्दर या कंसीलिएशन बोर्ड के अन्दर या लेबर कोर्ट के अन्दर प्रोसीडिग्स चल रही हैं और उनके चलते हुए भी वे मजदूरों को काम से निकाल सकते हैं। इसके बदले में क्या होगा ? 6 महीने की सजा होगी या एक हजार जुर्माना होगा। तो क्या एक हजार और क्या

दस हजार—वे एक लाख भी दे देंगे, उससे उन को कोई डर नहीं है। उनको अगर डर है तो इस बात का कि कहीं दो दिन के लिए भी जेल में न जाना पड़े। पूजीपतियों का सब से बड़ा डर यही होता है कि एक दिन की भी सजा न हो जाय। इसलिये जितने भी इस प्रकार के ऐक्ट हैं उनमें यह व्यवस्था होनी चाहिये कि केवल सजा होगी क्योंकि दस-पांच हजार या एक-दो लाख उनके लिये कोई महत्व नहीं रखता है। उनके लिये आप केवल सजा की व्यवस्था करें कि 6 महीने की सजा होगी या 3 महीने की सजा होगी।

दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट तो बना, लेकिन आज तक इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स ऐक्ट नहीं बना। वास्तव में इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स ऐक्ट बनना चाहिये था कि किस तरह से वर्कर्स और मालिकों के बीच में अच्छे सम्बन्ध बनेंगे। इसमें तो यह है कि अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको दूर करने के लिये पांच-सात स्टेजेज हैं, जैसे वर्कर्स कमेटी, कन्सीलिएशन आफिसर, कन्सीलिएशन बोर्ड, लेबर कोर्ट, कोर्ट आफ एन्क्वायरी, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। इन सात स्टेजेज को पार करते करते जिन मुद्दों को लेकर डिस्प्यूट खड़ा होता है, उन को छोड़ कर दूसरी नई समस्यायें खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से मजदूर मारे जाते हैं। इसलिए श्रम मंत्री जी से मेरी जोरदार मांग है कि कानूनों में सुधार करने के लिये जरूरी है कि फाइन की व्यवस्था को हटा दिया जाय और उसकी जगह इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाय। यह रख दिया जाय कि उन धाराओं को यदि कोई पूजीपति तोड़ेगा तो उसको सजा दी जायेगी।

इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज्ञादी के पहले श्रमिकों के सम्बन्ध में केवल तीन कानून—पेमेंट आफ

बेजेज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, आदि। लेकिन 1947 के बाद जो कानून बने, जो इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया, मैं समझता हूँ कि उसको नये ढंग से बनाना होगा। ट्रेड यूनियन एक्ट भी केवल यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने का एक्ट है, केवल रजिस्ट्रेशन कर देने से ही मजदूरों की समस्याएँ सुलझ हीं सकती है। रजिस्ट्रेशन तो केवल एक प्रक्रिया है। असल बात है—रिकगनीशन। अभी कोड आफ कंडक्ट के आधार पर रिकगनीशन होता है। मालिकों के ऊपर यह निर्भर करता है। अगर कारखाने का मालिक चाहे तो एक छोटी सी यूनियन को, जिसको हम पपेट-यूनियन कहते हैं, उसको रिकगनाइज कर सकता है और व्यवहार में ऐसा होता भी है कि केवल पपेट यूनियन ही काम करती है। सारे देश में इन्टक की पपेट यूनियन्ज है, उनकी मेम्बर-शिप पांच फीसदी या दस फीसदी से अधिक नहीं होती। पिछली हुकूमत के साथ में वही मजदूरों का रिप्रेजेंटेशन करती थीं।

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान एग्रीकल्चरल लेबर की ओर दिलाना चाहता हूँ—जिससे मेरा ज्यादा सम्बन्ध रहा है। आज इस देश में सबसे बदतर हालत कृषि मजदूरों की ही है। वैसे श्रमिकों की हालत कारखानों में भी खराब ही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा खराब इनकी है। इनको मिनिमम वेज तो कहीं मिलता ही नहीं, कहीं पर दो रुपया रोज, कहीं पर एक रुपया रोज और मेरे जिले में तो 1970 तक 8 रुपये महीने पर हल चलवाया जाता था। मैं शाहाबाद जिले के परछा प्रखण्ड की बात कह रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मैंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र भी लिखा था कि आप इसकी जांच करायें। अब यह जिला रोहतास जिला बन गया है, यहां 8 रुपये महीने पर हल चलवाया जाता था या डेढ़ सेर महुआ दिया जाता था। इतनी बदतर स्थिति उन लोगों की थी।

रहने की क्या स्थिति है, उसको भी सुन लीजिये। एक ही झोंपड़ी में एक ओर सूभर बच्चा जनता है और दूसरी ओर औरत बच्चा जनता है—ऐसी दर्दनाक स्थिति उन खेतिहर मजदूरों की है। दिन भर हल चलाने के बाद जब वह शाम को घर आता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसका बच्चा बीमार हो गया है, वह उस सामन्त के पास जाता है जिसके लिये वह हल चलाता है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, मुझे दवा के लिये पैसे दे दीजिये। तो पांच बार तो वह उसको हटा देता है, जब देता है तो 25, 30 और 40 प्रतिशत सूद पर उसको पैसा देता है—इतनी बदतर हालत है। यहां पर मिनिमम बेजेज एक्ट की बात कही जाती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ मेरे जिले शाहाबाद में चल कर देखिये, जिसको अब भोजपुरा रोहतास कहा जाता है—पिछली सरकार ने उस एरिये को रेड-एरिया घोषित कर दिया था, वह नक्सलाइट एरिया है, वहां नक्सलाइट बसते हैं। हमारे यहां अगर कोई खेतिहर मजदूर पट्टा-नौजवान है, शरीर से पुष्ट है, अखबार पढ़ने लग गया है, वह यदि कहता कि कानून में जो लिखा है, हम को वही मजदूरी दो और कहीं 10-20 लोगों ने मिल कर सरकार के पास मांग रखी, तो वे सामन्त, जिनकी पहुंच पुलिस तक है, कहेंगे कि ये नक्सलाइट्स है, ये गोली-बारूद और बन्दूक बनाते हैं—इसका नतीजा यह होता है कि उनको घर से पकड़ कर गोली मार दी जाती है और कहा जाता है कि ये पुलिस के साथ एन्काउन्टर में मारे गये। अभी पिछले दिनों हमारे यहां चिलबिला काण्ड हुआ, जिसमें 11 आदमी मारे गये, जिनमें 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इसी तरह का काण्ड गोरपा में हुआ। जब गृह मन्त्रालय पर बहस होगी, तब हम इस मामले को उठायेंगे कि वहां पर किस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। जहां कहीं भी खेतीहर मजदूर अपनी इज्जत के लिये, रोटी के लिये, अपनी बेटी की इज्जत के लिये

[श्री राम भ्रवघोष सिंह]

भावाज उठाते हैं, उनको नक्सलाइट कहा जाता है, क्रिमिनल कहा जाता है, उसको गोली से उड़ा दिया जाता है।

जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, उनकी ट्रेड यूनियन्ज हैं। बड़े-बड़े लोग उनके संरक्षक हैं, लेकिन जो खेती में काम करते हैं, जिनको नान्द-रेयान कहा जाता है, आज उनकी स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत शोचनीय है, दयनीय है। मैं श्रम मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार के भोजपुर-रोहतास जिले की स्थिति का अध्ययन कराया जाय और हरिजनों के साथ, छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको रोका जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। एक बात कह देना चाहता हूँ कि पिछली हकूमत में एक तरफ़ खून और पसीना बहाने वाला श्रमिक वर्ग था और दूसरी तरफ़ पैसे पर चलने वाला श्रमिक वर्ग था। जहाँ हम लोग पसीने में लथपथ रहते थे वहाँ वह लोग इंदिरा गांधी के पैसे पर पलते थे। इसी कारण से पसीना बहाने वालों ने पंजाब से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के तिरंगे झंडे को उखाड़ फेंका और दुरंगे झंडे को उस की जगह पर खड़ा कर दिया। अगर अब भी श्रमिक को न्याय नहीं मिलता तो फिर वह तिरंगा झंडा लहराने लग सकता है।

\*SHRI K. RAMAMURTHY (Dharma puri): Madam Chairman, when the House is exhausted after a long discussion on the problems of labour in the country, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Labour. Many hon. Members who preceded me pointed out poignantly the pitiable plight of labour prevailing throughout the coun-

try at the moment. They also spoke in great detail how far the existing labour laws have not proved beneficial to the labour. There was also no difference of opinion in the viewpoint expressed by several hon. Members that the labour laws which are in force now have become outdated and outmoded. The hon. Members from the Ruling Party decried the deficiencies of the previous Government in the implementation such labour legislations and they were sanguine in expressing that their Government would do well with the labour. I join myself unreservedly in their ejaculations and hope that their faith in the Government is not belied.

The Janata Party has delineated its labour policy unequivocally during the recent Elections and it received universal acclaim. Sir, as pointed out by my hon. friend, Shri Vayalar Ravi, the labour in Tamil Nadu and other southern states is confronted with the fast approaching festival season. It is but natural that they hope to get their legitimate dues the bonus which has been denied to them so far. I appeal to the hon. Minister of Labour that he should expeditiously bring forward the Bonus Amendment Bill giving Bonus to the workers much ahead of the festivals. I have to regretfully say that the bonus is not decided either by the Administration or by the Labour. As it is said that the marriage is fixed in Heaven, the bonus is fixed by the Chartered Accountant. The perfidious role of the Chartered Accountant in cooking up the accounts was made public during the Emergency by the voluntary disclosure of taxable income of about Rs. 1,500 crores by the industrialists, which would otherwise have been window-dressed by these Chartered Accountants. The capitalists were benefitted by such bounties of black money bestowed upon them by the mercy of the Chartered Accountants

\*The original speech was delivered in Tamil.

and the Labour was being denied of bonus. If this pernicious system is allowed to perpetuate, then the labour will never get bonus. I would like to request the hon. Minister of Labour that he should find out statutory ways and means for ensuring that the Trade Unions get the right of re-auditing the accounts audited by the Chartered Accounts. As we are demanding the right of participation for the labour on the management of industries, which is being implemented progressively, I urge upon the Labour Minister that the Labour should get the right of re-auditing the accounts once audited by the Chartered Accountants. The Trade Unions must be empowered to do this job.

Coming now to the labour legislations, whether it is the Industrial Disputes Act or any other labour law, I have no hesitation in saying that all of them do not ensure justice to the labour; in fact, they are the source of inordinate delay in getting justice and fairplay for the labour. I may also say that the industrialists have a freeplay with the built-in loopholes in these laws. For example, after the judgment of Andhra Pradesh High Court, under the Gratuity Act of 1972, 15 days' or half month's salary has to be given as gratuity. But, somehow, the Textile Mill-owners in Tamil Nadu have manoeuvred to pay only 13 days' salary as gratuity, and not 15 days' salary. In spite of varying judgments from other High Courts, I do not know why the Labour Ministry has not yet come forward with any clearcut idea about gratuity. The Trade Unions have made many representations in this regard and their appeals have so far fallen on deaf ears.

The Janata Party members *ad nauseum* referred to the excesses committed during the Emergency, and they also pointed out the atrocities perpetrated on labour. But I have personal experience to narrate the benefits that came out of Emergency. In my constituency, the Defence of India rules came to the rescue of

labour who were denied their wages by the industrialists and factory owners. The magnesite workers numbering 10,000 were on strike for 11 days during the emergency. I see in the official gallery many Labour Officials who were interceding in this strike then. At that time, with the help of Defence of India rules their wages were fixed without the usual delay. Now, what do we find? The monthly paid staff's wage has not yet been fixed even after two and a half years of bargaining.

As was pointed out by my friend, Shri Vayalar Ravi, the labour in the public sector is being deprived of their right to approach a Court for settling a dispute under the Industrial Disputes Act. A petty bureaucrat like an Under Secretary in the Ministry under whose charge such a public sector undertaking falls decides that the issue should not be taken to a Court and the Labour has to remain silent. Whether it is the public sector or the private sector, the labour has the statutory right to go to a Court for settling a dispute. They should not be deprived of this right by an official in a Ministry. This situation must change.

Sir, I need not narrate the tale of woe of the agricultural workers in the country. Some States have fixed their wages statutorily with different rates. I request the hon. Minister of Labour that he should take personal interest in the matter of fixing their wages on an All-India basis so that they get uniform wages throughout the country. The present implementation machinery is not enough to implement this Minimum Wages Act. I suggest that a competent and powerful administrative unit must be set up in each State for implementing this Agricultural Minimum Wages Act. There should be no delay in doing this.

In Tamil Nadu, millions of workers engaged in Beedi industry, matches manufacturing industry and in fire-

[Shri K. Ramamurthy]

works manufacturing industry do not come under the purview of any labour laws like the Factories Act, the Minimum Wages Act, etc. Consequently, they do not get even basic minimum wage. The hon. Minister of Labour should look into the genuine grievances of these millions of workers in Beedi industry, matches manufacturing industry and fire-works manufacturing industry in Tamil Nadu and give them statutory protection at least for minimum wages.

The hon. Members on the Treasury Benches said that the Congress Party was a tool in the hands of the capitalists. I would like to quote from last week's Illustrated Weekly a few lines about our Health Minister, Shri Kaj Narain, who questioned the parentage of people speaking in English recently on the floor of this House.

I quote:

"For several years, Mr. Raj Narain has been acting as an agent or vested interests. To wreck the socialist movement in the country, he has been unabashedly corrupting the dedicated party workers with money taken from the capitalists."

That was why he was expelled from the Socialist Party by the U.P. Wing. Whether the previous Government was inclined towards the capitalists or nor, it is clear from the above that the Janata Party Government seems to favour the capitalists only.

In conclusion, I demand that the Labour Laws must be amended so that the genuine grievances of the labour can be redressed. I also appeal to the Labour Minister that the Bonus Amendment Bill must be brought up expeditiously so that the Labour is enable to get their bonus much before the festivals begin.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) :  
अधिष्ठात्री महोदया, हमारे देश में जो लोग

गरीबी के जीवन बिताते हैं और कठिनाई में जीवन बिताते हैं उनमें श्रमिकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जीवन बहुत ही कठिनाई और दुःख में बीतता है, जैसा कि तमाम माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल चुके हैं। मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के मजदूरों का शोषण खासतौर से पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। तमाम बड़े बड़े उद्योग धन्धे जो निजी क्षेत्रों में हैं उनमें काम करने वाले तमाम श्रमिकों का हमेशा शोषण होता रहता है और उन पर अत्याचार किये जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं वहां पर देश की नौकरशाही उनका शोषण करती है, और जब कभी प्राइवेट सेक्टर के तमाम मजदूरों से सम्बंधित मामले हमारे देश के अधिकारियों के पास जाते हैं न्याय के लिए तो वहां पर भी यह देखा जाता है कि फैसला यह नौकरशाही पूंजीपतियों के पक्ष में देती है और मजदूरों के शोषण में भूमिका अदा करती है। इसलिए श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है।

आज एक विवाद चल रहा है कि 20 करोड़ रुपये का पूंजी और 50 करोड़ रुपये की पूंजी की लागत के प्रतिष्ठानों को क्या हमें बिग बिजनेस हाउसेज कहना चाहिये, मोनोपली हाउसेज कहना चाहिये? या उससे कम को कहना चाहिये। आज यह विवाद चल रहा है। लेकिन मेरा सुझाव है कि 1 करोड़ की लागत से ऊपर के सभी हाउसेज को मोनोपली हाउस कहना चाहिये जिनमें श्रमिकों का शोषण किया जाता है और देश की पूंजी केन्द्रित की जाती है। आज देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था इन पूंजीपतियों के हाथ में है और जैसा चाहते हैं देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि

इन सभी बड़े बड़े उद्योगिक प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि ऐसा करने से मजदूर वर्ग की सेवा को हम अधिक सुरक्षित बना सकते हैं, पूंजी के एक बड़े भाग पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं । पूंजीपतियों के उद्योगों को अगर सार्वजनिक नियंत्रण में ले लिया गया तो हम शासन को पूंजीपतियों के प्रभाव से मुक्त रख सकते हैं जिससे मजदूरों के हितों के संरक्षण में सहायता मिलेगी । मैं सम्झता हूँ कि हमारी जनता पार्टी की सरकार इस बात पर ध्यान देगी, क्योंकि उसने जो वायदे किये हैं वह वायदे इसी के अन्तर्गत हैं ।

मैं बोनस के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के मजदूरों को पुरानी सरकार ने जो बोनस देने का फैसला किया था उसको समाप्त कर दिया है । उस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिये और सरकार को मजदूरों के खोये हुये अधिकार को वापस देना चाहिये, उन्हें बोनस मिलना चाहिये ।

शूगरमिल्स के बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत सी ऐसी मिलें हैं जिनका कि राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी कई मिलें हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था । जिन्हें सिक मिल डिव्लेयर करने के बाद वहाँ के वर्कर्स का भयकर रूप से शोषण किया गया । 13, 14 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई । वह किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, इन सारी बातों की तरफ मैंने माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था । आज भी ऐसे मिल हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, मजदूरों का शोषण हो रहा है । वहाँ पूंजीपति पूरी तरह से मजदूरों को तबाह कर रहे हैं ।

मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो चीनी मिलें हैं, वे उनको तुरन्त हाथ में लें और मैं यह प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । यह मामला कई बार उठ चुका है, लेकिन अभी तक कोई डिंसीजन नहीं हुआ है । इसमें अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिये । अगर राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो यह मजदूरों के हित में होगा ।

हाथ करघा मजदूरों के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम हैंडलूम के कारखाने सूत का दाम बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुये हैं और मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब हुई है । तमाम मजदूर वहाँ काम से निकाल दिये गये हैं । आज भी यदि उन्हें सुविधाये देने के लिए हम प्रयास कर सकें तो ठीक होगा । इसके लिए हमें सूत का दाम घटाना होगा ।

बिजली मजदूर यूनियन और रोडवेज यूनियन के बारे में जब भी वहाँ के मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें तरह-तरह से परेशान किया जाता है, उन्हें ट्रांसफर और निलम्बित किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दें ।

इसी तरह से रेलवे और एल० आई० सी० में केजुवल लेबर काम करते हैं, उन लोगों से बरसों तक डेली वेजेज पर काम कराया जाता है, लेकिन फिर भी उनको रेगुलर नहीं किया जाता है, हालांकि नियम के अनुसार उन्हें कुछ दिन बाद रेगुलर कर देना चाहिये ।

रेलवे और फटिलाइजर कार्पोरेशन में एग्जिक्टिसेज के बारे में मैंने सवाल उठाया था ।



[श्री हरिकेश बहादुर]

माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि इस विषय पर वह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। आज स्थिति यह है कि लोगों को एप्रेंटिसेज की ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया जाता है और वे बेकार पड़े रहते हैं। उन्हें एंजार्व करने की व्यवस्था करनी चाहिये या केवल इतने लोगों को ही एप्रेंटिस की ट्रेनिंग देनी चाहिये, जिन्हें एंजार्व किया जा सके।

अगर हम नेशनल वेंज पालिसी के बारे में निर्णय नहीं लेते हैं तो मजदूरों की बहुत हानि होती है। कृषि मजदूरों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनका स्थिति बहुत खराब है, उन्हें 1, 2 रुपये प्रति दिन मिलता है, जिससे वह अपने जीवन को कठिनाई से बिताते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कंसर्टिडसिपेशन इन मैनेजमेंट की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिये। आपने जो कृपापूर्वक मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ।]

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): I am happy as well as sorry that my young friend Shri Ravindra Varma is in charge of the Minister of Labour which I call the Ministry of 'Babaldom'. He inherited two curses: one is the Compulsory Deposit Scheme and the other is the Bonus. The Congress Government played ducks and drakes with the working class. First the 4 per cent bonus was enlarged to 3-1/3 per cent and, during the Emergency, they cut it down to zero. As my friend who spoke in Tamil has said; then entire

working class is at the mercy of the monstrous employers and the cheating auditors.

Kerala is now going to face, even earlier than Tamil Nadu the question of Bonus. Last year, in spite of the terror infused by Smt Indira Gandhi and her Government, the United Front Government in Kerala decided to pay 4 per cent of the total wages as 'Customary Bonus'. Some of the other States also attempted to pay customary bonus. But this year the position is not only bad but impossible. Last year the Government had the Police to compel the employers to pay 4 per cent. But this time the police is not happy with the Government because of stringent action taken against them in the Rajan case. The employers are up in arms and the labour is in a fighting mood. So, the bonus policy has got to be spelt out very clearly. Otherwise, in August Kerala goes up in flames! Then, Madras, Karnataka, West Bengal and others would join the fray. Therefore, the bonus policy has got to be decided clearly and that too as early as possible.

Then there is the question of the public sector and my two cut motions are based on that. Shri Vayalar Ravi just mentioned about the system of reference. Even the right of reference is denied to one-third of the entire organized working class in the public sector, and all the troubles arise because of that. The judicial pronouncements in the capitalist system are always favouring the employers. Yet, the public sector is opposed to reference to tribunals. Some of the Departments are worse than the employers of bonded labour. They have found a way to shirk responsibility by introducing contract labour. The Atomic Energy Department, a much lauded Department, which has been praised all over the world, is the worst employer. They do not give provident fund, they do not give gratuity to the workers and when the labour offices report of the failure of

the conciliation proceedings, the Labour Ministry is helpless. They have to wait for sixty days to get a reply from the Ministry and if the reply is 'No', the whole question is placed in the cold storage. The disputes in the public sector in most of the cases were mainly due to the accumulation of the grievances of the workers. This is a matter which has got to be immediately settled and the Labour Ministry must have the right, when they feel that the workers cause is right to refer the dispute to the Tribunal and not cow down to the decision of an Under Secretary or a Joint Secretary or a Secretary in the Ministry. This is a matter which must

be considered in all its seriousness and something must be done immediately. The workers who are denied statutory rights to provident fund and gratuity should get them; may it be in any Ministry, Atomic Energy Department, Home Ministry or Foreign Affairs Ministry.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will reply tomorrow.

18.43 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 12, 1977/Asadha 21, 1896 (Saka).*